राजस्थान विधान सभा

पन्द्रहवीं बैठक, सोमवार, दिनांक १६ मार्च, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बज कर ६ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न संख्या १३६

राजस्थान में अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार वाले एस० डी. ओज़

श्री **चांदमल मेहता**:—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में किस किस स्थान के एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं ?

(ख) १ जनवरी, १६५५ के बाद किस किस एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार दिये गये हैं ?

(ग) उक्त एस. डी. ओ. की सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ सा स्थान है ?

(घ) किशनगढ़ में एस. डी. ओ. को 'अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार कब से कब तक रहे ?

(ङ) वर्तमान में किशनगढ़ में एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)**—(क) राजस्थान में जिन स्थानों के एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं वे यह हैं:

१. करौली
२ सिरोंज

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

३. धोलपुर
४. बयाना
५. डींग
६. भरतपुर
७. प्रतापगढ़
८. कोटा
९. बीकानेर (उत्तर)
१०. गंगानगर
११. शाहपुरा (भीलवाड़ा
१२. कुशलगढ़
१३. जोधपुर
१४. पाली

(ख) १ जनवरी, १९५५ के बाद इनमें से अन्तिम आठ स्थानों (७ से १४) के एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार दिये गये हैं।

(ग) इन स्थानों के सिवाय गंगानगर के जहां कि आई. ए. एस. अधिकारी कार्य कर रहा है एस. डी. ओ. के पद पर वर्तमान में कार्य करने वाले अधिकारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में स्थान क्रमशः यह है :

१०१, १४५, ११७, १७४, १४९, ८८, १७१।

(घ) कभी नहीं रहे।

(ङ) आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री **चांदमल मेहता**:—मैं आपकी इस बात को चेलेन्ज करता हूं कि किशनगढ़ में एस. डी. ओ. को कभी अतिरिक्त कलेक्टर के पोवर नहीं दिये गये?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—मेरी जानकारी के अनुसार उनको पहले डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट के पोवर्स दिये गये थे।

श्री **चांदमल मेहता**:—आपने विधान सभा में इस बात का जवाब दिया था कि वहां के एस. डी. ओ. की अतिरिक्त कलेक्टर के पोवर्स दिये गये थे। मैं उनके नाम बता सकता हूँ।

टिप्पणी—उपरोक्त प्रश्न के भाग 'घ' के उत्तर के सम्बन्ध में

राजस्थान सरकार के सहायक सचिव ने अपनी पत्र संख्या 'D. 11. 3860 Apptts (A) 56 दिनांक २३ अगस्त, १९५६ द्वारा सूचना दी है कि यह उत्तर गलत है।

Page No.3

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—वे कौन थे ?

श्री **चांदमल मेहता**:—वे हैं श्री जगन्नाथसिंह मेहता और श्री शंकरनाथ चौबे। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि ये अतिरिक्त कलेक्टर अधिकार के किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार पहले रहे हैं, एडीशनल कलेक्टर के अधिकार पहले नहीं रहे यह कहा होगा।

श्री **चांदमल मेहता**:—यही कहा है कि अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार रहे हैं।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—इसकी और जानकारी कर लूंगा। उनको नियुक्त किया करते हैं जिनको काफी अनुभव हो।

श्री **चांदमल मेहता**:—क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से एक बार यह निश्चित किया गया था कि राजस्थान की पुरानी रियासतों की राजधानियों से, जहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स हैं, वहां के एस. डी. ओज. को अतिरिक्त कलेक्टर के अधिकार दिये जायेंगे ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—ऐसा निर्णय लिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। आमतौर से जहां काम ज्यादा होता है वहां ये अधिकार दिये जाते हैं। बहुत सी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटस के पोवर्स दिये गये हैं और कुछ जगह अतिरिक्त कलेक्टर्स के पोवर्स भी दिये गये हैं।

श्री **चांदमल मेहता**:—जब आमतौर से यह ख्याल किया गया कि ऐसी पुरानी राजधानियों में एस. डी. ओ. को अतिरिक्त कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जायं तो किशनगढ़ में आमतौर से ये अधिकार क्यों नहीं दिये गये ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—कम काम की वजह से।

श्री **चांदमल मेहता**:—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीजन के कुछ इलाके १५० मील की दूरी पर पड़ेंगे और उनको अपील करने के लिये जयपुर आने में बहुत कठिनाई होगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—यहां से वे १५० की दूरी पर पड़ सकते हैं तो किशनगढ़ से ६० मील की दूरी पर पड़ेंगे।

श्री **चांदमल मेहता**:—६० मील नहीं है, आपकी जानकारी ठीक नहीं है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**:—आपके कथनानुसार १५० मील है, तो उसमें से ६५ मील कम कर दीजिये।

श्री चांदमल मेहता:–क्या यह सही है कि वे इलाके दूर पड़ते हैं और पुरानी राजधानियों के एस. डी. ओ को अतिरिक्त कलेक्टर के पोवर देने का तय किया था, फिर भी किशनगढ़ में ये अधिकार नहीं देने का क्या कारण हैं।

श्री अध्यक्ष—Supplementary should not be argumentative. It should be put to seek information.

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगीं कि प्रतापगढ़ में जो अधिकार दिये गये हैं किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपको आधार बतला दिया।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपने कभी प्रतापगढ़ और किशनगढ़ की आवश्यकताओं की तुलना करने की कोशिश की है ?

श्री अध्यक्ष—That is presumed. Next.

श्री चांदमल मेहता—एक प्रश्न और पूछना है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४०

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस किशनगढ़ के आधीन की एक ही अध्यापक वाली स्कूलें

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस किशनगढ़ के मातहत ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां केवल १ अध्यापक नियुक्त है ?

(ख) उक्त स्कूलों में कौन कौन सी स्कूलें अध्यापकों के बीमार हो जाने की वजह से कितने कितने समय के लिये बन्द रहीं ?

(ग) क्या उक्त इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस के मातहत (रिलीविंग) अध्यापक रखे जाते हैं ?

(घ) यदि हां, तो कितने ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) १८२.

(ख) तहसील किशनगढ़ :

सरगांव ४-२-५६ से २४-२-५६ तक २१ दिन

नरवर १२-१२-५५ से ३१-१२-५५ तक २० दिन

तहसील अराई :

गागूंदा २६-१२-५५ से १५-१-५६ तक २१ दिन

(ग) जी नहीं, लेकिन अब व्यवस्था की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या जब मास्टर गैर हाजिर रहता है और उस वजह से स्कूल बंद रहता है तो उसके लिये सरकार रीलीव की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आवश्यकता मानती है और उसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या चालू वर्ष के बजट में इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या १४१

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—यह प्रश्न आगे लिया गया है)

प्रश्न संख्या १४२

रूपनगढ़ व किशनगढ़ तहसीलों में काश्त भूमियों में चालू वर्ष में खेजड़ियें छांगने के ठेके

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) रूपनगढ़ तहसील और किशनगढ़ तहसील में काश्त की जमीन में से खेजड़ियें छांगने के चालू वर्ष में कुल कितने ठेके दिये गये व उनसे कुल कितनी आमदनी हुई ?

(ख) उक्त ठेके किस कानून के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— (क) रूपनगढ़ व किशनगढ़ तहसील में मकबूजा जमीनों में खेजड़ी छांगने के तहसील से कोई ठेके नहीं दिये गये। अलबत्ता किशनगढ़ तहसील की बिला नाम जमीनों के ठेके तहसीलदार ने दिये और उनसे सन् १९५५ में ४४२॥) रुपये की आमदनी हुई।

(ख) बिना नाम जमीन के ठेके इन्तजाम जमीन के सिलसिले में दिये गये।

(ग) ऐसे ठेके सालाना पैदावारी के आधार पर होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि १५ अक्टूबर के बाद में बिना नाम जमीन पर काश्तकारों को खातेदारी काश्तकार होने के हक दे दिये उसके बावजूद भी ऐसा किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसी को भी ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह आपकी जानकारी में कि जिन जमीनों पर वर्षों से उनका कब्जा है और बिला नाम दर्ज हो गई है और बिला नाम होने से अब यह ठेका दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो इसकी जानकारी करके इसका इन्तजाम किया जाएगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस ठेके से जो रुपया पहले वसूल किया गया वह काश्तकारों को वापिस दे दिया जाएगा।

श्री दामोदरलाल व्यास— मेरी इत्तिला यह है कि गैर मकबूजा जमीन के लिये ठेका दिया गया है। अब आप यह सूचना दे रहे हैं, मैं इसकी आवश्यक जांच करा कर इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या १४३.

सन् १९५१ की जनगणना की ग्रामवार सूचियों का प्रकाशन

श्री भोपालसिंह— क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या जन गणना कार्य जो सन् १९५१ में किया गया था उसकी गांववार सूची प्रकाशित कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नागौर जिले के गांवों की गांववार जन गणना की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास— जनगणना कार्य जो १९५१ में हुआ था उसकी गांव वार सूची अब तक १३ जिलों की गांववार तहसीलवार प्रकाशित हो चुकी हैं।

(ख) नगौर जिले के गांवों की गांववार सूची सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(सूची उपलब्ध नहीं हुई)

श्री भोपालसिंह— मुझे अभी तक वह सूची नहीं मिली है।

श्री **अध्यक्ष—** आप अभी लेट आये हैं। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४४.

जनवरी १९५५ के पश्चात् प्रोमोशन से नायब तहसीलदार बनाये जाने वाले व्यक्ति

श्री चांदमल मेहता— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किन किन कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया जाकर नायब तहसीलदार बनाया गया है ?

(ख) उक्त कर्मचारी नायब तहसीलदार बनाने के पूर्व क्या काम करते थे और सीनियोरिटी लिस्ट में उनका कौन सा स्थान है !

श्री दामोदरलाल व्यास—(क और ख) १ जनवरी, १९५५ के पश्चात जिन जिन कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया जाकर कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाया गया है और वे नायब तहसीलदार बनाये जाने के पूर्व क्या काम करते थे तथा सीनियरिटी लिस्ट में उनका कौन सा स्थान है उसकी सूचि निम्न प्रकार है :

[श्री दामोदर लाल व्यास]

नाम	नायब तहसीलदार से पूर्व	सीनियोरिटी
श्री राजबहादुर	सदर कानूनगो	६
श्री बैजनाथ	सदर कनूनगो	१३
श्री कल्याण प्रसाद	लैंड रेकार्ड आफिसर	१७
श्री मथुरालाल	सदर कनूनगो	१८
श्री नंदलाल	,,	१६
श्री जग्गनाथ प्रसाद	,,	२१
श्री धीरजसिंह	चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट	६०
श्री लछमणसिंह	सदर कानूनगो	५
श्री गुलजारीलाल	,,	
श्री सुन्दरलाल	इन्सपेक्टर लैंड रेकार्ड	५६
श्री अजीजुदीन	,,	६३
श्री केशवलाल वेद	सदर कनूनगो	
श्री मगनलाल कोठारी	इन्सपेक्टर	
श्री अजेलाल	सदर कानूनगो	
श्री अमरलाल	,,	
श्री विजयरूप राय	,,	
श्री गनपतराय	,,	
श्री मोहनलाल	,,	
श्री उदयसिंह	,,	
श्री नवलकिशोर	,,	
श्री सोभागमल	,,	
श्री नन्दकिशोर	,,	
श्री मन्नूलाल	इन्सपेक्टर लैंड रेकार्ड	
श्री चिरंजीलाल	,,	
श्री बद्री प्रसाद [१]	,,	
श्री शम्भूनाथ	,,	
श्री रामस्वरूप	,,	

[श्री दामोदरलाल व्यास]

नाम	नायब तहसीलदार से पूर्व	सीनियरटी
श्री बद्री प्रसाद (२)	,,	
श्री मूलचंद	,,	
श्री घीसासिंह	,,	
श्री मदनमोहनलाल	,,	
श्री सतेन्द्रनाथ	,,	
श्री श्रीचंद	,,	
श्री नरेन्द्रसिंह	,,	
श्री रामजीलाल	,,	

श्री मानसिंह एम. ए. एल. एल. बी. इन्चार्ज रेवेन्यू ब्रांच कमिश्नर आफिस

श्री गोविन्द नारायण ,, एस्टेब्लिशमेन्ट और अकाउन्ट्स

श्री पालीवाल बी. ए. एल एल. बी. ब्रांच कमिश्नर आफिस।

श्री **चांदमल मेहता**—बहुतसों के आगे सीनियोरिटी के नम्बर नहीं दिये हुए हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**— जयपुर डिविजन की सीनियोरिटी लिस्ट अभी नहीं हुई है इसलिये नम्बर नहीं दे सके हैं।

श्री **चांदमल मेहता**— नायब तहसीलदार बनने के लिये क्या क्या आधार कायम किये गये हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**— सीनियोरिटी तो है ही, वरना और मेरिट्स भी।

श्री **चांदमल मेहता**— मेरिट्स की जांच किसके द्वारा कराई जावेगी ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**— कमिश्नर हैं और वे ही देखते हैं उनके कामों को।

श्री **हिम्मतसिंह**— राजबहादुर कहां का रहने वला है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री **सरदारसिंह**— मोहनलाल कोठारी कहां का रहने वाला है ?

Page No.10

श्री हिम्मतसिंह— क्या राजबहादुर कोटे के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं नहीं कह सकता कि वे कहां के हैं। वे सदर कानूनगो हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आप उनके कारनमों से वाकिफ हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप बतावें, मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आपके पास इसके सम्बन्ध में कोई रेकार्ड नहीं है ? क्या वे बरखाश्त शुदा हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे मालूम नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—आपको बगैर मालूम होते हुए भी आपने उनको नायब तहसीलदार कैसे बना दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नौकरी में थे उनको बना दिया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४५

राजस्थान में परिगणित जाति के छात्रों की शुल्क से मुक्ति

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों की फीस माफ है ?

(ख) अगर हां तो क्या सब स्कूलों व कॉलेजों में सरकूलर भेजा जा चुका है ?

(ग) यदि हां, तो क्या यह सही है कि डूंगर कालेज बीकानेर में बी०ए० फाइनल के छात्रों से फीस अभी भी ली जा रही है।

(घ) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) डूंगर कालेज, बीकानेर में केवल उन्हीं छात्रों से फीस ली जाती है जिनको भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के साथ साथ शिक्षा शुल्क भी मिलता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—क्या हरिजनों को वजीफा मिलता है उससे ज्यादा उनको दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो नियम हैं उनके अनुसार मिलते हैं और जिन्हें भारत सरकार देती है उनको फ्रीशिप नहीं दी जाती।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४६

सन् १६५० से १६५५ तक तहसीलवार नौतोड़ करवाई गई भूमि

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बूंदी में सन् १६५० से १६५५ तक कितनी जमीन सरकार द्वारा नौतोड़ करवाई गई, तहसील बताई जावे ?

(ख) कितनी जमीन बिला इजाजत ट्रेसपासर्स द्वारा नौतोड़ की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि पांच साल पुराने ट्रेसपासर्स को सरकार द्वारा खातेदारी हक दे दिये गये है ?

(घ) इस प्रकार के आदेश सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी किये गये हैं अथवा नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जिला बूंदी में सन् १६५० से १६५५ तक सरकार द्वारा कुल १३०६४ बीघा जमीन नौतोड़ काश्त कराई गई। उसकी तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है :

नाम तहसील	एकड़
१. बूंदी	२५७५
२. पाटन	१६२३
३. तालेडा	२८६५
४. नेनवा	१७०३
५. हिन्डोली	४२६८
	१३०६४

[श्री दामोदरलाल व्यास]

ख. निम्नलिखित भूमि बिना इजाजत ट्रेसपासर्स द्वारा की गई :

१.	बूंदी	१३८२
२.	पाटन	१८५
३.	तालेडा	१२५६६
४.	नेनवा	२६६५
५.	हिन्डोली	११८६
		१८, २१४

ग. टीनेन्सी एक्ट के तहत ट्रेसपासर्स को खातेदारी हक प्राप्त नहीं होते।

घ. जी हां। कमिश्नर जी कोटा ने ता० ६-१-५६ को एक आदेश कलेक्टर बूंदी के नाम जारी किया है। यह हुक्म सही न होने की वजह से तरमीम किया जा रहा है।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है गिरदावर लोग वगैरह गिरदावरी ठीक वक्त पर नहीं करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिनकी शिकायत आती है उनका इन्तजाम किया जाता है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इस प्रश्न के पूछने के बाद मालूम हुआ कि कमिश्नर ने गलत हुक्म निकाल दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रश्न का जवाब जब आया तब मालूम हुआ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है कि तुमने गैर कानूनी हुक्म क्यों निकाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मालूम होने पर ही तो रद्द करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही के अन्दर सब बातें आ जाती हैं।

श्री जसवन्तसिंह—आपको तो श्रेय दे रहे हैं, क्या कमिश्नर से पूछा गया कि गलत आदेश क्यों दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत से हुक्म रोजाना निकला करते हैं, अपीलें होती हैं, कई अदालतों के आदेश रद्द होते हैं, इस तरह से रद्द करने की भी नौबत आ जाती है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या आपको शक है कि वह ऑर्डर गलत है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गलत है इसलिये तो कार्यवाही की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह—इस हुक्म के तहत किन किन को खातेदारी राइट्स दिये गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या खातेदारी राइट्स दिये गये हैं या नहीं दिये गये हैं, तो कितनों को दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री छीतरलाल—जिनको खातेदारी राइट्स मिल गये हैं इस हुक्म की तहत उनसे सरकार वापिस लेने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो कुछ भी कॉन्सीक्वेन्सेज होंगी इस हुक्म के रद्द होने से वे सबको भुगतने पड़ेंगे।

प्रश्न संख्या १४७

जनवरी १९५५ के पश्चात् खादी व ग्रामोद्योग प्रोत्साहनार्थ सरकार द्वारा सब्सिडी व ऋण के रूप में दी गई धन-राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये १ जनवरी १९५५ के बाद राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना रुपया सब्सिडी और कर्ज के रूप में दिया गया है ?

(२) भारत सरकार द्वारा इस काम के लिये कुल कितना रुपया दिया गया है ?

(३) किस किस संस्था को कितने कितने रुपये कर्जा या सब्सिडी के रूप में दिये गये हैं और कितने प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—१ जनवरी, सन् ५५ के बाद राजस्थान सरकार ने खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये २६,९५५ रुपया रिबेट (सहायता) के दिये हैं। यह सहायता एक आना प्रति रुपया के हिसाब से खादी हुन्डी द्वारा बिक्री पर दी गई है।

(२) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, बोम्बे की सूचनानुसार ३१ अक्टूबर सन् ५५ तक ऋण ३९,३०,३५५ रु० व सहायता (सब्सिडी) ३,३६,९८७ रु० राजस्थान की विभिन्न संस्थाओं को दिये गये हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) एक जनवरी, सन् ५५ के बाद इस कार्यालय द्वारा खादी संस्थाओं को कोई कर्जा नहीं दिया गया।

(४) १३ प्रार्थना-पत्र ४५,००० रु० ऋण व १,१४,५०० रु० सहायता (सब्सिडी) के विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—किस किस संस्था को कितने कितने रुपये कर्जा व सब्सिडी के रूप में दिये गये, यह नहीं बताया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जबाब दिया १ जनवरी, १९५५ में इस कार्यालय द्वारा किसी संस्था को कोई कर्जा नहीं दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—सहायता भी कोई नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंडया—जी नहीं।

प्रश्न संख्या १४८

राजस्थान में आये हुए देवली के भवनों की सरकार द्वारा नीलामी

श्री सरदार सिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि देवली आधी अजमेर राज्य में है और आधी राजस्थान में ?

(ख) क्या देवली के मकानात सरकार नीलाम कर रही है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—देवली का कुछ हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान सरकार कोई मकानात देवली में अभी नीलाम नहीं कर रही है।

श्री सरदार सिंह—तो क्या अजमेर सरकार बेच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले नीलाम की कार्यवाही हुई थी, किन्तु अब एस. आर. सी. की रिपोर्ट आ गई है, इसलिये रोक दिया गया है।

प्रश्न संख्या १४९

श्री अध्यक्ष—श्री भवानी सहाय शर्मा।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, यह प्रश्न आगे लिया गया है।)

प्रश्न संख्या १५०

राजस्थान सरकार द्वारा पिछले वर्ष खरीदे गये व बेचे गए अनाज की दरें व वर्तमान संग्रह

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) गत वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना अनाज किस किस रेट पर खरीद किया गया व उसमें से कितना कितना अनाज किस किस रेट पर बेचा गया है ?

(२) ३१ जनवरी, १६५६ को राजस्थान सरकार के पास कितना कितना अनाज स्टॉक में था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) राजस्थान सरकार ने गत वर्ष अपने लिये कोई अनाज नहीं खरीदा।

(२) ३१ जनवरी १६५६ को राजस्थान सरकार के पास अनाज का कोई स्टॉक नहीं था

श्री चांदमल मेहता—क्या भारत सरकार के मुआफिक कोई अनाज खरीदा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले वर्ष में खरीदा था जिसके बारे में आपने एक बार प्रश्न पूछा था। आप कहें तो उस उत्तर को दोहरा दूं।

श्री चांदमल मेहता—वह अनाज कितना खरीद किया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१, ८२, ६६७ मन ३७ सेर १२ छटांक।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह अनाज बेचा जा चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार का था, उन्होंने उसको बिकवा दिया।

श्री चांदमल मेहता—क्या मौजूदा बढते हुए अनाज के भावों को देखते हुए सरकार अपनी ओर से सस्ते अनाज की दुकाने खोलकर अनाज बेचने की तजवीज रखती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार बहुत बारीकी से अनाज के भावों को देख रही है, यदि आवश्यकता हुई तो भारत सरकार के सहयोग से ऐसी व्यवस्था करेगी।

प्रश्न संख्या १५१

आलनियावास बुटाटी इत्यादि ग्रामों के पंचायत सर्किल डेगाना से निकालकर पुनः मेड़ता तहसील में मिलाना

श्री भोपाल सिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या सरकार आलनियावास बुटाटी, नीमडी, राजोद, दादरिया पंचायत सर्किल तहसील डागना से निकाल कर वापिस मेडता तहसील में मिलाने का विचार रखती है ।

(ख) यदि हां तो कबतक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) तहसीलों के पुनर्गठन के लिये सरकार ने कमेटी नियुक्त की है । उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भोपाल सिंह जब कि तहसीलों के पुनर्गठन के लिये कमेटी आपने नियुक्त की है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप इनमें हेर फेर क्यों करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलों के पुनर्गठन के लिये जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है; उसके बाद आपने जो गांव बताये हैं उनके ऊपर भी कमेटी विचार करेगी ।

श्री भोपाल सिंह— यह रिपोर्ट कब तक पेश हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अप्रेल के आखिर तक आ ही जायगी ।

श्री हिम्मतसिंह—एस. आर. सी. की रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्यों का गठन हो जायगा तब क्या एक और कमेटी नियुक्त की जायगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह उस वक्त देखा जायगा ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि एस० आर० सी० की रिपोर्ट आने के कारण वह उस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करने वाली है और आज राजस्व मन्त्री कह रहे हैं कि अप्रेल के अंतिम सप्ताह तक यह रिपोर्ट आ जायगी, तो इन दोनों में से किस बात को सत्य माना जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—एस० आर० सी० की तो रिपोर्ट आ गई है ।

श्री भैरोंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री ने यह कहा था एस० आर० सी० की रिपोर्ट के कारण हम तहसीलों के पुनर्गठन सम्बंधी जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं और आप यह फरमा रहे हैं कि वह रिपोर्ट अप्रेल में आ जायगी, तो कौन सी बात सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों ही सही हैं। इस पर एक्शन तभी लिया जायगा जब कि एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। I never said that it will be published.

प्रश्न संख्या १५२

महकमा हैसियत कोर्ट व कोर्ट आफ वार्ड्स तोड़ने संबंधी

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि महकमे हैसियत कोर्ट व कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स तोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस तारीख से उपरोक्त महकमे तोड़े गये हैं उसके बाद भी जो पोते बाकी रकम है उसको सरकार खर्च कर रही है ?

(ग) क्या इस पोते बाकी रकम को सरकार जागीरदारान के सुपुर्द कर रसीद ले चुकी है ?

(घ) क्या नागौर जिले में उपरोक्त महकमे के तोड़े जाने के बाद भी सरकार जागीरदारों की रकम को खर्च कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ङ) सरकार इस पोतेबाकी की रकम को कब तक जागीरदारान को दे देने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) महकमा हैसियत कोर्ट व कोर्ट ऑफ वार्ड्स अभी नहीं तोड़े गये हैं।

(ख) चूंकि महकमे नहीं तोड़े गये हैं इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन जिन ठिकानों से इंतजाम हटाया गया है उनके हिसाब का रिकोंसीलियेशन न होने के कारण ज्यादातर ठिकानों को अभी पोतेबाकी की रकम नहीं दी गई है।

(घ) क्योंकि महकमे नहीं तोड़े गये इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हिसाब की जांच होने के बाद जो ठिकाने इंतजाम से मुक्त हो चुके हैं, उनकी जो रकम वाजिब कायम होती है दे दी जाती है।

श्री भोपालसिंह—जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स व हैसियत से हटा दिये गये हैं उनकी रकम को खर्च करने का अधिकार है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स से हट गये हैं उनकी रकम को खर्च नहीं कर सकते, हिसाब मिलाने में तो टाइम लगता है।

श्री भोपालसिंह--नागौर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हैसियत बहाल है और रकम दी जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नागौर में इस वक्त ३६ ठिकाने तो कोर्ट ऑफ वार्डस से निकल गये हैं, १८ ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत हैं। उनमें रकम दी जाती होगी। जो मुक्त हो गये उनकी नहीं दी जाती है।

श्री जसवंतसिंह—क्या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी जिनको कोर्ट ऑफ वार्ड की हैसियत से मुक्त कर दिया है, फिर भी उनकी रकम दी जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें तो जरूर एक्शन लिया जा सकता है।

श्री जसवंतसिंह—जिन ठिकानों की रकम को कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने दूसरे आसामियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या डूब गई है तो क्या अब उनको कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त करने पर जिन जिन को रकम दिलाई है, उस रकम को दिलवाने की क्या सरकार की जिम्मेदारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उस रकम को दिलवाने के लिये कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त हो गये हैं उनके लिये।

श्री जसवंतसिंह—मेरा तो यह सवाल है कि क्या सरकार अपने आपको बाध्य समझती है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—जब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तहत कोई ठिकाना रहता है, तो उस वक्त कोई रकम रह जाती है तो वह रुपया सरकार वसूल करवाने की कार्यवाही करती है। आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें कि किस ठिकाने की रकम की तरफ सरकार ने तवज्जोह नहीं दी है। कोर्ट आफ वार्ड्स से मुक्त होने पर कानूनी कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके लिए अदालत में चाराजोही करने के।

श्री जसवंतसिंह—इसमें जागीरदार का क्या कुसूर है जब कि वह कोर्ट ऑफ वार्ड्स की हैसियत से जो रकम किसी में रह गई है तो वह तो सरकार ने इनवेस्टमेंट किया है; सरकार को वसूल करके देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—गवर्नमेंट के पास जिस किसी की भी रकम जमा रहती है वह नेकनीयती से इनवेस्ट करती है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार डिफिकल्टी उसकी वसूली में होती है तो कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।

Page No.19

प्रश्न संख्या १५३

समाज कल्याण विभाग के अकाउन्ट्स इन्सपेक्टर्स के दौरे व निरीक्षण

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग में कितने अकाउंट्स इंसपेक्टर्स हैं और वे कहां कहां नियुक्त हैं ?

(ख) इन इंसपेक्टर्स ने गत दो वर्षों में कहां कहां का दौरा तथा निरीक्षण किया ?

(ग) इन इन्सपेक्टर्स की क्या ड्यूटी है और अब उनसे क्या २ काम लिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) समाज कल्याण विभाग में तीन अकाउंट्स इंसपेक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति निम्न प्रकार है :

(अ) संचालक के कार्यालय में— १

(ब) प्रादेशिक अधिकारी समाज कल्याण विभाग, बीकानेर कार्यालय में— १

(स) प्रादेशिक अधिकारी समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के कार्यालय में— १

(ख) संचालक, समाज कल्याण विभाग जयपुर के कार्यालय का इंसपेक्टर संचालक के अकाउंट्स को देखता है।

भरतपुर के कार्यालय के इंसपेक्टर के दौरे के कार्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

बीकानेर के इंसपेक्टर की नियुक्ति १।४।५५ से ही हुई है और वह बीकानेर के कार्यालय के एकाउंट्स को देखता है।

(ग) एकाउंट्स इंसपेक्टर की ड्यूटी अकाउंट्स की जांच करना है और इनसे यही काम लिया जाता है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि इन इंसपेक्टरों की नियुक्ति केवल कार्यालयों की देख रेख के लिये हुई हैं ?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.20

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया तीन अलग अलग जगह ये रहते हैं; एक बीकानेर में एक भरतपुर में और एक यहां जयपुर में।

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी इंसपेक्टर में से एक ने भी कार्यालय के अलावा बाहर जाकर ऑडिट नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे सूची आपको दी गई है कि उन्होंने कई जगहों का इंसपेक्शन किया है और वैसे इनके अलावा जयपुर में तीन क्लर्क रखे गये हैं जिनकी रिकांसिलियेशन पार्टी है और तमाम डिवीजन के कार्यालयों के हिसाब को ऑडिट करते हैं और उनका काम महालेखापाल के कार्यालय से हिसाब का मिलान करना भी है।

श्री भैरूं सिंह—डिवीजन के कार्य का निरीक्षण करता है, पर बाहर जिस जिस जगह पैसा खर्च किया जाता है और उसके ऑफिस हैं वहां उस हिसाब का भी करता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप सूची देखेंगे तो भरतपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि जगह ये गये हैं और वहां के हिसाब की भी जांच की है।

श्री भैरूं सिंह—तो क्या इससे यह मान लिया जाय कि भरतपुर के इंसपेक्टर ने यह सब किया, पर बीकानेर, जयपुर ने नहीं किया।

श्री भोगीलाल पंड्या—जयपुर वाले को जरूर नहीं, उन्होंने वहां तीन क्लर्क रख रखे हैं और बीकानेर में है ही।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि बीकानेर में बीकानेर से बाहर जाकर अकाउंट्स का निरीक्षण नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां बाहर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। इस वर्ष सहायता गंगानगर, चूरू में दी गई है तो अब वहां का हिसाब वे देखेंगे।

श्री भैरूं सिंह—तो यह जरूरत किस किस जगह है, यह महसूस करने का काम किसका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विभाग का है।

श्री भैरूं सिंह—तो क्या यह समझा जाय कि बीकानेर में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा कोई खास खर्चा नहीं हुआ जिसका कि जाकर इन्सपेक्टर निरीक्षण करे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खर्चा हुआ है। कुओं के लिये रकम दी गई, और भी खर्चा हुआ। पर पिछले साल निरीक्षक की देर में नियुक्ति हुई थी।

श्री भैरूसिंह—तो नियुक्ति के बाद से उन्होंने कोई निरीक्षण नहीं किया, ऐसी मेरी मान्यता है और मैं यह समझता हूं कि बीकानेर में जो कार्य हुआ उसके हिसाब की जांच करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जरूरत महसूस की गई और वहां के विभाग को, सारे हिसाब को ठीक करके रिपोर्ट भी कर दी ।

श्री भैरूंसिंह—ओन दी स्पोट जाकर अकाउंट का निरीक्षण किया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बीकानेर शहर में किया है । बाहर मदद बाद में दी गई है, उसका निरीक्षण नहीं किया गया है, अब आगे करेंगे । तब वहां की भी रिपोर्ट हो जायगी ।

श्री भैरूंसिंह—बीकानेर के बाहर जो कार्य पहले कराया गया उसका पहले किसी से निरीक्षण कराया गया कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले तो ज्यादा रकम भी नहीं दी गई थी, कूओं के लिये कुछ रकम दी गई थी तो उसके लिये तहसीलदार ही रिकमन्ड करते थे और वही देखभाल करते थे । इस वर्ष छात्रालय खोले गये हैं जिनमें अधिक रकम दी गई है इसलिये इसकी अगले साल जांच करवायेंगे ।

श्री भैरूसिंह—तो पिछले साल जितनी रकम खर्च हुई उसकी जांच केवल तहसीलदार से करवाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री भैरूसिंह—मैं आपको यह सूचित कर दूं कि अभी तक किसी तहसीलदार ने जांच नहीं की है । पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा जितना भी खर्चा किया गया है उसका हिसाब सही है या नहीं, इसकी कोई जांच न तहसीलदार ने की है न किसी और ने ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये आप अलग से पूछ लीजियेगा, आपको उत्तर मिल जावेगा । तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि सारे रुपयों के खर्चे का हिसाब तहसीलदार के पास न आकर संचालक के पास आता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसीलदार के मार्फत भी आता है ।

श्री भैरूंसिंह—तहसीलदार के मार्फत कूओं के लिये रुपया दिया जाता है पर हिसाब सब डाइरेक्टर के पास आता है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—रुपया भेजा जाता है वह तहसीलदार के मार्फत दिला हैं देते और कोई अगर यहां से रुपया ले जाता है तो उसकी भी सूचना तहसीलदार को दे देते हैं। इस तरह तहसीलदार को सब बातों की सूचना देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५४

ग्राम नासिरदा व पनवाड (तहसील दूनी) के ग्रामों की देख रेख

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि ग्राम नासिरदा व पनवाड, तहसील दूनी में कई किले हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे इस समय किसकी देख रेख में हैं ?

(ग) क्या उपरोक्त किलों में कोई मंदिर है ? यदि हां तो वह किसके सुपरविजन में है ?

(घ) क्या सरकार इन किलों और मन्दिरों की मरम्मत वगैरह कराने का बंदोबस्त करती है ?

(ङ) अब इनकी क्या हालत है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—(क) जी हां ?

(ख) राजस्व विभाग की।

(ग) जी हां, तहसीलदार के सुपरविजन में।

(घ) इन पुराने किलों के मंदिरों की मरम्मत में द्रव्य व्यय करने की अभी तो कोई आवश्यकता नहीं हुई ?

(ङ) जैसी इन पुरानी बेमरम्मत पड़ी इमारतों की हालत होनी चाहिए वैसी मामूली सो है।

श्री सरदारसिंह—जब मरम्मत की आवश्यकता नहीं है तो बिलकुल जीर्णावस्था में वे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या औरबाहर के लोगों को कम से कम मन्दिरों को सुधारने और बाहर बनाने की अनुमति देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह नहीं कहा कि मन्दिरों की जीर्णावस्था नहीं है, अलबत्ता पहले जैसी हालत है। एक तरीका रावराजा उणियारा ने बताया वह काम में नहीं लाया गया यह जरूर है। उन्होंने अपने किले तोड़ कर पत्थर व पटिये बेच दीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो क्या सरकार मन्दिरों को धर्मार्थ विभाग में देने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किस मन्दिर से आपका प्रयोजन है, आप तो यह बताइये न ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—नासिरदा के रघुनाथ जी का मन्दिर।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जानकारी करूंगा। कुछ जमीन तो चुनाव में रावराज साहब ने दी थी वही है न ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—नहीं, यह गलत ख्याल है आपका। वह आपके ही क्षेत्र में थी और आपने उसे मेरे यहां थोप दिया।

(हंसी)

अब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रात्रि में उस किले में कोई नहीं रहता, चारों तरफ रास्ते हो रहे हैं और मन्दिर की हालत यह हो रही है कि एक दो दिन में गिरने वाला है। माननीय मन्त्री महोदय उसकी जानकारी तो करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं जानकारी करूंगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कम से कम आप ब्राह्मण हैं इसलिए करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मन्दिर है या नहीं, इसकी जांच करावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने कहा कि हालत मन्दिर की खराब है इसकी जानकारी।

श्री अध्यक्ष—(ग) और (च) से कवर नहीं होता है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने पूछा कि किले और टेम्पल्स हैं।

और हालत मेरी जानकारी में तो खराब है नहीं। पर आप कहते हैं तो और जानकारी कर लूंगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इस मन्दिर में सेवा पूजा भी होती है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न पूछियेगा।

प्रश्न संख्या १५५

पाकिस्तान से आए हुए पुरुषार्थी अध्यापकों को प्राथमिक पाठशाला में लेने सम्बन्धी

श्री भैरोंसिंह (१६)—Will The Education Minister be pleased to state

1. Is it a fact that the Rehabilitation Department of the former Rajsthan State started some primary schools at various places in the State to absorb the refugee teachers who had come from Pakistan ?

2. Is it a fact that the Rehabilitation Department fixed the salaries of some teachers in the year1950 and the remaining teachers were told that their fixation of salaries would be finalised by the Board of officers appointed by the Government for fixation of the teachers ?

3. Is it a fact that in the year 1952 these schools were taken over by the Education Department and uptil now the department has failed to finalise the fixation of the teachers ? If so, why ?

4. What steps does the Government propose to take in future ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, फाइनल ऑर्डर इस बारे में जारी कर दिया गया है और फिक्सेशन का कार्य मई, ५६ के अंत तक समाप्त हो जावेगा।

(घ) प्रश्न नहीं पैदा होता।

प्रश्न संख्या १५६

हरिजनोत्थान हेतु हरिजन बोर्ड की स्थापना एवं उनकी बैठकें

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हरिजनों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा एक हरिजन वैलफैयर बोर्ड बनाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हुई और अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई ?

(ग) यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

(घ) आदिवासी बोर्ड की स्थापना कब हुई और अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सच है, इस बोर्ड का नाम अनुसूचित जाति मंत्रणा समिति है।

(ख) इसकी स्थापना माह अगस्त सन् ५५ में हुई है। अब तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।

(ग) समयाभाव से।

(घ) राजस्थान के आदिवासियों के हितार्थ जनजाति मन्त्रणा परिषद् की स्थापना सितम्बर सन् ५२ में हुई थी। इसकी अभी तक सात बैठकें हो चुकी हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि चार वर्ष तक यह बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगस्त ५५ में ही इसकी स्थापना हुई है। हालांकि इसके पहले भी समय समय पर मीटिंगें बुलाई गईं और इसमें एम०एल०ए० और एम०पी० भी बुलाये गये थे। इसकी मंजूरी बाकायदा ५५ में हुई।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसके बाद से अब तक एक भी मीटिंग न होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जबाव में बता चुका हूँ।

श्री कंवरलल जेलिया—इस बोर्ड की नियुक्ति के बाद में भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, क्या यह सरकार की अकर्मण्यता नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंडया—अकर्मण्यता नहीं, पहले भी इसकी मीटिंग बुलाई थी और आप सभी साहबानों की राय ली गई थी। अब इसकी मीटिंग की घोषणा फिर हो चुकी है, निमंत्रण भी दे दिये गये हैं। २३ मार्च तारीख रखी गई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री **अध्यक्ष**—बताया न।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री पंडया—देर कहां हुई है ? २३ मार्च को हो रही है। जो योजना बनी है और उसका बजट बना है वह आपके सामने रखने वाले हैं।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—जब कि सरकार ने जो आदिवासी बोर्ड स्थापित किया है उसकी अब तक ७ मीटिंगें हो चुकी हैं लेकिन इसकी एक भी नहीं, इसका क्या कारण है ?

श्री पंडया—उस बोर्ड की केन्द्र से मन्जूरी १९५२ में आ गई थी और ५२ से ५६ तक के बीच में ४ साल का अन्तर रहता है और इसमें ७ मीटिंगें हुई हैं। इसकी मन्जूरी अगस्त १९५५ में हुई है और उसकी मीटिंग २३ मार्च को हो रही है।

श्री सिद्धान्तशास्त्री—उस बोर्ड की मन्जूरी पहले आ गई और इसकी देर में, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—अभी बतलाया था।

श्री सिद्धान्तशास्त्री—उसकी पहले और इसकी बाद में आने का क्या कारण है? क्या इसके लिए बाद में लिखा गया था?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस के लिए पहले पूछा था, लेकिन मंजूरी बाद में आई थी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसमें इस सदन के हरिजन मेम्बरों की कोई आवाज नहीं है?

श्री पंडया—आपके सिवाय किसी ने ऐसा नहीं कहा है। आप सबके दिल की बात जानते हैं।

श्री कस्तूरचान्द–जो सरक्युलर माननीय मन्त्री महोदय का आया है उसमें लिखा है कि मीटिंग ६ महीने के अन्दर होगी, तो क्या ६ महीने से ज्यादा नहीं निकल गए?

श्री पंडया—बिल्कुल ठीक ६ महीने के अन्दर ही तो बुला रहे हैं २३ मार्च को।

श्री कस्तूरचन्द—६ महीने से बहुत ज्यादा दिन हो गये।

श्री भैरूंसिंह—अगस्त १९५५ में मन्जूरी हुई है और ६ महीने में अर्थात् फरवरी तक ही बुला लेनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या १५७

श्री कैलाशप्रसाद ओहदेदार खालसा को देवस्थान जयपुर से सैल्फ सपोर्टिंग टैम्पल्स फन्ड्स में से रुपया दिलाना

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या देवस्थान मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या श्री कैलाश प्रसाद ओहदेदार खालसा, देवस्थान, जयपुर विभाग को दि० २२-१२.५३ से २४.६.५४ तक की तनख्वाह देवस्थान विभाग के सैल्फ सपोर्टिंग टैम्पल्स फन्ड से दिलाई गई?

[श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)]

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त समय में श्री कैलाशप्रसाद ने परशुराम द्वारा डाइरेक्ट चार्ज्ड टैम्पल में काम किया ?

(ग) यदि हां तो इस प्रकार तनख्वाह क्यों और किसके हुक्म से दिलाई गई ?

(घ) उपरोक्त व्यक्ति अब कहां काम करता है और उसको तनख्वाह कहां से दी जाती है?

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री, देवस्थान विभाग) (क) जी हां। श्री कैलाशप्रसाद ने परसरामद्वारे का काम किया और देवस्थान विभाग का भी किया।

(ख) देवस्थान कमिशन की आज्ञा से चूंकि इस समय देवस्थान विभाग में दरअसल सेवा की थी इसलिए दफ्तर कामदार की रकम १५ प्रतिशत (अमला इन्तजामिया खर्च) से कमिश्नर देवस्थान के हुक्म से तनख्वाह दिलवाई गई।

(ग) अभी तक यह व्यक्ति ठिकाना मंदिर श्री लाड़लीजी में कार्य करते थे और उसी मंदिर से वेतन पाते थे।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह तनख्वाह दिलाने से पूर्व देवस्थान विभाग के डाईरेक्टर ने सरकार से इस बात की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उनके अधिकार में है, नौकरी रखना और तनख्वाह दिलाना।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी से चार्ज्ड टेम्पल्स का काम करवा लें और देवस्थान विभाग के सैल्फ सपोर्टिंग टेम्पल्स के मद से तनख्वाह दिला दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उन्होंने डाइरेक्ट चार्ज्ड टेम्पल्स का काम किया और देवस्थान विभाग का भी काम किया, इसलिये तनख्वाह दिलाई।

श्री भैरूं सिंह—उनको इस विभाग में लगाने की क्यों आवश्यकता हुई ? किस ऑर्डर से उनको लगाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कार्य की आवश्यकता से लगाया गया था।

श्री भैरूं सिंह—इस विभाग में १५ परसेन्ट जमा रहता है उससे दिया गया है। देवस्थान डिपार्टमेन्ट से नहीं देना पड़ा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—डाइरेक्ट चार्ज्ड टेम्पल्स का खर्चा जो १५ प्रतिशत रकम जमा होती है तो मदिरों के हिसाब की जांच के लिए और देख-रेख के लिये जो अहलकार रखे जाते हैं तो उसमें से उनको दिया जाता है।

श्री भैरूं सिंह—सैल्फ सपोर्टिंग फन्ड से जो तनख्वाह दिलाई गई हैं उसके किसी रजिस्टर में ऑर्डर या किसी ऐसी बात का संकेत नहीं है कि उन्होंने चार्ज्ड टेम्पल में काम करते हुए देवस्थान डिपार्टमेन्ट का काम किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—देवस्थान डिपार्टमेन्ट का काम जरूर किया है। क्या काम किया है, इसकी जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री किशनलाल शाह—क्या एक डिपार्टमेन्ट का कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेन्ट में भेजा जा सकता है?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह डिपार्टमेन्ट एक ही है और मुलाजिम को भी एक ही डिपार्टमेन्ट से तनख्वाह दी गई है।

श्री किशनलाल शाह—एक ही आदमी को अलग सर्विसेज़ का काम क्यों दिया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक ही डिपार्टमेन्ट में एक ही मुलाजिम को मुख्तलिफ काम दिये जा सकते हैं। एक जगह काम नहीं है तो दूसरी जगह लिया जा सकता है।

श्री किशनलाल शाह—तो क्या प्रोपोर्शनेटली दोनों आइटम एडजस्ट नहीं किये जा सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—देवस्थान का वह मुलाजिम था और देवस्थान से ही तनख्वाह दी गई है। प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करने का कोई सवाल नहीं रहता है।

श्री भैरूं सिंह—आपने यह कहा कि डाइरेक्ट चार्ज्ड टेम्पल्स का काम करते हुए जो १५ प्रतिशत से तनख्वाह दिलवाई गई है तो क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को १५ प्रतिशत के फन्ड से तनख्वाह दी गई है और जो कम थी वह देवस्थान से दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं। वह तो १५ प्रतिशत का जो फन्ड जमा होता है उसमें से उनकी जो तनख्वाह थी वह दी गई है। कमी बेशी का सवाल नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि डाइरेक्ट चार्ज्ड टेम्पल्स का १५ प्रतिशत इस विभाग में जमा होता है, उसमें से या सैल्फ सपोर्टिंग फन्ड में से काटकर उक्त कर्मचारी को तनख्वाह दी जाय इसका उसकी नियुक्ति में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कर्मचारी की नियुक्ति के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उक्त कर्मचारी ने परशुराम द्वारे का भी काम किया और खास तौर से आपने जिसका जिक्र किया है श्री कैलाश प्रसाद के लिए वह देवस्थान विभाग का भी कार्य करता था। उनकी नियुक्ति देवस्थान कमिश्नर की आज्ञा से हुई और तनख्वाह दिलाने की आज्ञा उस १५ प्रतिशत में से हुई थी।

(घंटी)

श्री भैरूंसिंह—सिर्फ एक प्रश्न।

क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के कमिश्नर ने इस बात की जो आज्ञा प्रदान की है वह इस तारीख के गुजरने के बाद की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस वक्त तो तारीख मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बाद में बता सकता हूँ।

प्रश्न सख्या १५८

समाज कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑफिसर्स व इन्सपेक्टर्स का कार्य करने वाली महिलायें

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) समाज कल्याण विभाग में इस समय कितनी महिलायें वेलफेयर ऑफिसर्स का और इन्सपेक्टर का कार्य कर रही हैं ?

(ब) क्या वे हरिजन हैं ?

(स) इनकी तनख्वाह का स्केल क्या क्या है ?

(द) महिला वैलफेयर ऑफिसर ने अब तक कहां कहां दौरे किये तथा हरिजनों में क्या क्या कार्य किये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)—(अ) एक महिला वेलफेयर ऑफिसर के पद पर है। महिला इन्सपेक्टर कोई नहीं है।

(ब) नहीं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) इनकी वेतन श्रृंखला २००–२०–३०० ई. बी. २०–४०० है ।

(द) दौरे का कार्य क्रम इस प्रकार है :

उदयपुर, चित्तौड़, अलवर, राजगढ़, दौसा, सांगानेर, दुर्गापुरा, बाडदेवरी, चमारों की बस्ती, खैरवाड़ा, डूंगरपुर, भतरी, बीरकुंडली, सिंमलवाड़ा, नाथद्वारा, कांकरोली, राजनगर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, गढ़ी, भरतपुर, डीग, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड, बारां और चौमू ।

जयपुर में—

नाहरगढ़, हसनपुरा, तोपखाना, घाट दरवाजा, ब्रह्मपुरी, हरिजन तथा कोली बस्ती, चांदपोल, बगसाले की बावड़ी, हीदा की मोरी, घोड़ा निकास, अस्पताल, लाल कोठी, हरिजन बस्तियों का दौरा किया ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह जो महिला वेलफेयर ऑफिसर्स नियुक्त की गई हैं उनकी क्या योग्यता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एम. ए. हैं ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—सोश्यल वर्क क्या किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह उनका एक विषय था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि इनके पद पर किसी और को लगाया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं ।

श्री भैंरू सिंह—क्या इनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमिशन के मारफत हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, जब वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मन्जूर की जायंगीं तो रहेंगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—अब तक इस विभाग में कितनी हरिजन महिलाएं काम कर रही हैं ?

श्री भोगी लाल पंड्या—कोई नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—कितनी और महिलाएं काम कर रही हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दो और हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—हरिजन महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यक होगा तो उनको रख लिया जायगा। पढ़ी लिखी हरिजन बहिन मिलेगी तो रखेंगे।

श्री भैंरू सिंह—क्या इस पद के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, पी. एस. सी. करेगी।

श्री भैंरू सिंह—आपने कैसे कहा कि हरिजनों में इस प्रकार की महिलाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई दरख्वास्त नहीं आई है उनकी।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई एडवर्टाइज़मेंट नही देने के कारण कई महिलाएं दरख्वास्त देने से वंचित रह गई और केवल एक की नियुक्ति हो गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंन्ट निकालेगा तो वे अपनी अर्जियां दे सकेंगी। जो जगहें मन्जूर हुई थीं उस पर जल्दी से नियुक्ति करना था ताकि काम रूके नहीं, इसलिए अभी उनको अस्थायी रुप से रख लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब वह जायेंगी तो अगर दूसरी उनसे अच्छी मिलेंगी तो उनको रख लेंगे।

श्री भैंरू सिंह—क्या एक महिला के अलावा और किसी की दरख्वास्तें नहीं आई हैं ?

श्री भोगीलाल पांड्या—जी हां, उस समय कोई नहीं आई थीं बादमें एक आई थी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या ये यहां की रहने वाली नहीं हैं और राजस्थान की नहीं, बल्कि मध्यभारत की रहने वाली हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या ?

श्री अध्यक्ष—वे मध्यभारत की बताते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—अब यह तो इतना सारा मैं नहीं जानता हूं। इतना मैं जानता हूँ कि उनके पिताजी राजस्थान के हैं और उनके पति राजस्थान के हैं। बाकी वे कहां की हैं, यह आप जानते हैं।

श्री भैंरू सिंह—जिन महिला महोदया की दरख्वास्त आई थी उन्हें डाइरेक्टर ने कहा था या स्वयं ही उन्होंने इस प्रकार की दरख्वास्त दी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ कि उन्होंने स्वयं डाइरेक्टर को अर्जी दी थी या डाइरेक्टर ने मांगी थी तब उनकी अर्जी आई थी। मैं यह जानता हूं कि उनकी अर्जी आई थी और वे रखी गई हैं अस्थायी तोर से।

श्री भैंरू सिंह—दो दरख्वास्तें और भी आई थीं, तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह एक दरख्वास्त और दो दूसरी दरख्वास्तें वे डाइरेक्टर के मंगवाने से आई थीं या तीनों ने अपने आप भेजी थीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी दरख्वास्त मेरे पास आई थी और वे मैने डाइरेक्टर के पास भेजी थीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि वे दौरा करने में असमर्थ रही हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे जिलों की तफसील मैंने आपको बता दी. फिर भी आप कहते हैं कि दौरा करने में असमर्थ वे अपने आपको समझती हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एडवरटाइजमेंट देने में और एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने के बारे में नहीं लिखा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह एक अलग प्रश्न है।

श्री भैंरू सिंह—इनकी नियुक्ति स्थाई हुई थी या अस्थाई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अस्थाई।

श्री भैंरूसिंह—कितने दिनों के लिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—६ महीने के लिये।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि वे ६ महीने पूरे हो चुके हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख मुझे याद नहीं है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि इनके ६ महीने पूरे हो चुके हैं तो सरकार इनको हटाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो आवश्यक होगा वह कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह सही है कि इनका एक्स्टेन्शन कर दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो किया जा सकता है वह किया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—किया गया है या नहीं किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे पूरा मालूम नहीं है। दुबारा पूछ लीजिये।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या १५६

(श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा पूछा गया)

दिसम्बर ५५ में आये रूसी अतिथियों के स्वागत समारोह पर व्यय हुई धन राशि

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर में गत दिसम्बर, १९५५ में आये रूसी अतिथियों के स्वागत समारोह पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) उक्त खर्च के मुख्य २ मद क्या थे और एक एक मद पर कितना खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—रूसी अतिथियों के स्वागत समारोह पर कुल २,५८,२०० खर्च हुए हैं।

(ख) उक्त खर्च के मुख्य मुख्य मद पर जो खर्चा हुआ है उनके आंकड़े इस प्रकार हैं—

		रुपये
१.	रोशनी	४०,२८८
२.	सजावट	१,१३,५९७
३.	प्रचार कार्य	१४,४५०

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

४.	यातायात प्रबन्ध	१३,५००
५.	निवास तथा भोजन प्रबन्ध	२६,१५०
६.	अतिथियों की भेंट सम्मान	३६,०००
८.	स्वागत प्रबन्ध	१४,२७५
	कुल	२,५८,२००

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या जो २६ हजार की भोजन तथा निवास की व्यवस्था के लिये व्यय हुए उसमें बेन्क्वेट भी सम्मिलित हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है कि बेन्क्वेट का इसमें सम्मिलित नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान सरकार द्वारा वह खर्चा हुआ था या श्रीमन् राज-प्रमुख ने ही वह खर्चा किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिये देने में असमर्थ हूं।

(हंसी)

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि इन रुपयों में वह धन राशि भी सम्मिलित है जो कि भारत सरकार से मिली थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भारत सरकार से कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

प्रश्न संख्या १६०

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भवानीसहाय—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—आपका ही नहीं रहा, दूसरों के भी और रह गये हैं। जरा जल्दी आने की आदत डालिये।

श्री भवानीसहाय—जल्दी तो आ ही जाता हूँ लेकिन कभी देरी हो ही जाती है।

श्री अध्यक्ष—Order please. !

(विराम)

फिर रिपीट कर दूं । श्री भोपालसिंह ।

प्रश्न संख्या १४१

आलीनियावास (त. डेगाणा) के सायर व थाने के भवन, पंचायत भवन व पटवारी हैडक्वार्टर हेतु देने की व्यवस्था

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार आलीनियावास, तहसील डेगाणा, के सायर व थाना के मकानात को पंचायत भवन व पटवारी हैडक्वार्टर के लिये देने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक और किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) अभी इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय नहीं पहुँचा ।

(ख) जिस समय निर्णय होगा उस समय आधार के बाबत भी तय कर लिया जावेगा ।

श्री भोपालसिंह—निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी ही हो जावेगा, आवश्यकतानुसार ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि कस्टम्स के जितने मकानात थे वे कलेक्टर के अन्तर्गत कर दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, कलेक्टर के अन्तर्गत कर दिये गये हैं।

श्री भेरूसिंह(१६)—इन मकानात के देख रेख की कैसी व्यवस्था कर रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जैसे सरकार के और जो मकानात है वैसी ।

श्री भैरूसिंह—जब सरकार की ओर से कोई अलग ओहदेदार नहीं है तो कैसे देखरेख होती होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आपका गलत खयाल है ।

श्री भोपालसिंह—अब किसके अधिकार में हैं ?

श्री दामोदर व्यास—जितनी कस्टम्स की चौकियें थी उनका अधिकार कलेक्टर ने ले लिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, १४६.

प्रश्न संख्या १४६

राजगढ़ (त. अलवर) पिछले चार माह में किये गये स्थानान्तर

श्री भवानी सहाय—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगें ;

(क) पिछले चार महीनों में तहसील राजगढ़ (अलवर) में कितने तहसीलदारों के स्थानान्तरण हुए हैं और वे स्थानान्तरण कितने कितने समय के बाद हुए हैं ?

(ख) इनमें से कितने तहसीलदारों को प्रत्येक को, अलग अलग कितना कितना टी. ए. व डी. ए. दिया गया है ?

(ग) इस तहसील के तहसीलदार कुरेशी के स्थानान्तरण की आज्ञाएं कितनी बार हुई और रद्द हुई, इसके कारण क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री)— (क) पिछले चार महीनों में तहसील राजगढ से केवल एक तहसीलदार श्री कुरेशी का स्थानान्तरण तहसील टोडारायसिंह हुआ। तारीख १८. ८. ५५ को श्री कुरेशी बीमारी के बाद एक लम्बी रुख्सत से वापिस अलवर जिला तहसील राजगढ में श्री रघुवरदयाल की जगह लगाये गये क्योंकि श्री रघुवरदयाल को बन्दोबस्त का अनुभव होने के कारण महकमा बन्दोबस्त में तैनात किया गया और श्री कुरेशी के तबादले के वक्त श्री रामानन्द, नायब तहसीलदार राजगढ़ ने उनका चार्ज सम्हाला और वहां तारीख २२. १. ५६ तक तहसीलदार का कार्य करते रहे। मगर चूंकि श्री रामानन्द नायब तहसीलदार का प्रोमोशन का नम्बर आ गया था इसलिए उनकी तैनाती जंगलात के बन्दोबस्त में बतौर तहसीलदार कर दी गई और उनकी जगह श्री मोहनसिंह को बांसर से राजगढ में तहसीलदार मुकर्रर किया गया. जो अब तक काम कर रहे हैं।

(ख) श्री मोहनसिंह ने १७२ रुपये का टी. ए बिल पेश किया है जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ।

(ग) श्री कुरेशी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया था।

श्री भवानी सहाय—यह कुरेशी साहब के टी. ए., डी. ए. का सवाल नहीं दिया जी ? कितने कितने तहसीलदारों के स्थानान्तरण हुए हैं, यह पूछा है। अलग अलग टी. ए., डी. ए. के है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सिर्फ तबादला एक हुआ। श्री कुरेशी की जगह श्री मोहनसिंह को भेजा गया। श्री कुरेशी चले गये, मानसिंहजी वहां गये थे, तो उन्होंने १७२) का टी. ए. बिल पेश किया है जो कि भुगतान नहीं हुआ हैं। कुरेशी का टी. ए. बिल हुआ है या नही इसकी सूचना नहीं है, जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भवानीसहाय—कुरेशी का कई दफा तबादला हुआ है इसलिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री कुरेशी का एक दफा ही तबादला हुआ है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—टी. ए. का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच की जा रही है और मिलेगा।

श्री भैरुसिंह (१६)—श्री कुरेशी के लिए आज्ञायें कितनी बार जारी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सवाल सिर्फ तबादले का पूछा है और आज्ञाओं का नहीं पूछा है।

श्री भैरूसिंह—अगर आप देखें तो आज्ञायें मोजूद हैं।

श्री भवानी सहाय—कितनी बार उनके लिए हुक्म हुआ कि फलां फलां जगह जाओ और कितनी बार केन्सल किया गया।

(विराम)

श्री मानसिंह—सवाल नहीं पढा है, अध्यक्ष महोदय।

श्रीदामोदरलाल व्यास—कुरेशी का तबादला टोडारायसिंह हुआ है और बीच में फुलेरा हुआ था, उसको केन्सल कर दिया गया था प्रशासनिक कारणो से।

श्री जसवन्तसिंह—फुलेरा क्या बीच में पड़ता है इसलिए ?

(हंसी)

श्री भवानी सहाय—क्यां प्रशासनिक कारण थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कारण प्रशासनिक थे जो बताये नहीं जा सकते है।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

जन लेखा व प्राक्कलन समितियों के लिये आज निर्वाचन होने सम्बन्धी अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं एक घोषणा कर दूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के आज मतदान हो रहे हैं जिनका समय ८।। बजे से १२ बजे तक का रखा गया था । चूंकि उस समय यह बात ध्यान में थी कि सदन का सम्मेलन प्रातःकाल ही होगा किन्तु अब समय में परिवर्तन हो गया है जो कि ११ से ५ बजे तक का रहा है इसलिए उक्त कमेटीज के मतदान के लिए समय आज ८।। बजे प्रातःकाल से सायंकाल ५ बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

मांग संख्या ९—सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष—Demand No. 9, Major head 25-Genral Admin istration.

श्री मानसिंह महार—जवाब देना है

श्री अध्यक्ष—अच्छा ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस डिमान्ड के बारे में जब मैंने भाषण दिया था उस समय भी मुख्य मंत्री महोदय ने दूसरों के टीपे हुए नोटिस पर ही जवाब दिया था और इस समय भी दुर्भाग्य वश वे यहां नहीं हैं ।....

श्री मथुरादास माथुर—वे आ गये हैं ।

श्री मानसिंह महार—(जारी) अब वे आ गये हैं इसलिये यह न कहकर सीधा ही चलता हूँ । इस मांग संख्या ९ पर मेरे १० कटौती के प्रस्ताव हैं, अध्यक्ष महोदय । मुझे शायद यह समझ कर कि मैं कांग्रेस का एक सदस्य हूँ, और कांग्रेस के सदस्यों में से जो कोई कटौती प्रस्ताव रखते है उनको वे वापिस लेने ही पड़ेंगे इस वजह से शायद उन्होंने जवाब देते समय उनको देखा तक नहीं, मेरा भाषण नहीं सुना सो तो नही सुना, लेकिन मेरे कटोती प्रस्ताव देखे तक नहीं । इसलिय मैं एक दो मांगें, जिनका जवाब देना शायद वे भूल गये उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Only by way of reply the Hon'ble member is not entitled to raise new points.

श्री मानसिंह महार—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Not a single new point to be raised. nor the old ones to be repeated.

श्री मानसिंह महार—(जारी)उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—उपाध्याक्ष नहीं।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्षजी, सदन के समक्ष मैंने कुछ कटोती के प्रस्ताव रखे थे उनके जवाब में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि सर्विसेज में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। लेकिन मैं यह बात कहता हूं कि इनकी इस तरह की बात कह कर मुख्य मंत्रीजी इस बात को चरितार्थ करेंगें जैसे कोई आदमी अमावस्या की मध्य रात्रि में यह कहे कि सूर्य कितनी तेजी से चमक रहा है। यदि इस बात को माना जा सकता हैं तो मुख्य मंत्रीजी के इस कथन को भी माना जा सकता है कि यहां पर सर्विसज में पक्षपात नहीं चलता है। यह बात आज सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ लेकिन राजस्थान का बच्चा बच्चा कहता है कि सर्विसेज में कितना बड़ा पक्षपात है ? यह कहना कि पक्षपात नहीं है ठीक नहीं हैं। यह मैं जानता हूँ कि मेजोरिटी से आप चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन आप सत्य को छिपा नहीं सकेंगे, ज्यादा देर तक कभी नहीं छिपा सकेगें। पहली बात मुझे जो कही गई कि पक्षपात नहीं है, मैं कहता हूँ कि यह सरासर गलत है। राजस्थान में सर्विसेज में बहुत पक्षपात है। यदि इसे दूर नहीं किया गया तो अच्छा नहीं होगा।

दूसरा कटोती का प्रस्ताव पे स्केल्स के संबंध में था। मैंने यह निवेदन किया था कि आपने जो पे स्केल्स रखे हैं उनसे आर. ए. एस. ऑफिसर्स में असंतोष है। आर. ए. एस. ऑफिसर्स के साथ हमारा जीवन-मरण का संबंध है। हमारे जीवन मरण का जितना प्रश्न आर. ए. एस. ओफिसर्स के हाथ में है उतना कॉलेज के प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स या दूसरे ऑफिसर्स के हाथ में नहीं है, इस बात को आप मत भूलिये। सदन में कोई बात कही जाती है तो मुख्य मंत्री का रवैया अमूमन यह रहता है कि क्योंकि यह बात हाउस में कह दी गई है इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। हम कहते हैं वह मत सुनिये, गलत बात कहते हैं तो मत सुनिये। विनम्रता से कहते हैं फिर भी आप नहीं मानें तो विनम्रता उग्रता का रूप धारण कर सकती है। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। × ×

श्री अध्यक्ष—The language used should be dignified. This House has got its dignity and the language which the Hon'ble Member uses should be also dignified. I order that the whords w i ch he has used should be expunged and I call the Member to order.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं कटोती प्रस्ताव के जरिये सरकार द्वारा किये जाने वाले तबादलों में अनियमितता और प्रोमोशन्स के बारे में किये जाने वाले पक्षपात के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैं जवाब में यह आशा करता था कि निश्चित रूप से जवाब दिया जायगा लेकिन सुनने को यह मिला कि यह सवाल बार बार क्यों उठाया जाता है ?

× × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाया गया।

[श्री चांदमल मेहता]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार सवाल उटने के दो मुद्दे हैं। पहला यह कि यदि कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, अनियमितता नहीं हुई है तो उसका जवाब मिल जाय ताकि सर्विसेज़ और पब्लिक में इसके कारण जो असंतोष है वह दूर हो जाय और यदि वास्तव में पक्षपात हुआ है तो वे जान लें कि सदन इसके प्रति जागरूक है इसलिये न किया जाय। इसलिये मैंने ये पोइन्ट्स उठाये थे। आई. ए. एस. में प्रमोशन देने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। सवाल यह है कि जो एक बोर्ड सिलेक्शन के लिये हैं उसके अध्यक्ष भारत सरकार से आते हैं और उसमें पांच सदस्य अपने यहां के हैं। उनके सामने नाम कौनसे थे? यदि उनके सामने वे सब नाम थे जो आर. ए. एस. की लिस्ट में थे तो कहा जा सकता है कि निष्पक्षता से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वे सब नाम उनकी नोलेज में नहीं होंगे। सिलेक्शन करते समय सरकार की ओर से कुछ नाम भेजे गये थे और उनमें से सिलेक्शन हुआ इसलिये जाहिर है कि जो नाम भेजे गये उन्हें भेजने में पक्षपात किया गया और बोर्ड के सामने जो नाम आये उन्हीं के आधार पर सोच कर फैसला किया गया। अब यह कहा जाय कि सरकार ने अपनी ओर से जो नाम भेजे वे टीक भेजे गये; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नाम भेजे गये और जिनका सिलेक्शन हुआ उनके नाम लिस्ट में ३५,३७ और ६४ पर हैं। इस लिस्ट में कुल ८७ नाम हैं। पहला आदमी जो सिलेक्ट हुआ है उसका नंबर है ३५, पहले के ३४ आदमी गायब हैं है और ६४ के पहले तो न जाने कितने नही आये। उनमें से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको सरकार ने महत्वपूर्ण जगहों पर उनको काबिल मानकर रखा है। श्री भवानीसिह रानावत जिनको रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। जिनका सिलेक्शन आई. एस. के स्थान पर हुआ है वे लोग कलेक्टर बने और उनकी अपीलें सुनने वाला आदमी आई. ए. एस. में सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसी हालत में या तो उनका नाम नहीं भेजने में सरकार ने गल्ती की है या अगर नाम भेजने में गल्ती नही की है तो उनको ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त करने में गलती की है; चाहे राजस्थान सरकार ने गलती की है या और किसी ने गलती की है।

श्री अध्यक्ष—It is not healthy in the interest of the house and in the interest of good administration to name the officers and discuss their actions on the floor of the House. So I will rather request the members to generalise matters rather than going into the details of the merits of individual officers' actions.

श्रीचांदमल मेहता—उपाध्यक्षजी,नहीं; अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की आवश्यकता इसलिये हुई कि मैं कुछ कहूं उसके पीछे प्रमाण है और वास्तविक तथ्य········

श्री अध्यक्ष—There are ways and methods for it which are more dignified than naming the officers.

Page No.41

श्री चांदमल मेहता—मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की ओर से यह निश्चित घोषणा की जावे या साफ तौर से स्पष्टीकरण किया जावे कि आई. ए. एस. के सिलेक्शन के वक्त आधार यह था और यदि इस संबंध में भारत सरकार के इन्सट्रक्शंस या आदेश हैं तो वे भी बताये जावें ताकि गलत फहमी दूर हो जाय।

दूसरा मेरा प्रस्ताव आर. ए. एस. से ताल्लुक रखता है। यह निश्चिय है कि आर. ए. एस. की भर्ती के लिये इम्तहान होते हैं लेकिन ५ आदमियों को बगैर इम्तहान के ले लिया, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिये लोगों में गलतफहमी है और चर्चा है कि मंत्री जी के कोई रिश्तेदार थे जिनको लेना था, राजस्व मंत्रीजी के एक रिश्तेदार को लेना था। क्या इसके लिए आर. ए. एस. के इम्तहान की आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यकता है तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है? पी. एस. सी. के निर्णय के खिलाफ आचरण किया गया है। जो आदमी पी. एस. सी. में असफल हो गये या बैठे नहीं उनको मौका दिया गया उनके मुकाबले में जो सफल घोषित हुए और वह भी उनको एक साल पहले ग्रेड दी गई यह मैंने चर्चा की थी। इसका संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलने से यह असंतोष का कारण बना हुआ है। बहुत सी बातें टाली गई हैं। आर. ए. एस. के लिये शर्त यह थी कि निश्चित योग्यता वाले आदमी चाहिये। यदि उपयुक्त योग्यता वालों को नहीं लेते है तो मैं समझता हूँ, यह भूल है। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दे दिया है इसलिये मैं नाम की चर्चा नहीं करूंगा नहीं तो नाम लेकर बताता कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिये और उपयुक्त क्वालिफिकेशंस नहीं होते हुए भी उनको रखा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—तो मैं नम्रता पूर्वक माननीय चीफ मिनिस्टर से, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत निवेदन करूंगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, चाहे वह किसी रूप में हुआ इस सम्बन्ध में आगे न जाते हुए सदन में निश्चित रूप से आश्वासन दें और घोषणा की जावे कि इस तरह की अनियमितता आयन्दा नहीं होगी और जिन्होंने आर. ए. एस. और आई. ए. एस. में जो ए. एस. सी. में गड़बड़ी हो जाती है नहीं की जावेगी, इस तरह की घोषणा करें। मैं आशा करता हूं कि वे इस तरह की घोषणा करेंगे और इस आशा के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर कटौती के प्रस्तावों का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिक्र करते समय कुछ मुद्दे मुख्य मन्त्रीजी ने उठाये और जो मुद्दे उठाये उन मुद्दों की ओर संकेत करते हुए मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं। जहां तक कर्मचारियों की तनख्वाहों का प्रश्न है उन्होंने एक ही पहलू पर जोर दिया और वह पहलू यह था कि वाजिब नहीं होते हुए भी हमारे पास साधन कहां है। साधनों की कमी होने के कारण ही हमने इस आधार पर किये हैं और आगे चल कर जब साधन होंगे तब सम्भवतः पुनः विचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि यह जो दृष्टिकोण उन्होंने रखा वह अमली तौर पर गल्ती के कारण हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो। यू० एन० ओ० में इन सबों ने एक सिद्धांत को स्वीकार किया और वह यह कि इन्सान को इन्सान के लायक रहने के अनुसार जब तक उपलब्ध नहीं हो तब तक ऐसा दृष्टिकोण रखना कि इनके द्वारा प्रगति होगी, यह गल्त है। लिविंग वेज स्टेन्डर्ड के बारे में भारत सरकार की रिकमन्डेशन है उसके यह विपरीत पड़ता है। जैसा मैंने निवेदन किया उस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि आज जो तनख्वाहों का वितरण किया गया है उसको अगर १६४६ की कीमतों पर डाला जावे तो आपको मालूम होगा कि प्रति फेमिली १२ रुपया निकलेगा और प्रति व्यक्ति केवल दो रुपया निकलेगा। इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया।

आपने मंहगाई के बारे में कहा कि यह अलग प्रश्न है। मैं मानता हूं कि कुल मिला कर जो व्यक्ति की आमदनी होती है उसको आंकना है। इसलिये इसको अलग प्रश्न कह कर टाल देने से समस्या का हल नहीं हो सकता। आज सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है? यह तो आप उनकी सभाओं में जो प्रस्ताव पास हुए हैं और उनकी वह सूचना सरकार के पास लगातार पहुंचती रहती है उन प्रस्तावों के जरिये साफ हो जावेगी। तो मैं यह निश्चित तौर पर समझता हूं कि जो वेतन आपने अभी रखे हैं उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने अपने कटौती के प्रस्तावों द्वारा अपनी इच्छा सदन में व्यक्त कर दी है और इच्छा ही व्यक्त की जा सकती है। दूसरा प्रस्ताव मेरी कटौती का था उस सिलसिले में कई बातें कही गईं, उसका सम्बन्ध था एक भूतपूर्व मन्त्री महोदय के ट्रेक्टर के प्रयोग से। मुख्य मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि यह आपका इन्टरप्शन हो सकता है। जब मैंने इसका जिक्र किया तो आपने यह कह दिया, आपका इन्ट्रप्शन हो सकता है। इन्ट्रप्शन नहीं, जब वह उसके एवज में काम करने के लिये भेजा गया और चूंकि उसको अपनी ड्यूटी की इतिला देनी थी और उसे वेतन उठाना था इस वजह से कुछ रेकर्ड में एन्ट्री कर दी। तब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि यह आपका इंट्रेपशन हो सकता है। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि सरकार इस बात को माने। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने आपके जरिये सदन के सामने दो मिसालें प्रस्तुत करूंगा जिसके जरिये यह साबित हो जावेगा कि यह मेरा इन्ट्रपशन नहीं है, यह असलियत है। (१) एक आर्डर नम्बर १८।जी. ओ. बी. ६।५५ तारीख १-७-५५ का है यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एसिस्टेन्ट फोरमैन का है। इसमें श्री सैतानसिंह बोरर को यह हुक्म दिया गया है:

"You are ordered to proceed at the farm of hon. Shri Kumbha Ramji at Durgapura for operating the cater pillar D-4 Tractor with bull

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

dozer. Shri Abdul Bhai will hand over the tractor to you. You should take the following staff with you"

इसके आगे

"All the materials required by you may be taken from there. If not available, it may be asked from the Farm Manager, Durgapura." यह सरकारी ऑर्डर है। "It may be asked from the Farm Manager, Durgapura"

ओर्डर के नीचे यह लिखा है :

"Shri Abdul Bhai to hand over the tractor with tools, etc. to Shri Shetan Singh as Shri Nazeer Ahmed has sent an application & in presence of him he was on duty."

तो नजर आता है कि वह ड्यूटी पर चला जाय। अब्दुल भाई को यह हुक्म है कि वह टैक्टर को सैतानसिंह को हेंड ओवर कर दे और वह ड्राइवर नहीं। तो यह इस हुक्म से साबित होता है और जैसा मैंने कहा कि उसने अपनी ड्यूटी का चार्ज लेने के लिये यह एन्ट्री की। इसलिये इसमें वह लिखता है "To,—The Asstt. Agriculture Engineer, Govt. of Rajastan, Jaipur.

Sir,

I am going to Durgapura for land levelling work at Shri Kumbha Ramji's farm by order AE-G.O B /6/55 dated 1-7-1955"

जो मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया :

"Kindly mark me on tour,

Thanking you Sir.— Shatan Singh

1-7-55"

और इसमें कहीं एक क्लर्क की एन्ट्री की गई है। १२-७-५५। ये असली कागजात हैं।

अब ऐसी स्थिति में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कागज दिखा चुका हूँ, यह कहना कि यह तो आपका इन्ट्रूशन हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह इन्ट्रूशन की बात नहीं यह सरकारी हुक्म की बात है। अब यदि यह समझा जावे कि विभाग का इरादा निश्चत तौर पर यह था कि निश्चित तौर पर एक ढंग से काम किया जावे और बिल बना दिया जावे तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी। मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इन दिनों में दुर्गापुरा फ़ार्म मैनेजर द्वारा क्या क्या चीजों के लिये उन्होंने इन्डेन्ट किया और किस कारण से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहां पर खर्च किया; अगर खर्च किया तो कहां और किया या नहीं। कम से कम यह बात बता दें कि उन दिनों में इन्डेन्ट किस किस चीज का किया, यह तो पता लगाया जावे।

और यदि ऐसी स्थिति है संबन्धित सदस्य महोदय की उस वक्त की एप्लीकेशन तक नहीं, डिपोजिट नहीं और इतना ही नहीं जो सबसे मेटीरियल ओमीशन है उससे नीयत के बारे में शक महसूस हो सकता है। इसके लिये कोई जोब भी नहीं खुली। विभाग में पचासों काम होते हैं लेकिन किसी को एप्लीकेशन से डिस्पेन्स विथ नहीं किया जाता। यह पहला ही केस ऐसा है जिसमें एप्लीकेशन को डिसपेन्स विथ किया गया है। डिपोज़िट कई लोगों से समय पर नहीं लिया गया यह ठीक है, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं जिसमें जोब नहीं खोला हो। फिर सदन में चर्चा हुई, उसके बाद बिल बना। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बिना पर बिल बनाया गया, केवल ट्रेक्टर की लोग बुक की एन्ट्री पर ही बिल बना है। जिसके लिये मेटीरियल इश्यू नहीं हुआ, जो बाकी एन्ट्री नहीं उस समय की कोई एन्ट्री है तो केवल एक बात की। वह ट्रेक्टर का जाना लोक बुक में एन्टर है। इसका सारा का सारा रेकर्ड मेरे पास मौजूद है, साफ बात यह है कि इस सारे रेकर्ड की जांच करने की आवश्यकता थी। अफसोस मुझे इस बात का है कि नवंबर के महिने में मैंने ये कागज सदन के नेता महोदय को दिखाये थे और उनसे कहा कि आप ही जांच करायें कागज मंगवा लें। फार्म मैनेजर से इन्डेण्ट के कागज मंगवाइये तो आपको खुद को पता चल जायगा कि स्थिति क्या है लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। फरवरी की २६ तारीख को मुझे लिखा जाता है कि श्री रामनिवास मिर्धा एग्रीकलचर मिनिस्टर इस सिलसिले में जांच कर रहे हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक जांच ही जांच में चलता रहा यह मामला, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ यह बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात है इस नाते टालने की कोई आवश्यकता नहीं।

अन्त में उन चीजों का कुछ जिक्र करूंगा कि जिनको आधी आधी कह कर उड़ा देने की कोशिश की गई। एडवांसेज़ हम लोग ले लेते हैं लेकिन कौनसा एडवांस किसने लिया हैं, मुख्यमन्त्री को उन सब की कहाँ तक जानकारी रहती है। टी० ए० के बारे में कहा कि कभी कभी देरी हो जाती है इसकी वजह से कोई गडगड़ हो सकती है। यह ठीक है, मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करूं एडवांस के सिलसिले में जानकारी प्राप्त करना उनका कर्तव्य है। मार्च के पहले सप्ताह में सेक्रेटेरिएट के अकाउन्टस आफिसर ने इस प्रकार का पत्र लिखा है कि आपका टी० ए० का हिसाब अब तक नहीं आया है, आपकी एडवांसेज का हिसाब नहीं हुआ। यह पत्र उस समय उनके जो प्राइवेट सेकेट्रीरी थे, सम्बन्धित मंत्री महोदय के उनसे पूछा जाता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं। मैं समझता हूं इसको अफसोस की बात के सिवाय क्या कहना चाहिए ? The accounts officer of the Secretariat addressing a letter to the Private Secretary of the person concerned drawing his attention that he must immediately clear the following accounts amongst which are his telephone accouut and iu respect of account of advances.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इतने पर भी यह कहना कि मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत अफसोस की बात के सिवाय क्या कहा जा सकता है ? क्या गलती हो गई, मैं समझता हूं इस सदन के अन्दर जब निर्णय हो गया उसके प्रति दुर्लक्ष्य पूर्ण रुख रखना क्या व्यवहारिक है ? अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके जरिये सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले जो प्राक्कलन समिति बनी थी उस प्राक्कलन सम्मिति ने अपनी रिपोर्ट शाया करते समय यह कहा था कि ट्रंक टेलीफोन्स पर जो खर्चा हो उसके लिए उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था, इसके हिसाब की बड़ी अजीब स्थिति है और उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। १९५१ के नवम्बर महिने में केवल एक मंत्री महोदयन १३०० रुपये ट्रंक टेलीफोन्स पर खर्च किये, उसमें उन्होंने यह कहा था।

श्री अध्यक्ष—More than 15 minutes for the reply cannot be given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will conclude, Sir.

श्री अध्यक्ष—Using extraneous matter in the debate by way of reply is not desirable. So far as this debate is concerned, referring to some member who is not in office now is an extraneousmatter, though it is there in the Report.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am coming to the next point and that is why a reference to that was necessary.

तो उस रिपोर्ट के आने के बाद अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के निर्णय के मुताबिक यह तय हुआ कि अब ट्रंक टेलीफोन्स का रजिस्टर रखा जायगा। यह रिवेलेन्ट था इसलिए मैंने उस रिपोर्ट का उल्लेख किया। उस रिपोर्ट के शाया होने का नतीजा यह हुआ कि ट्रंक टेलीफोन्स के रजिस्टर बनाये जाय और उसमें पर्पज् भी नोट किया जाय। सन् १९५३ के अन्त में उस समय के चीफ सेक्रेटरी के आर्डर के मुताबिक यह सिस्टम शुरू किया गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह सिस्टम इनके केस में फोलो किया गया या नहीं ? जिसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया, मेरा फिर से कहना है और दावा है कि उनके रजिस्टर में एन्ट्रीज़ तो शुरू हो गई लेकिन उसके बाद रजिस्टर खाली ही खाली पड़ा है। मेरा यह कहना है कि उसमें पर्पज़ ऑफ दी कॉज़ भी दर्ज नहीं किया गया। प्राइवेट कॉल्स हैं या सरकारी काल्स, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, यह निश्चित है। अब सरकार को यह पैसा देने की नौबत आने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह नौबत आयगी और मुझे आशा है कि सरकार वह पैसा भी देगी। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा मई १९५५ में एक जीप गैरेज से गई, उसमें कुछ टूट फूट हो गई उसके रिपेयर का खर्चा जब कि उस जीप को चला कोई दूसरे महोदय रहे थे उस पर राइट ऑफ का निर्णय राजस्थान सरकार ने कर लिया। जिस प्रकार मई १९५५ के जीप के केस में सरकार ने राइट ऑफ का निर्णय कर लिया, ऐसा ही इस केस में होने वाला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह गलत है, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस मामले की जांच करायेंगे, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ वह राइट आफ हो गया। कल इस मामले को भी इसी तरह लिया जायगा। जब किसी व्यक्ति से इरेगुलेरिटी हो जाती है तो विभागीय अधिकारियों को यह कहा जाता है कि आप फाइनेन्स के रूल्स को फोलो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के एक्स्प्लेनेशन्स कॉल करते हैं, चार्ज शीट लगा कर उनको सस्पेन्ड तक कर देते हैं, लेकिन इस मामले में तो सर्कुलर्स को ताक में रख कर सारी की सारी एन्ट्रीज न हों, ट्रंक्स प्राइवेट पर्पज के लिए किया गया या सरकारी काम के लिए, आज जब कि इस केस में यह स्थिति है फिर यह अर्से से मामला बकाया है, इसलिए सेक्रेटेरिएट के अकाउन्ट्स आफिसर को लिखना पड़ता है, उस पर भी माननीय मुख्य मंत्री यह कहे क्या गलती हो गई ? मेरा फिर से यह कहना है कि इस प्रकार गलती को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी उन पर है। हमारे यहां दो तीन महिने देर हो जाती है, देर होती होगी मुख्य मंत्री कह सकते हैं, पर्पज आफ कॉल वगैर है आपके यहां दर्ज होती है मेरी जहां तक जानकारी है। आपके यहां इस प्रकार की एन्ट्री हो रही है ऐसी स्थिति में जो आपका इस सम्बन्ध में गलत फहमी का नजरिया समझ में नहीं आया। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, यह मानता हूँ कि कटौती प्रस्ताव के जरिये जिन जिन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की उनकी ओर सावधानी नहीं बरती जा रही है। इसलिए मैं सदन की सम्मति के लिए अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इन पत्रों को सदन की मेज पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष—और किसी मौके पर काम आयेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—इनके पास तो और उड़ कर आ जायेंगे।

श्री घासीराम—माननीय अध्यक्ष, मेरे कटौती के प्रस्ताव में मैने तिजारा में मजिस्ट्रेटी कोर्ट को रखने के लिये निवेदन किया था, किन्तु मुख्य मंत्रीजी ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। यह कहा कि व्यासजी के जमाने में कोर्ट का हुक्म हुआ लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि १५ जनवरी, १९५५ को आॅर्डर हुआ था, व्यासजी के जमाने में हुआ हो या किसी दूसरे के जमाने में। मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि कोर्ट का तिजारा में होना आवश्यक है, अलवर जिले में राजगढ़ से दूसरे नम्बर का यही कस्बा है। यहां सब तरह के भवन हैं, मजिस्ट्रेट के रहने के लिये क्वाटर्स हैं, एस. डी. ओ., मुन्सिफ, मजिस्ट्रेटी सब तिजारा के नाम से मशहूर हैं, हाई स्कूल है एवं सरकिट हाउस है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वहां तिजारा में कोर्ट का रहना आवश्यक है। थोड़े दिन पहले कलेक्टर महोदय ने भी यह सिफारिश की है कि तिजारा में कोर्ट रहना चाहिये। इस

[श्री घासीराम]

विश्वास के साथ कि तिजारा में जल्दी से जल्दी से जल्दी कोर्ट भेजा जायगा मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री घासीराम को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री घासीराम—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव नये वेतन स्तर पर विचार करने के लिये था । मुझे दुख है कि मैंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये माननीय मुख्य मंत्री जी ने न तो उनका खंडन किया, न यह बताया कि उन आंकड़ों के विपरीत असमानता कम हुई हो । मैंने आंकड़े देकर यह बताया था कि किस तरह से बड़े और छोटे अफसरों और कर्मचारियों में असमानता पहले से और बढ़ी है । इसका जवाब नहीं आया । बड़े दुख की बात है, क्या किया जावे ? अब ऐसी परिस्थिति में कैसे जनतन्त्र का चलना सम्भव हो सकता है, यह मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ।

सारे सदन की राय है, मेरी स्वयं की राय है कि इस पे स्केल से सारे सदन के सदस्यों को और सरकारी कर्मचारियों को भी असन्तोष है । वैसे मैं अनुशासन के नाते प्रस्ताव करूंगा कि मेरा यह कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति मुझे दी जावे पर यह कहना कि इस पे स्केल से और इस पर हुई तथ्यों की बहस का तथ्यपूर्ण जवाब नहीं देने से सदस्यों के साथ और सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई न्याय हुआ है, यह सही नहीं है । सदन के सदस्यों की राय नहीं मानी जा रही है, इसका दुख है । अनुशासन के नाते मैं प्रस्ताव करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की मुझे अनुमति दी जावे ।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सदन की अनुमति है कि इन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चंदनमल वैद—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री भवानी सहाय शर्मा।

श्री भवानी सहाय शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक कटौती का प्रस्ताव रखा था और उसके जवाब में माननीय मंत्रीजी ने कुछ कहा था। लेकिन जिन बातों पर मैंने यहां पर प्रकाश डाला उन बातों पर कोई खास जवाब मुझे नहीं मिला।

मेरा खास निवेदन यह था इसमें कि जातिवाद पर कई नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और यहां तक होता है कि उन लोगों पर मुकद्दमे चलाये जाते हैं या उनके खिलाफ कार्यवाहियां होती हैं तो उनमें भी पक्षपात होता है और यहां तक मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो कि निकम्मा है और जिस पर कई मुकद्दमे पहले चल चुके हैं और वह अपनी कारगुजारियों और चालाकियों से बचता रहा है वह मंत्री महोदय के यहां आता जाता रहता है, जिस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया और इस प्रकार की बातें हैं और जातिवाद के जोर से और अपनी चालाकियों से वह व्यक्ति फिर कांग्रेस में आ जावे और हजारों की तादाद में बोगस मेम्बर बनावे और फिर भी उसे प्रोत्साहन मिले, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस बात का जवाब रह गया।

और इतना तक हुआ कि उस व्यक्ति पर जो मुकद्दमा चल रहा था या चलाया गया उस विषय में एक एस. डी. ओ. का तबादला हुआ, इस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया। इसलिये निवेदन करता हूँ कि वैसे तो मैं इस कसौटी प्रस्ताव को वापिस लूंगा पर इस पर प्रकाश नहीं डाला गया, इसका अफसोस ही है। इतना कह कर में अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री भवानी सहाय को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भवानी सहाय—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री मानसिंह महार से)—आपके प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री मानसिंह महार—जैसी आप आज्ञा दें, आप जैसा फरमावें।

श्री अध्यक्ष—मैं तो कुछ नहीं कहूंगा।

श्री मानसिंह महार—आप बोलने की आज्ञा दें तो कुछ कह दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं तो दे दूं, आज्ञा पर समय का सदुपयोग आप नहीं करते हैं

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—तो फिर अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि मानसिंह महार को प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मानसिंह महार—मैं अपना प्रस्ताव वापिस दुख के साथ वापिस लेता हूँ ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव श्री अवनी कुमार मुकर्जी ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मोतीलाल चौधरी ने रक्खा है, वह स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो ३१ मार्च, ५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,८६,०८,००० रुपये तक की राशि प्रदान किये जाने का जो प्रस्ताव श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २५-थरमो विद्युत योजना।

श्री अध्यक्ष—डिमान्ड नम्बर २५, मेजर हैड ४२।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) --अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक- ४२ थरमो विद्युत योजना के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,२५,५५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अपने पांचों कटौती के प्रस्ताव जो हैं वे प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पांचों एक साथ ही कर दूं साहब ?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मैंने पांचों कटौती के प्रस्तावों का जिक्र किया और वे पांचों मैं प्रस्तुत कर देता हूं।

May they be taken read, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब किन मुद्दों पर प्रस्ताव हैं और उनके रखने के क्या क्या कारण हैं, इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिये कुछ बातें रखना मैं आवश्यक समझता हूँ। पहला प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि विद्युत की दरों के सम्बन्ध में अनियमितता बरती जा रही है।

जब से राजस्थान का निर्माण हुआ, अध्यक्ष महोदय, तब से एक स्थिति हमारे सामने आई और वह यह है कि राजस्थान बनने के पहले कुछ लोगों के बीच में, कुछ कन्सर्नों के बीच

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में एग्रीमेंट थे और उनमें एक स्थिति यह भी थी कि बिजली सस्ते दाम में अमुक अमुक दरों पर सरकार द्वारा उनको दी जाया करेगी। ऐसा समझौता जिन कन्सर्न्स के साथ था उनमें राजाओं को छोड़कर केवल एक कन्सर्नस रह जाता है जिसका नाम है नेशनल बीयरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर और जिसको यह एग्रीमेन्ट दिया गया था कि दस पाई प्रति यूनिट से उसे बिजली दी जावेगी।

नेशनल बियरिंग कम्पनी, जयपुर को छोड़कर बाकी किसी भी कन्सर्न से अथवा किसी भी व्यक्ति से कोई निश्चित समझौता राजस्थान सरकार का नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि कोई निश्चित समझौता नहीं है एक अजीब और लगभग नहीं समझ में आने वाली स्थिति बिजली दरों के बारे में चालू है और चालू रखी जा रही है। १९५४ के जनवरी के महीने में राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर के मुताबिक सरकार ने यह तय कर दिया कि जितने भी थरमल पावर स्टेशन हैं राजस्थान में उन सब स्टेशनों से २० हजार से ज्यादा युनिट खर्च करने वाले इन्सान या किसी कम्पनी को २ आना फी युनिट के हिसाब से बिजली दी जायगी। वैसे का वैसा आर्डर जयपुर में लगभग उसके ८ महीने पहले यानी जुलाई, १९५३, जहां तक मुझे याद पड़ता है, में जयपुर मैटल इन्डस्ट्रीज़ के सिलसिले में निकला। तो उसके बाद स्थिति यह रही कि कुछ कन्सर्न ऐसी थीं कि जिनसे २ आना युनिट के हिसाब से बिजली का चार्ज लिया जाता रहा और इस हुक्म के बावजूद कुछ ऐसी कन्सर्न थी जैसे जयपुर स्पिनिंग एन्ड विविंग मिल्स कि जिनको चीफ इन्जीनियर ने अपनी मरजी से, बगैर सरकार की इज़ाजत मिले हुए, उन्हें कोई अधिकार नहीं था फिर भी ६ पैसे की दर मुकर्रर कर दी जो कि १९५५ की आडिट रिपोर्ट में ऑडिट आब्जेक्शन के रूप में हमारे सामने आई है। जयपुर में एक सिनेमा है, मानप्रकाश, उस सिनेमा को कन्सेशनल दर दी गई हैं और अभी तक चालू है। जयपुर में इम्पीरियल बैंक के मैनेजर के रेजीडेन्स को, वह अब न तो इम्पीरियल बैंक रही और न इम्पीरियल बैंक का जो अंग्रेजों के जमाने का रोबदोब रहा। लेकिन १९४७ के बाद अंग्रेजों के चले जाने के बाद, १९४९ में राजस्थान बनने के बाद, राजस्थान के ५ साल तक चालू रहने पर इम्पीरियल बैंक के मैनेजर के नाम वह कन्सेशन चालू है। उनके बंगले पर बिजली का खर्चा दूसरे लोगों से जब ६ आना लिया जाता है तो उनसे ३ आना युनिट का है लाइट का। तो यह स्थिति आज तक चालू है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति चालू रखने का क्या कारण है ? उसका एग्रीमेंट नहीं है, उसका सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कानूनी बन्धन नहीं है। दूसरे को आपने किसी को किसी दर से दिया है ! किसी सिनेमा को कन्सेशन नहीं दिया है तो फिर मानप्रकाश में ऐसी क्या खास बात मौजूद थी, इम्पीरियल बैंक के मैनेजर के बंगले में ऐसी कौनसी तारीफ है, और इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स का जहां तक सवाल है चाहे वह मेटल इन्डस्ट्रीज हो, या चाहे स्पिनिंग वीविंग मिल्स हो दोनों में क्या फर्क था, जब कि दोनों बड़े कन्जूमर्स हैं, लेकिन फर्क चालू है, १९५४ का आर्डर भी चालू है। अफसोस की बात यह है कि १९५४ के आर्डर की बात चालू रही तो १९५५ के जुलाई के महीने में सरकार ने फिर एक नया तरीका बदला। सादूल टेक्सटाइल मिल्स हैं, उस मिल को जहां २ आने के हिसाब से बिजली दी जाती

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थी तो अचानक ६ पैसे के हिसाब से उसको बिजली देने का तय कर लिया। उसका मैं तफसील से दूसरे कटौती प्रस्ताव में उल्लेख करूंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि किस प्रकार से, अवांछनीय तरीके से एक विशेष कन्सर्न को; या एक विशेष व्यक्ति को पुरानी दरों को जिसके बाबत सरकार का खुद का जनवरी १९५४ का हुक्म है उनको चलाये ताक रखकर महज इस कारण कि उनका हाथ ऊपर तक पहुँचता है कम कर दिया, दो आने से ६ पैसे कर दिया। सरकार के हुक्म का उल्लंघन करके राज्य के अन्दर घाटा पैदा करने की नीति का यह नमूना है जो यह बतलाता है कि बिजलीघरों में दरों के सिलसिले में रेट्स के सिलसिले में, बहुत ही अनियमितताएं बरती जाती हैं। कुछ कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं, आपके जरिये सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं इस बात को दिखाने के लिए। ताज्जुब यह है कि म्युनिसिपैलिटी जो कि एक बड़े पैमाने पर बिजली खर्च करती है उनसे तीन आने से ज्यादा रेट ली जाती है। बिरला जी से १० पैसे, पोद्दारजी से ६ पैसे, श्रीवास्तवजी से ६ पैसे, कमानीजी से २ आना, साधारण आदमी को किया कनेक्शन तो ६ आना और टैम्परेरी कनेक्शन किया तो १२ आना लिये जाते हैं। यह एक ऐसी अजीबोगरीब हालत है कि जो जितना गरीब है उससे उतनी ही ज्यादा रेट हो और जो जितना ज्यादा अमीर है, श्रीमंत है, उससे उतना ही कम रेट हो। राजाओं के बारे में आयें तो वे बिल्कुल फ्री हैं। यह एक बहुत गैरवाजिब और अनियमित तरीका है। दरों के बारे में हमें सुधार लाना चाहिए, और सुधारों के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपना प्रस्ताव रखा है।

दूसरा प्रस्ताव जो है, अध्यक्ष महोदय, उसका संबंध है सादूल टेक्सटाइल मिल्स से बकाया वसूली करने के बारे में और बिजली की दरों के बारे में जो रवैया बरता गया है उस संबंध में है। इस सदन में फर्वरी १९५३ या लगभग, मार्च १९५३ हो सकता है, लेकिन १९५३ के उन दिनों सूचना मिली थी, इस सदन को सूचना दी गई थी, उस समय के हमारे बिजली के मंत्री महोदय ने सूचना दी थी कि सादूल टेक्सटाइल नाम का एक मिल है गंगानगर में जिसके ऊपर ८ लाख से ज्यादा बकाया हो चुका है, और वह पैसा देने से इन्कार कर रहे हैं इसलिए उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। सूचना सदन के सामने कभी एक स्टेटमेंट के रूप में आई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से आदेश दिया गया, वह कलेक्टर गंगानगर के पास मामला गया कि यह रुपया पी. डी. आर. के तहत वसूल किया जाय। वसूली की कार्यवाही इधर शुरु हुई तो जैसा कि मुमकिन होता है कि बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वह कोई आसानी से रुपया देने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने जाकर एक रिट हाई कोर्ट में दायर करदी और किसी न किसी तरीके से बचने की कोशिश की, लेकिन उनको मालूम था कि रिट चलेगी नहीं, उनको मालूम था कि हमारा मामला कमजोर है। इसलिए उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू की। बातचीत करते करते ऐसी स्थिति हुई कि मैंने सुना है, न तो सरकार निश्चत तौर से बताने को तैयार है और न यह संभव है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की नीति के बारे में निश्चित स्थिति को हम लोग जान लें जब तक कि सरकार न बताये, लेकिन मैंने ऐसा सुना जरूर है कि ८ लाख का रुपया जरूर है जो उसमें बकाया था और फाइन का मिलाकर कुल १० लाख के लगभग सरकार का लेना आता था; उसने कह सुनकर ५ लाख में अपना सौदा पटा लिया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दो आने की जो बिजली की दर थी पहले उसको भी कम करके ६ पैसे कर दिये गये हैं, और इस प्रकार से आपस में निगोशियेशन्स से मामला तय होने के बाद, आपस में समझौता लगभग हो जाने के बाद बगैर घोषणा किये हुए कि क्या समझौता हुआ है, जुलाई १९५५ के महिने में उनको विशेष कन्सेशन बिजली की दर के लिए कर दिया गया । उन्होंने १,७०,००० रु. दिये बताते हैं और आगे भी कुछ रुपये दिये लेकिन कोई ५ लाख के नजदीक आकर उन्होंने अब रुपया इसलिए बन्द कर दिया कि बिजली उनकी चालू हो गई है और निश्चित तौर से कोई सूचना अभी तक सरकार ने नहीं दी है कि क्या उन्होंने किया है और क्या नहीं किया है । तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जब से बिजली दी गई है आज तक एक पैसा भी सरकार को नहीं दिया है । ८॥ लाख जिनके ऊपर बकाया था और फाइन जोड़कर जो १० लाख रुपया होता है उनको आसानी से आधा पैसा माफ कर दिया जाता है । उन्हें रियासत दी जाती है कि २ आने के बजाय ६ पैसे की दर से बिजली दी जाय । तो राजस्थान के दूसरे लोगों ने सरकार का क्या अपकार किया हैं कि कोई सरकारी मुलाजिम १-२ महिने बिजली का बिल पे नहीं कर सके तो उससे तो फाइन लिया जाता है । आज लिया जाता है । सैकड़ों ऐसे केसेज़ हैं जिनके अन्दर एक भी पैसा माफ नहीं हुआ है, एक तरफ श्री जे. पी. और दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी । दोनों में कितना बड़ा फर्क है ? क्या इतना पक्षपात भी हो सकता है ? जब कि नुमायन्दे यहां आये और बहुत दिनों तक वे यहां ठहरे और उन्होंने अपना इतना नुकसान किया, इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री, जो कि उस समय मंत्री थे और आज अब मन्त्री नहीं हैं, उनका भी हाथ इस प्रकार के समझौता कराये जाने में बताया जाता है ।

यदि ऐसा रुख अपनाया जाय, यदि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया जाय तो उस हालत में उसे विश्वसनीय नहीं गिना जा सकता है और इसलिए इस प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपना दूसरे नम्बर का कटौती का प्रस्ताव दिया है ।

तीसरा कटौती का जो प्रस्ताव है उसका सम्बन्ध कोयले से है । कुछ दिनों पूर्व इस सदन में कोयले के सम्बन्ध में प्रश्न हुए, थे उसका सम्बन्ध जुदा कोयले से है और यह जुदा कोयले से सम्बन्ध रखता है । कोयले के कान्ड के सिलसिले में, मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ भनक सदन को है । कोयले के सिलसिले में जयपुर में एक बड़ा भारी कान्ड हो चुका है । जो कोयला जयपुर के पावर हाऊस में आया नहीं, उसकी फर्जी रसीदें बनायी गयीं । एक दो हजार, पचास हजार रुपयों का गबन हो गया हो ऐसा नहीं लेकिन लाखों रुपयों का, करीब चार लाख की सुनते है कि फर्जी रसीदों से रुपया उठाया । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यह एक दिन चला हो, दो दिन चला हो लेकिन लगभग पूरे चार पांच साल से यह मामला चल रहा है और कुछ लोगों का तो यह मत है कि छः सात साल से चल रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—On apoint of order, Sir the hon.ble speaker is disclosiug certain things which he has learnt in the public Accounts Committee and the report of the P.A.C. has not yet been placed on the Table of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह मोनोपोली नहीं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को ही उसकी जानकारी हो और यह मेरे मित्र का ख्याल नादुरुस्त है कि मैं पी. ए. सी. की जानकारी को डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ और मेरी निजी जानकारी के पास साधन हैं और मैं उनका उपयोग करता हूँ और मेरी जानकारी से पी. ए. सी को लाभ होता होगा, नुक्सान नहीं होता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेरे माननीय मित्र........

श्री अध्यक्ष—Come on the point please. Don't be disturbed. If there is any-thing, a regular motion can be brought in by any of the Hon'ble Members of the House.

हरिकृष्ण व्यास— I welcome it, Sir

जयपुर पॉवर हाउस के कोयले के सम्बन्ध में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं किन्तु वर्षों तक यह मामला चला और आज यह स्थिति है कि जिन कारणों की वजह से यह इतना बड़ा काण्ड हुआ, जिन कारणों की वजह से चार लाख रुपयों की फर्जी रसीदें पेश करके गोलमाल हो गये और अगर पहले कितना कोयला आता होगा और कितना कन्ज्यूम होता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी करायें तो मालूम होगा कि जयपुर पॉवर हाउस में पहले के मुकाबले में आधा ही कोयला खर्च होता है। पर युनिट जेनरेशन में कितना फर्क आ गया, इतना बड़ा कान्ड हुआ, सदन के अन्दर नहीं आया लेकिन अखबारों के जरिये राजस्थान की जनता के सामने आये, उसको कितना अर्सा हो गया लेकिन मैंने सुना है कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जांच कर रही है कहा जाता है लेकिन उस जांच का नतीजा क्या हुआ, किस निर्णय पर पहुँची और इतना बड़ा गबन हो जाने पर भी कोई स्टेप नहीं लिया सिर्फ एक दो आदमियों पर मुकदमा चल रहा है। क्या कारण था? स्टोर अकाउन्ट रखे जाते थे, कोयलों का महीने भर का हिसाब रखा जाता था, मिलान होता था, टेली होता था रेल्वे रसीदों से, दूसरी चीजों से, इसका पता लगाया जाय। यह नहीं होता था, दस्तखत नहीं होते थे, हिसाब नहीं था, स्टॉक रजिस्टर नहीं थे, ओवर राइटिंग हैं, यह हालत थी जो महीनों तक चली। महीनों ही नहीं। अगर उस पर एक वर्ष तक चुप्पी साधी जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार की इस प्रकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण गलत नीति नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इतना ही नहीं सन् १९५४-५५ की जनलेखा समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि बिजलीघर की हालत चिन्ताजनक है और उन्होंने....

श्री अध्यक्ष—सामने वाले मेम्बर को ठीक कर दीजिये जरा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं अर्ज कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि सन् १९५४-५५ की जनलेखा समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी थी उस रिपोर्ट में इसका खास हवाला दिया है। मेरे माननीय मित्र की रजामन्दी से बातें हुई, उसका उल्लेख करूं अध्यक्ष महोदय। उस जनलेखा समिति ने पिछले साल कोयले की खरीद के सिलसिले में जो तरीका अपनाया गया उसमें एक अजीब बात देखी कि जिस कम्पनी ने ३६ रुपये तीन आने के हिसाब से टेन्डर दिया उसको सरकार ने ऑर्डर प्लेस किया ३७ रुपया २ आने के हिसाब से। जिसने कहा कि मैं ३६ रु० ३ आने पर टन के हिसाब से कोयला ला दूंगा उसको राजस्थान सरकार ने हुक्म दिया कि ३७ रु० दो आना के हिसाब से १५ आने और ज्यादा लो। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है चाहे वे कोई भी हों उनकी बोनाफाइडी में शंका है, हमें शंका होती है कि राज्य के हितों का ध्यान नहीं दिया गया, हमें शंका होती है कि चाहे किन्हीं कारणों से किया हो लेकिन कम से कम उनकी बोनाफाइडी में तो शंका की जा सकती है। मैं पूछ सकता हूं कि इतनी छानबीन होने के बाद, इतना साफ साफ मामला होने के बाद, जन लेखा समिति की सिफारिशें आ जाने के बाद भी क्या क्या सरकार ने जांच करवाई, क्या निर्णय सरकार ने लिया, क्या सरकार ने कदम उठाये ? जांच का काम बाकी है। इस बीच में थोड़ी बहुत कार्यवाही शुरु हुई, मैंने सुना है और कार्यवाही शुरु करने के बाद दूसरों ने महकमा सम्हाल लिया, उनको सारी जानकारी सदन में प्रस्तुत करनी पड़ी क्योंकि एक साल के बाद भी इन्क्वायरी पूरी नहीं होती है, किसी से जबाब नहीं मांगा जाता है, लाखों रुपयों का इतना बड़ा मामला है उसके बारे में चुप्पी साधे रहें, मैं ख्याल करता हूँ कि जो स्थिति थी वह मैंने पॉवर हाउस के सिलसिले में रखी जिसमें लाखों का घाटा होता है, पब्लिक को कठिनाई होती है, लोगों में असंतोष होता है और बिजलीघर के कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। जब कर्मचारियों की मांगों का प्रश्न आता है तो यह कहा जाता है कि बिजलीघर घाटे में चल रहा है, हकों के लिए कहें तो इतने लाख का घाटा है जो भुगत रहे हैं, वह घाटा इसलिए भुगत रहे हैं कि कोयले की जो कॉस्ट चार्ज होती है वह घाटा इसलिए भुगत रहे हैं कि ३६ रु० ३ आने के बजाय उसको ३७ रु० दो आने में दे देते हैं, सरकार चलाकर उसको फायदा करना चाहती है, सरकार की दृष्टि में इन बड़े बड़े लोगों को बगैर मांगे ही रुपया दे देना है। अच्छा है, उसका बोझा तो पब्लिक पर पड़ता है, उसका बोझा तो नागरिकों पर पड़ता है, उसका बोझा तो बिजलीघर के कर्मचारियों पर पड़ता है जो इस घाटे को भुगतते हैं। इसलिए यह कोयले का जो मामला है वह अत्यन्त अहमियत का है और तुरन्त इस पर कार्यवाही हो इसलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और अन्त में इस विभाग के लिए बार बार कहा जाता है कि बहुत घाटा है। मैं समझता हूं कि उसमें घाटा नहीं है उसमें बड़े बड़े छेद हैं, उसमें बड़े बड़े सुराख हैं, उसकी रेवेन्यूज़ पूरी नहीं आती, उसके हिसाब किताब की हालत नाजुक है। अब भी यह स्थिति है कि जनलेखा समिति ने सन् १९५४ में जो रिपोर्ट की थी और जो उस रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उस विभाग में जो सामान है, उनकी एन्ट्री नहीं, स्टॉक रजिस्टर में राजस्थान बनने के बाद आज तक नहीं किया। अब किया गया बताते है और उसका नतीजा क्या हुआ इसकी जानकारी मंत्री जी के पास होगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन निश्चित है कि बहुत सा सामान कम नजर आया होगा और बहुत सा सामान ज्यादा नजर आया होगा क्योंकि जिस तरीके से हिसाब का रजिस्टर रखा गया वह तरीका गलत था, ढंग गलत था और आज भी कौनसा सामान कब कब और कहां कहां गया, कहां किस को इश्यू हुआ इसकी जानकारी आज भी हो, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि कुछ सुधरा हो, लेकिन स्टोर वेरिफिकेशन के बारे में ऐसी अनियमितता की स्थिति चालू है। सब मिलाकर इस विभाग में घाटे का कारण बनती है और जो विभाग सरकार की आमदनी का जरिया बन सकता है और उससे पब्लिक को एमिनिटीज दी जा सकती हैं वह विभाग न तो पब्लिक को एमिनिटीज दे सकता है और न सरकार को आमदनी दे सकता है, उसका कारण क्या है ? उसके प्रति कड़ा, सख्त और निष्पक्ष कदम उठाना चाहिये। इसका कारण यह है कि जो अर्से से अंधाधुन्धी चल रही है उसको रोकने के लिये सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उस पर रोकथाम लगाने में सरकार के दिल में कठिनाई होती है क्योंकि बड़े २ लोगों का ख्याल होगा लेकिन चाहे कोयलों की खरीद लें, चाहे दूसरी चीजों का ठेका लें या स्टोर्स-अकाउन्ट के बारे में जिन जिन ने बेजाब्तियें की हैं उनको सामने लाकर गल्ती बताकर कार्यवाही करने में हिचकिचाहट है क्योंकि वे समझते हैं कि मामला बहुत ऊपर तक आया हुआ है। चाहे कुछ भी हो लेकिन इन अनियमितताओं और गड़बड़ियों को ठीक न करने से राजस्थान सरकार और जनता के हित की बात नहीं है। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उस ओर सदन का ध्यान दिलाने के लिये मैंने कटोती प्रस्ताव रखा है और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से और जिस ढंग से मैंने बातें रखी हैं उनका सिलसिलेवार उत्तर दिया जायगा। यदि ढंग से उत्तर नहीं दिया जायगा तो मुझे फिर कुछ कहना पड़ेगा। मेरे पांच कटोती प्रस्ताव थे जिनको मैंने मूव कर दिया था। पांचवे प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—पांचवें के बारे में ?

श्री **हरिकृष्ण व्यासः**—इसमें मुझे थोड़ा ही समय लगेगा।

श्री **अध्यक्षः**—कह दीजिये।

श्री **हरिकृष्ण व्यास** (जारी)—मैं जिक्र करना चाहता हूं विभागीय कर्मचारियों के प्रति अन्याय के बारे में। मैंने थोड़ा, आधा तो जिक्र पहले कर दिया था, पहले इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में था उसका जिक्र कर दिया लेकिन मैं विशेष तौर से ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ कुछ और चीजों की ओर जो बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, आज जोधपुर के बिजली घर में काम करनेवाले चपरासी, दफ्तरी, चौकीदार जो हैं उनको भूतपूर्व जोधपुर राज्य के जमाने में ४५ रु० माहवार मंहगाई भत्ते के तौर पर मिलते थे। राजस्थान बना, इन्टीग्रेशन हो गया और उसके बाद ३ साल तक लगातार उनको इस बात की सहूलियत थी कि पूर्व तनख्वाह और मंहगाई भत्ता मिलता रहे। लेकिन अचानक एक दिन हुक्म निकला, सेक्रेटेरियट के कागज फड़फड़ाये

[श्री हरकृष्ण व्यास]

और यह तय किया गया कि मंहगाई भत्ता काट दिया जायगा। इसका कारण पूछने पर कहा गया कि अब राजस्थान बन गया है, इन्टीग्रेशन हो गया है इसलिये सबको एक सेलेरी और भत्ता दिया जायगा जब कि कुछ टेक्निकल कर्मचारियों के नाम से अलग हिसाब लगाकर दूसरे विभाग के कर्मचारियों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया यह कह कर कि उनको पुराना मंहगाई भत्ता मिलता रहे। मैंने और जानने की कोशिश की और लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति हुई है क्या, तो मालूम हुआ कि भूतपूर्व राजस्थान के कुछ अफसर थे उनको कार अलाउन्स या कन्वेयेन्स अलाउन्स के रूप में, किसी को ८० रु० किसी को ६० रु० और किसी को १०० रु. किसी को कम तो किसी को ज्यादा दिया जाता था; उनमें से कई लोग कलेक्टर बने और सरकारी गाड़ी भी उनको मिल गई। सरकारी गाड़ी मिलने पर भी उनको कन्वेयेन्स अलाउन्स के नाम से ८०,६०,१०० रुपये मिलते गये। यह प्रश्न जब प्राक्कलन समिति के सामने आया तो उसने राय दी कि यह गलत है, उसको दुरुस्त नहीं किया गया और चालू रक्खा गया और बाद में राजस्थान सरकार की केबीनेट ने निर्णय लिया कि हालांकि यह कन्वेयेन्स अलाउन्स कह कर दिया जाता था लेकिन यह स्पेशल पे के रूप में था इसलिये उनको मिलना चाहिये और तनख्वाहों में मर्ज करना चाहिये। जिनको मोटर भत्ते के रूप में पैसे मिलते थे वे उनकी तनख्वाहों में मर्ज किये गये और ऐसे लोगों के लिये जिसको ८०० या १००० रुपये मिलते थे। लेकिन कम तनख्वाह पानेवाले जो लोग २५ या ३० रुपये पाने वाले चपरासी, चौकीदार वगैरह थे उनकी तनख्वाह में से २० रुपये माहवार कम कर दिये गये जो आज भी लागू हैं। यह है आपका तरीका, कर्मचारियों के प्रति अन्यायपूर्ण रूख। उन लोगों की ओर से लगातार मांग प्रस्तुत की गई, भूख हड़तालें कीं लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इन सब चीजों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुझे आशा है, सदन अपनी राय के जरिये इसे मंजूर करवाने की कोशिश करेगा।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती प्रस्ताव इस प्रकार है कि मांग संख्या २५ विषय थर्मल विद्युत विभाग में फैली हुई अव्यवथा के विषय में चर्चा करना। इस विभाग में आजकल जो व्यवस्था है उसके बारे में जनता को बहुत असंतोष है। सदन का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित करने के लिये ही मैंने यह प्रस्ताव रखा है। ये विशेष बातें क्या, है उनको एक एक करके मैं सदन के सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि संबंधित मंत्रीजी टालेंगे नहीं और संतोषप्रद जबाब देने की कृपा करेंगे।

सबसे पहली बात यह है कि जो staff वहां काम करते हैं उनका रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ। हमारे राजस्थान में जिन जिन जगहों पर सरकारी पॉवर हाउस हैं उनमें जो क्लेरिकल या मिनिस्टीरियल स्टाफ है उसका रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ। यह सवाल प्राक्कलन समिति के सामने भी आया और समिति ने सिफारिश की थी कि इस ओर जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय लेकिन अफसोस है कि अब तक कुछ नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग में बिजली को प्रोड्यूस करने की कोस्ट ऊंची है और इसके अलावा भिन्न भिन्न जगहों पर कोस्ट ओफ प्रडक्शन अलग अलग है। हमको यह

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

देखना चाहिये कि कोस्ट ओफ प्रडक्शन को कम कैसे किया जा सकता है और दूसरी बात यह है कि कोस्ट ओफ प्रडक्शन इकसार क्यों नहीं होती। कोस्ट ओफ प्रोडक्शन कम होने से उद्योग धंधो को काफी सहूलियतें मिल सकती हैं और मैं समझता हूं कि उद्योग धंधों का विस्तार हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि यहां पर पोवर की जो रेट है उसके बारे में सरकार का सर्क्यूलर निकल चुका है कि यह रेट २ आना युनिट से भी कम किसी से नहीं ली जायगी लेकिन ऐसी मिसाल मौजूद है कि जिनको करीब ३ पैसा प्रति युनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता जब कि सर्क्यूलर निकल चुका है और पोवर की रेट तय हो चुकी है फिर भी इतने कम रेट पर बिजली क्यों सप्लाई की जाती है। इस डिसपेरिटी (disparity) का क्या कारण है? मैं समझता हूँ कि इस संबंध में माननीय मंत्रीजी कुछ बतावेंगे।

चौथी बात यह है कि जो बिजली पैदा होती है उसका सदउपयोग नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि जो बिजली कन्ज्यूमर (consumer) चाहते हैं उनका नहीं मिलती। यह अमुमन देखा जाता है कि जो लोग बिजली लेने के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं उनकी अर्जियें पड़ी रहती हैं और उस पर कोई विचार नहीं किया जाता और जब कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि तार नहीं है, मीटर उपलब्ध नहीं है और दूसरा मेटीरियल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विभाग की नीति क्या है? हर एक फाइनेन्शियल इयर के शुरू में ही यह देख लेना चाहिये कि एक साल में अमूमन कितनी अर्जियें आती हैं और इस हिसाब से जो सामान जरूरी हो वह क्यों नहीं खरीद लिया जाता है? मैं यह कहूंगा कि अगर साल के शुरू में ही जरूरी सामान खरीद लिया जावे तो कन्ज्यूमरों को समय पर बिजली मिल सकती है और उससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है।

पांचवी बात यह है कि शहर में कई जगह बिजली की लाइन्स को रिप्लेस करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जयपुर शहर से बिजली विभाग में बिजली के लिये दरख्वास्त देता है तो बिजली विभाग की ओर से एस्टीमेंट बनाया जाता है और उसमें जो रकम बताई जाती है वह उस व्यक्ति को देनी पड़ती है। जब वे यह प्रश्न करते हैं कि जो रकम बताई गई है वह ज्यादा है तो यह कहा जाता है कि इस गली में जो लाइन्स है उनसे हम बिजली तुमको नहीं दे सकते क्योंकि यह तो पहले से ही ओवर लोडेड (over loaded) है। तुमको बिजली दूसरी गली की लाइन से दी जावेगी। ऐसी हालत में वह आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता और उसको कनेक्शन नहीं मिलता और हमारे यहां पर जो बिजली फालतू पैदा होती है उसका पूरा उपयोग भी नहीं होता।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस विभाग की बकायों की रकम बहुत बढ़ी चढ़ी है और इसके लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया हैं इसलिये राजाओं में, म्युनिसिपिल्टीज में और दूसरे सरकारी विभागों में भी इस विभाग के रुपये बाकी निकलते हैं, उस रकम को वसूल करने का प्रबन्ध किया जावे। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों में भी बहुत बकाया है। यह तो एक रकम का इधर से उधर एडजस्ट (adjust) करने की बात है मगर, वह भी नहीं हो पाता। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां जहां जहां हर डिजल इंजिन्स लगे हुए हैं वे अब बहुत पुराने हो गये हैं और इस वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये डिजल इंजिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। इसलिये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इसके लिये कोई योजना जल्दी बनाए और अगर कोई योजना सरकार के पास बनी हुई है तो उसे पब्लिक को भी बताए। मैं आशा करता हूं कि सरकार पुराने डिजल इंजिन्स को जल्दी से जल्दी रिप्लेस (Replace) की कोशिश करेगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिजलीघर में पिछले दिनों में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच कराने के लिये रानावत कमेटी बनाई गई थी और मेरी जहां तक जानकारी है उसकी रिपोर्ट भी आगई है। रिपोर्ट में किन किन बातों पर जोर दिया गया, क्या क्या सुधार करने के लिए कहा गया है, यह मेरी जानकारी में नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसकी जानकारी सदन को देंगे और बतावेंगे कि फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं।

बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। इतना ही कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री कुंभाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि मांग संख्या २५, विषय ४२ थरमो विद्युत योजना में १) रु० की कटौती कर दी जाय। (कार्य व्यवस्था पर विचार करने के लिये)

हमारा राजस्थान बिजली की दृष्टि से थर्मल पर डिपेन्ड करता हैं। जितना भी हो सके जोर बिजली की आवश्यकता और अनिवार्यता पर दिया जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि बिजली की अनिवार्यता है या नहीं। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर आवश्यक और अनावश्यक पर ध्यान नहीं दिया जाता और विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये लोगों को बहुत परेशानी और शिकायतें रह जाती हैं और बिजली उन लोगों को मिल जाती है, जिनको उनकी इतनी जरूरत नहीं होती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये स्पष्टीकरण राजपत्र में होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह का कार्य इस विभाग में चल रहा है उससे लोगों में परेशानी

Page No.60.

[श्री कुम्भाराम आर्य]

बढ़ गई हैं। राज के पैसे भी खर्च हो रहे हैं और जनता को परेशानी हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा इन्सटान्स राजगढ़ का देना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि वहां पर जेनरेटिंग सेट का इन्तजाम हो गया। बिजली के खंभे भी भेज दिये गये और तार भी वहां मौजूद हैं। खंभे खड़े कर दिये गए और वहां पर स्टाफ भी भेज दिया लेकिन अभी तक बिजली विभाग की ओर से बिजली नहीं दी। खंभे खड़े हैं। इस तरह की व्यवस्था से राज का पैसा खर्च होता है और महकमा बिजली विभाग की बदनामी होती है और पब्लिक को भी परेशानी वैसी की वैसी रह जाती हैं। मैं यहां पर कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे अपने विभाग में इस तरह का आदेश देंगे जिससे इस तरह की समस्या हल हो जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह ए डि० न० १६।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, बिजली विभाग के बारे में मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव दिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्तावों में मांग की वह यह है कि बिजली विभाग में गड़बड़ियें हैं, उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना हैं कि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके अन्दर आज तक हिसाब नहीं हुआ होगा। इसके हिसाब को अगर कोई छान बीन करना चाहे तो उसका हिसाब करना नामुमकिन चीज हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग में इतनी गड़बड़ियें हुई हैं जिसका किसी को मालूम नहीं। इस विभाग में से सामान किस को दिया, किससे खरीदा और किस किस को दिया, उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं। इसकी जांच करने के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया था और उन्होंने जो रिपोर्ट की हैं उससे यह महसूस होता हैं कि यह विभाग रिश्वतखोरी से इतना भरा हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इस विभाग में किधर भी आप चले जावें आपको रिश्वत ही रिश्वत दिखाई देगी। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर राजस्थान का दुर्भाग्य था कि एक ईमानदार इलेक्ट्रीकल इंजीनियर को राजस्थानी होने के नाते यहां से हटा दिया गया और नये इंजीनियर मुकर्रर हुए हैं।

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उनकी ईमानदारी ने उनको इनएफीसियेन्ट साबित किया। यह कह कर के कि यह इतने इनएफीसियेन्ट नहीं, इतने क्वालिफाइड नहीं उनकी जगह एक बंबई के मीरचन्दानी नाम के साहबान को इम्पोर्ट किया गया। इस विभाग

[श्री मानसिंह महार]

के अन्दर बाहर से आफिसर को लेना और एक हमारे ईमानदार राजस्थानी को वहां से हटना इसको मैं अन्यायपूर्ण और पक्षपात पूर्ण मानता हूँ। राजस्थान में ही हम यदि राजस्थानियों को उच्चतम स्थान न देंगे, राजस्थान में ही राजस्थानियों को तरक्की नहीं देंगे, तो उन लोगों के लिये और प्रान्तों में कहां स्थान मिल सकेगा। और प्रान्तों में अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी विभाग में हमारे यहां से किसी राजस्थानी को मन्त्री महोदय बता देंगे कि फलां फलां आदमी को जो राजस्थानी है फलां फलां उच्च स्थान मिला है। मैं जहां तक जानकारी रखता हूँ कहीं भी बाहर के प्रान्तों में किसी भी राजस्थानी को उच्च पद पर नहीं लिया है लेकिन आज हम देखते हैं कि राजस्थान में दूसरे व्यक्तियों को लिया जाता है जब कि हमारे यहां ईमानदारी और एफीसियेन्ट राजस्थानी मौजूद हैं। ऐसे ईमानदार और एफीसियेन्ट व्यक्ति पर यह इल्जाम लगाकरकि तुम इनएफी- सियेन्ट हो, क्वालिफाइड नहीं हो उन लोगों के नीचे लगाना सरासर अन्याय है।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि बिजली की जो रेट है वह बहुत ऊंची है। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय के अन्दर जिस बिजली के उत्पादन में सरकार को करीब पांच पैसे या छ पैसे यूनिट खर्च होता है वह बिजली जनता को ६ आना यूनिट के हिसाब से देना सरासर अन्याय है। एक तरफ जनता को छ आना यूनिट के हिसाब से दिया जाता है दूसरी ओर मोटे मोटे पूंजीपतियों को, करोड़पतियों को, वह सरकार जो अपने आपको समाजवादी ढाचे की ओर अग्रसर होती हुई बतलाती, है वही सरकार इन पूंजीपतियों से छ पैसा और दो आने तक रेट मुकर्रर करती है। और यह कहा जाता है कि हम राजस्थान को इन्डस्ट्रैलाइज करना चाहते हैं, इसलिये बिजली की दर कम रखते हैं। यह बात मानी जा सकती है तब जब कि सभी इन्डस्ट्रीज को एक ही चाबुक से हांका जाय। एक ही पैमाने पर इन्डस्ट्रीज से पैसा लें तो हम इस बात को मान सकते हैं। किसी विशेष कृपा पात्र को आप चार पैसे की रेट पर देते हैं उनसे कम कृपा पात्र को ६ पैसे की रेट पर देते हैं और उनसे भी कम कृपा पात्र को दो आना की रेट पर देते हैं, यहां तक की आप तीन आने तक भी देते हैं।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू चेयर मैन पदासीन)

ऐसी सूरत में माननीय चेयरमैन, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पक्षपात पूर्ण रवैया है और सरासर अन्याय पूर्ण है।

दूसरी बात यह है कि गांव में किसानों को जो छोटे छोटे पम्प लगाये हुये हैं जिसके पास बीस रुपया महीना सिंचाई का खर्चा आता है तीस रुपया महीना खर्च आता है, उन बेचारों से इन पूंजी पतियों से ज्यादा किसे चार्ज करते हैं। इनसे आप तीन आना यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। यह समाजवादी तरीका नहीं है, जहां आप पूंजीपतियों को दो आना और डेढ़ आना तक रेट देते हैं वहां छोटे छोटे किसानों को तीन तीन आना यूनिट लेना समाजवाद नहीं पूंजीवाद है' पूंजीवाद। जब तक आप इस पूंजीवाद को खत्म नहीं करेंगे छोटे छोटे किसानों को या छोटे

[श्री मानसिंह महार]

उद्योग धंधों को आप इस प्रकार रियायत नहीं करेंगे, जब तक समाजवाद की तरफ कभी अग्रसर नहीं हो सकते। यही बात आप आम लोगों के लिये ले लीजिये, आप उनसे छ आना यूनिट के हिसाब से बिजली लेते हैं जब कि छ पैसा यूनिट वास्तविक रूप से खर्च होता है। मुनाफा ही आप करना चाहते हैं तो छ पैसे का तीन आना करिये साढ़े तीन करिये छ पैसे का छ आना लेना कोई न्याय संगति नहीं। चेयरमेन महोदय, मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इसमें जरूर कुछ कमी करने की कोशिश करेंगे। वे यह कहेंगे, यह मैं मानता हूं कि छ आना यूनिट लेने पर भी पूरा नहीं पड़ रहा हैं या तो चेयरमेन महोदय, यह उनकी इनकोम्पीटेन्सी का नमूना है जो बिजली पांच छ पैसा यूनिट पड़ती है उसके छ आना लेकर भी लाभ नहीं उठा रहे हैं इससे बढ़कर इनएफीसियेन्सी और क्या हो सकती है? फिर भी आप मोटे मोटे अफसर को बाहर से बुलाते हैं। ये जो साहबान चीफ इन्जीनियर इलेट्रिक व मेकेनिकल बुलाये गये हैं उनके बारे में ऐसा सुना जाता है कि वे किसी विशेष पूंजीपति के जरिये यहां बुलाकर हमारे मुख्य मन्त्री महोदय से मिलाये गये हैं। और उस मिलने और उनकी नियुक्ति के उपहार स्वरूप उसी पूंजीपति को दे रहे हैं, अभी भाखरा के लिये कुछ सामान खरीदा जाने वाला है खरीद ने की बात चल रही है, टावर्स खरीद ने की बात चल रही है। वे टावर्स उन विशेष व्यक्ति के यहां से खरीदने के लिये रिकमन्ड करने वाले हैं अपने उस एहसान के फलस्वरूप उनका नाम भी आप जाना चाहें तो वे हैं, कमानी एन्ड कम्पनी है, उनके साथ हम विशेष रियायत विशेष तौर से दी जा रही है क्योंकि उनको अगर यह सामान का आर्डर दिया गया तो जिन्होंने उनको बुलाया और मुख्य मंत्री से मिलाया और इतनी हाई सेलरी पर ईमानदार आफिसर को दूसरी जगह भिजवा कर उनको रखवाया गया तो उसका एहसान का बदला चुक जायगा। अगर इस तरह सरकार करती है तो यह अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं हमारे माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा चेयर मेन महोदय, वे इस टावर्स खरीद की तरफ जरूर आखें रखें। मैं पहले ही इस बात को कह देना चाहता हूं ताकि आप जिसे दलदल में चल रहे हैं उस पर आंख रखने में समर्थ हो सकें। बिजली विभाग के बारे में जितना कहा जाय थोड़ा है। डेली ब्रेक डाउन होना कोई नयी बात नहीं है आज कल एक नया नमूना जो चल रहा है वह भी में पेश करूंगा, माननीय चेयर मेन, माननीय मंत्री जी देखले यह यह कि दिन के साढ़े पांच बजे ही शहर की बत्तियां जला दी जाती है। सरदी के अन्दर साढ़े पांच बजे अन्धेरा हो जाता है लेकिन अभी तक बिजली विभाग के दिमाग में यह चीज नहीं आई कि अब भी साढ़े पांच बजे सड़क की लाईट जलाकर वे किसको प्रकाश दे रहे हैं?

एक माननीय सदस्य—यह तो तरक्की का नमूना है।

श्री मानसिंहमहार— (जारी रखते हुये) हो सकता है, यह उनकी काबलियत का नमूना हो किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तो सरकार की काबिलयत का नमूना बताता है। हमारे चीफ इन्जीनियर जो बंबई से बुलाए गये हैं उनकी एफीसियेन्सीका नमूना है कि आज भी

[श्री मानसिंह महार]

हम साढ़े पांच बजे सड़क पर बिजलियां जलती हुई देखते हैं। उनके दफ्तर में भी तो यह टाइम नोट होता होगा कि सड़कों की लाइट किस समय जलती है। कल शाम तक तो यही हाल रहा है कि साढ़े पांच बजे तक बिजली जलती रही हैं, इस तरह से एक घंटे तक बिजली वेस्ट जाती है।

एक माननीय सदस्य—आप नहीं देख रहे है, यहां भी तो जल रही है।

श्री मानसिंह महार—यहां तो अन्धेरे में लगाना उचित है। यह तो इसलिये है कि जो लोग अन्धेरे की ओर बढ़ रहे हैं उनको ठीक रास्ता दिखाने के लिए है। सड़कों पर तो चलने वाले ज्यादातर गरीब लोग हैं। वे लोग अन्धेरे में नहीं काफी उजाले में हैं। उनको रोशनी दिन में बताने की जरूरत नहीं रहती।

दूसरी इस विभाग के बारे में बात यह है कि जिनको बिजली की आवश्यकता होती है, जिनको एक लट्टू या दो लट्टू की आवश्यकता होती है, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता। हम जैसे इन्फ्लूएन्शल आदमी चीफ इन्जीनियर महोदय से बाते करके बिजली ले लेते हैं और हमको मिनिट के अन्दर बिजली मिल जाती है बिना कनेक्शन की एप्लीकेशन वगैरह के लेकिन उन गरीब लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और गरीबों को कनेक्शन के लिये दिक्कतें होती हैं। इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि बिजली के कनेक्शन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। दीगर कस्बों के बारे में निवेदन करूं तो यह हालत है कि वहां के एन्जिन बिलकुल खत्म हो चुके हैं।

राजस्थान की सरकार के बनने के बाद उन इन्जिनों के जो अच्छे अच्छे पुर्जे थे वे सब निकाल कर बेच दिये गये हैं, उनकी जगह पुराने पुर्जे लगा दिये गये है और अब सरकार से यह कहा जा रहा है कि अमुक स्थान पर इन्जिन बेकार है, अमुक स्थान पर ऐसा है इनको बदला जावे। इसमें भी लाखों रुपया लगेगा। यह भी हमारी सरकार की इनइफीशियेन्सी का नमूना है।

ये चन्द बातें कहकर चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव इस नीयत से रक्खा था कि जो विभाग करप्शन की दौड़ में सबसे आगे पहुँच गया है, जितना करप्शन इस विभाग में है, जितनी अव्यवस्था इस विभाग में है उतनी राजस्थान के ट्रान्स-पोर्ट और एक दो महकमों को छोड़कर कम में ही है, इसलिए निवेदन करूंगा और खास कर हमारे नये मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने नये उत्साह में यदि इस विभाग में कुछ काम कर डालेंगे तो आइन्दा के लिये उनका नाम रहेगा। उनके खिलाफ जो चर्चाएं चल रही हैं वे भी दब जावेंगी। (हंसी) और उनका नाम बढ़ेगा। इसलिए यह आशा करके मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रक्खा है।

श्री **सभापति**—श्री प्रभुदयाल ।

श्री **भैरोंसिंह**:—सभापति महोदय, मेरा भी था । पर बदकिस्मती से बाहर चला गया था, आवाज के वक्त ।

श्री **सभापति** (श्री—हिम्मतसिंह) —इसलिए वह रह ही जावेगा, श्री प्रभूदयाल ।

श्री **प्रभूदयाल**:—सभापति महोदय, मेरा भी इस विषय में एक प्रस्ताव है । "मांग संख्या २५ विषय ४२ थरमो विद्युत योजना में १) की कटौती कर दी जाय । (बहस करने को कि इस विभाग में अव्यवस्था फैली हुई है)"

वैसे तो सब जानते हैं कि यह महकमा इन बातों के लिए कितना मशहूर है और इसमें किस तरह से धांधलीबाजी हो रही है । फिर भी मैं इसके बारे में चार पांच बातें आपके सामने रक्खूंगा ।

अभी मेरे से पहले चौधरी कुम्भारामजी ने राजगढ़ में जनरेटिंग सेट के दो साल से पड़े होने की बात कही । मैं बताऊं मुझे करीब तीन साल हो गये असेम्बली में सवाल पूछते हुए । इस जनरेटिंग सैट को क्यों रख छोड़ा है, चालू क्यों नहीं किया जाता ? कभी कहा जाता है पुरजे नहीं मिल रहे हैं, कभी यह जबाब दिया जाता है कि पुरजे नहीं मिलने से दूसरा लाया जावेगा । अब फिर कहते हैं कि अब पुरजे जल्दी मिलने वाले हैं, आ रहे हैं कभी बम्बई से कभी कलकत्ता से और यह काम जल्दी शुरू हो जावेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या गोलमाल है और यह क्या जबाव है और इतनी रद्दी मशीन को फिर वहां क्यों लाया गया । इसके बारे में साफ कह देना चाहता हूं कि जब सरकारी अफसर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद है, तब भी अगर वह मशीन रद्दी है, काम नहीं कर पा रही है और सबके सामने खरीदी गई तो यह इस विभाग में धान्धलीबाजी होने का और अव्यवस्था होने का बहुत बड़ा प्रमाण है ।

अभी ढाई साल से नोकरों को मुफ्त की तनखा मिल रही है और यह जनरेटिंग सैट उनके सामने एक देवता की मूर्ति की तरह रक्खा हुआ है । उसकी पूजा की जाती है । मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रकार की धांधलीबाजी की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अगर यह जनरेटिंग सैट चालू हो जाता तो सरकार को और जनता को दोनों को फायदा होता । पर इन सब बातों का सन्तोषजनक उत्तर सरकार की ओर से कभी नहीं मिलता । मिलता है तो टालमटोल का उत्तर मिलता है । इसलिए प्रार्थना करूंगा कि इसका उत्तर दें तो बड़ा सन्तोषजनक उत्तर दें ।

दूसरी बात है तारानगर कस्बे के बारे में । इसके लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन लाख रुपया मन्जूर हो गया है । और सारी स्कीम कैबिनेट लैवल पर चल रही है । टेन्डर

[श्री प्रभूदयाल]

मन्जूर होने को हैं पर अभी तक इसके बारे में यह पता नहीं चल सका है कि उस स्कीम का क्या हो रहा है।

तीसरी बात बताऊं कि समीन्देसर ग्राम के लिए बिजली की मांग की जा रही। डेढ़ साल से कागज इसके लिए चीफ इन्जीनियर के दफ्तर में पड़े हैं। न उस पर कोई कार्यवाही हो रही है, न वे कागज वापिस ही भेजे जा रहे हैं। मैंने चार पांच बार पूछा तो कहा यह गया कि कार्यवाही हो रही है। पर वह क्या कार्यवाही हो रही है इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं।

ग्राम ऊदासर, कांकड़ा, जसरासर आदि कई ग्रामों में बिजली की मांग की जा रही है, गांव वाले खर्चा देने तक को तैयार हैं पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर उनको बिजली दी जाती तो सरकार को बहुत ज्यादा प्रोफिट हो सकता था। सरकार की यह स्कीम कही जाती है कि कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं हो। पर यह केवल कहने ही भर की बात है। अगर बिजली देहातों में हो तो उससे।कुए चल सकते हैं, खेती को फायदा हो सकता है, जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है, घरों में भी बिजली मिल सकती है और सरकार की हर स्कीम भी सफल हो सकती है। पर यह इस विभाग की इफोसियेन्सी का नमूना है। यह विभाग सरकार को भी गुमराह करना चाहता है। और इसके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर जनता को नहीं मिलता है और न सरकार को ही पता चल सकता है। सरकार की इच्छा होते हुए भी ये अफसर शीघ्र कार्य नहीं करते, इन विभागों में ये अफसर अपनी धांधलेबाजी से बाज नहीं आते हैं।

यह कहा गया कि पॉवर हाउस घाटे में चलते हैं। इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह करीब देखा गया है कि ६० परसेन्ट पॉवर हाउस इस सरकार के घाटे में चलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी ऊंची रेटें होते हुए भी घाटे में किस तरह से चलते हैं। पर यह भी देखा गया है कि जब कोयले में इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कभी मशीनरी खरीदने में भारी भारी घोटाले होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति को टेन्डर दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तो घाटे में जाना निश्चित ही है। तब इसके लिये मौजूदा मन्त्री महोदय साहब गौर फरमावेंगे और इन धांधलेबाजियों और अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो इस विभाग के बारे में लोगों को अनेकों शिकायतें हैं उनको दूर करने में अपनी पूरी ताकत लगावेंगे और अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो इस राजस्थान सरकार को इस विभाग को सुधारने का श्रेय आप ही को मिलेगा।

तो मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि जो मेरे कटौती का प्रस्ताव है इसका जबाब देते समय जिम्मेदारी से जबाब देंगे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—श्री भोलानाथ। (अनुपस्थिति)
श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, श्री मैलसिंह जी उतावले हैं बोलने के लिये और समय उनको मिल नहीं रहा है। मैं क्या निवेदन करूं कि बिजली लगाई जाती है लेकिन घंटे भर जलती है जैसे श्री मानसिंह जी महार ने कहा कि सूर्य को भी हम दीपक जलाकर देखते हैं यह हो रहा है जयपुर में। और दूसरी ओर हम देखते हैं तो तीन घंटे गायब। फिर मुश्किल से कोशिश करके जलाई जाती है और फिर रात को गायब। बड़ी परेशानी। जिन्होंने अपने मकानों और दूकानों पर लगाई है वे ही इसका पूरा पूरा अनुभव रखते हैं। यह नमूना मैंने भी देखा था हिन्डौन में। मैं किस कार्यवश वहां गया। कुछ व्यक्ति बैठे थे बिजली जल रही थी, दस मिनट में गायब हो गई। तो इस पर परेशानी हुई। दुकानदार ने कहा कि इसका तो हमें बरसों का तजुरबा है, जब से लगी तभी से इसका तजुरबा है, कोई नई बात नहीं है यह तो रोज का काम है। आप लालटेन ले लीजिये और काम चलाईये, हमारे पास यह बराबर रहती है। और हमने देखा कि घंटे भर तक गायब थी बिजली। तो मैं निवेदन करूं यह नमूना देखा। एक जगह नहीं जिले कि अनेकों स्थानों पर बिजली सप्लाई की गई पर दुर्भाग्य है कि लोगों को अपनी आँखों को भी खराब करना पड़ रहा है, कभी तेज रोशनी में काम करने से, कभी दिये के टिमटिमाते प्रकाश में और कभी लालटेन के धुंधले प्रकाश में काम करके। अगर यह भी व्यवस्था है और यही व्यवस्था जारी रही तो हम प्रगति की ओर जा सकेंगे इसमें सन्देह है। इसका कारण भी बताऊंगा। एक ने कहा कि पी. ए. सी. के सामने यह मामले आये। इसके बोनाफाइडो वगैरह पर भी ध्यान दिया गया, सारे मामले की छान बीन की गई। यदि उनके लिये जो ग्रान्ट मिलती है अगर उसका जिम्मेदारी से सदुपयोग हो उस रुपये का तो कमेटी की राय है कि यह रु० कई स्थानों की आवश्यकताओं की मजे से पूर्ती कर सकता है और जनता को भी पूरा सन्तोष प्रदान कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाने को तैयार नहीं और कुछ व्यक्तियों का, सबके लिये मैं नहीं कहता, कुछ अच्छे भी व्यक्ति हैं, यह बात नहीं कि सबके सब बुरे हैं, पर कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा पड़ गया है कि अपने स्वार्थ को ज्यादा जरूरी समझते हैं राजस्थान के हित के मुकाबले में।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मौजूदा पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर कृपया खास तौर से ज्यादा विजीलेन्ट रहते हुए तमाम बातों को देखें स्वयं और इस दुर्व्यवस्था को मिटाने के लिए प्रयत्न करें।

मैं थोड़ा सा यह निवेदन करूंगा कि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां खम्भे तो लगा दिये जाते हैं लेकिन तार का पता नहीं है। कई वर्षों से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन बिजली का नामों निशान नहीं है। उसका गंगापुर एक नमूना है और भी कई नमूने हो सकते हैं।

मैं दूसरी बात और निवेदन करूंगा कि जिलों के हैडक्वाटर्स में जिनका नाम है सम्भवतः कुछ शहर ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है। सवाई माधोपुर का नाम अच्छी तरह से मालूम है।

[श्री श्रीदास गोयल]

मैं निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर से दो मील दूर स्टेशन के पास डालमिया की सिमेन्ट फैक्ट्री है, वहां चमचमाती हुई नई दिल्ली नजर आती है, लेकिन सवाई माधोपुर की चार दीवारी में ऐसा मालूम होता है कि वहां अमावस्या की रात्रि छाई हुई है। इस समाजवाद के ढांचे में एक पूंजीपति दीवाली मना रहा है लेकिन सरकार की ओर से साधारण जनता अमावस्या में रहती है। यह अनुभव करने की बात है। मन्त्री महोदय ने कल खास तौर से इन शब्दों को कहा था कि हम बिजली की ओर प्रगति नहीं कर सके हैं, और अब इस ओर सोचेंगे और कुछ जल्दी करेंगे तो काम चलने वाला है। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि कई दफा यह आश्वासन दिया गया है कि सवाई माधोपुर में जल्दी से जल्दी बिजली लगेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गत सेशन में यह स्पष्ट शब्दों में कहा था जब कि यह विभाग उनके पास था कि मई के महीने में अवश्य वहां बिजली लगेगी। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार से आश्वासन दिये जाते हैं उनको देखते हुए मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं होती कि मई तो दूर रहा आने वाले दिसम्बर तक भी वह लग सकेगा क्या ? मैं निवेदन करूंगा कि आश्वासन देने से काम चलने वाला नहीं है। केवल मुंह की बात क्या कहिये लेकिन कम कहते हुए अधिक करते हैं और कुछ कहते हैं उसे पूरा करते हैं, तो वह गौरव की बात होगी, शान की बात होगी, और आज इस प्रकार की जो आलोचना होती है उनमें भी काफी कमी आ जायेगी। तो अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ साल भर से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट के आश्वासनों के कारण बहुत से ऐसे स्थान हैं वहां पुरानी भावना बनी हुई है उसको देखना चाहिये। जो डिजर्विंग स्थान हैं वहां जल्दी से जल्दी बिजली देना चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिये कि कई ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर बिजली होने से हर प्रकार की काटेज इन्डस्ट्रीज लग सकती है, उसके वहां गरीब लोगों को राहत मिल सकती है। हम देखते हैं कि वहां टेलीफोन की व्यवस्था के लिए सेन्टर के एक मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि १५ दिन में वहां टेलीफोन लग जायगा। मुझे यह कहना पड़ता है कि वहां १३ दिन के अन्दर ही टेलीफोन लग गया। यह आश्वासन की बात है। इस तरह से आश्वासन दिये जाते हैं।........

(विद्युत अदृश्य)

यहां बिजली की बात चीत करते हुए यह हालत होती है। कम से कम इस काम में प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है ऐसी व्यवस्था के लिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—हमारी इच्छा यही है कि आगे के लिये मन्त्री जी विजीलेन्ट हों, ज्यादा केयर फुल हों और अपने सरल स्वभाव से इस बात के लिए ज्यादा ध्यान रखें। यह निवेदन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक साहब ने कहा था कि यहां अभी भी

[श्री श्रीदास गोयल]

बिजली जल रही है मेरे सामने, लेकिन जहां बिजली नहीं जल रही हैं वहां अमावस्या की रात्रि को पूर्णिमा की रात्रि तो बना दें। यही निवेदन है।

श्री सभापति—श्री संतोषसिंह। (अनुपस्थित) श्री कंवरलाल जेलिया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमैन,........

श्री सभापति—जरा जोर से बोलना पड़ेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैंने मांग संख्या २५ विषय ४२ थरमों विद्युत योजना के सम्बन्ध में १ रु० की कटौती के लिए प्रस्ताव रखा है। कोटा पॉवर है उसके कार्य पर असन्तोष प्रकट करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है।

माननीय चेयरमेन, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितने पॉवर हाउसेज चल रहे हैं सरकार के द्वारा उन पॉवर हाउसेज में कोटा का ही एक पॉवर हाउस ऐसा है जो कि घाटे में नहीं चल रहा है। वह मुनाफा राजस्थान सरकार को देता है। (हियर, हियर) लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता, कोटा की जनता को इसके कार्य के बारे में असन्तोष है कि वहां के इन्जिन से जो शक्ति पैदा होती है बिजली की वह कमजोर है। सन् ५२ में सरकार ने नया ब्यायलर फिट किया था जिसको कि सरकार नया ब्यायलर मानती जब कि वह कहीं से पुराना काम किया हुआ ब्यायलर मंगा कर फिट किया गया है। और अभी पिछले महीने फर्वरी में ही उसने काम करना बन्द कर दिया और शहर भर में रोशनी न रही और अंधेरा रहा, यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस रोज कि जनता को रोशनी की परेशानी न उठानी पड़ती हो। आज वहां के पॉवर हाउस की यह दशा है कि जितनी पानी सप्लाई करने के लिए पावर की आवश्यकता है उतनी पावर वह दे नहीं सकता है, और पानी के लिये कोटा की जनता को काफी असुविधा उठानी पड़ती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बजट के भाषण में यहां इस सम्बन्ध में कहा गया और सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया वह यह है कि हम बहुत जल्दी ही डिजल आइल का इंजिन मंगाकर इस असुविधा को दूर करेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि उसकी तारीख निकल चुकी है, क्या नया एन्जिन लगाने के सरकार ने ऑर्डर्स दे दिये हैं और टेन्डर्स मन्जूर कर लिये हैं? तो आज जो भी स्थिति हो वह बताई जाय। एक नया एन्जिन कब से लगना शुरू हो जायगा और शहर की जनता को पानी की सप्लाई के लिए जो असुविधा रहती है वह असुविधा कब दूर हो सकेगी। माननीय चेयरमेन, इसके साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि चम्बल बांध की वजह से कोटे में व्यापारिक धन्धे और इन्डस्ट्रीज खुलेंगी उसकी वजह से पॉवर की काफी मांग बढ़ रही है। आज की स्थिति में जितने पावर एंजिन लगे हुए हैं उनको देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि पानी की सप्लाई व्यवस्था को वे पूरा कर सकेंगे और इंडस्ट्रीज की तरफ से जो

[श्री कंवरलाल जेलिया]

पावर की मांग आती है उसको पूरा करेंगे । इसके लिए सरकार को जल्दी ही आवश्यक कदम उठाना चाहिये ।

मैं इसके साथ यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना में नये टरबाइन सेट के मंगाने की तजवीज रखी गई थी । लेकिन चार साल होगये अभी तक सरकार द्वारा टरबाइन सेट का क्या निर्णय हुआ है यह नहीं बताया गया है । काफी मुनाफा आता है इस पर । इसमें लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है वह क्लियर नहीं किया गया है । १॥ साल पहले सरकार द्वारा आॅर्डर्स टरबाइन मंगाने के लिए दिए जाने चाहिये थे वे नहीं दिये गये हैं । उनकी कैसी स्थिति चल रही है ? तो मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय नये टरबाइन सेट के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है उसका स्पष्टीकरण करें । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । इतना ही पर्याप्त होता है कि उसका खास तौर से ध्यान दें ।

जब हमारा पावर हाउस घाटे में नहीं चलता है तो वहां के मजदूरों के लिए भी ध्यान देंगे । वहां के मजदूरों की वेतन वृद्धि के बारे में भी बराबर सरकार के सामने ध्यान दिलाया है । दूसरी जगह के वेतनों को देखते हुए वहां के मजदूरों के वेतन की दरों का सवाल आता है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्रीसभापति—श्री कस्तूर चन्द ।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन महोदय,....

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन महोदय,....

श्री सभापति—आपका कोई कट मोशन नहीं है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मेरे भी कटमोशन्स थे ।

श्री सभापति—आप गैर हाजिर थे इसलिए आपका नम्बर चला गया ।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं निम्नलिखित कटोती प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा ।

"मांग संख्या २५, विषय ४२—थरमो विद्युत योजना में १) रुपये की कटोती कर दी जाय (शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, में पॉवरहाउस की अव्यवस्था के बारे में कुछ विचार पेश करने के लिए) ।"

(सभापति, श्री हिम्मतसिंह, द्वारा आसन ग्रहण)

[श्री कस्तूरचन्द]

माननीय चेयरमेन महोदय, शाहपुरा एक पुरानी रियासत रही है। यह दस हजार की पोपुलेशन का अच्छा कस्बा है। उसमें शाहपुरा स्टेट गवर्नमेंट के वक्त से पावर हाऊस लगा हुआ है और वह अब तक वहां है। उसके सुधार के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा। उस पावर हाऊस से शाहपुर के अन्दर रात्रि के ११ बजे तक बिजली दी जाती है, आगे रात्रि के लिए नहीं। जैसी कि वहां के पावर हाउस से सुविधा मिलनी चाहिये सारी रात्रि के लिए, वह नहीं मिलती है।

दूसरी बात यह हैं कि शाहपुरा पावर हाऊस को बड़ा बनाने के लिए शाहपुरा स्टेट की वक्त से जो एक एन्जिन पड़ा हुआ था उस एन्जिन को अब सुना है कि शायद भीलवाड़ा ले जाया जा रहा है जिससे वहां की जनता में असंतोष है। चाहिये तो यह था कि वहां के बिजलीघर में सुधार हो और हरएक को बिजली मिले लेकिन जो एन्जिन वहां पहले का पड़ा हुआ है, जो पहले की पूंजी है उसको भीलवाड़ा ले जाने से एक दुःख की बात है। शाहपुरा में जो पावर हाऊस है उससे अखबार तक नही देखा जा सकता है ऐसी हालत है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शाहपुरा पावर हाऊस में सुधार करें और वहां की जनता को, हरएक को व्यवस्थित ढंग से बिजली मिले। इतना ही कहते हुए मैं मेरे कटौती के प्रस्ताव को पेश करना चाहूंगा।

श्री भैरूंसिंह—(बोलने के लिए प्रस्तुत।)

श्री सभापति—Order please ! जिन महानुभावों के कटोती प्रस्ताव थे उनको पुकारा गया। जो उपस्थिति थे वे बोल चुके और जो उपस्थिति नहीं थे नहीं बोल सके। अब उन्हें यदि अपना कटोती का प्रस्ताव मूव करना है तो उसके लिए उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। वैसे हर सदस्य को अधिकार है कि किसी कटोती के प्रस्ताव पर अपने सुझाव सामने रखें। लेकिन इतना और कहूँगा कि इसके लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा और पांच मिनिट बोल सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मिस्टर चेयरमेन महोदय,........

श्री हरीराम निनावा—चेयरमेन महोदय,........

श्री सभापति—कुं० श्री जसवन्तसिंह।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुझे रोशनी-घर के सिलसिले में दो चार बातें कहनी हैं। मिस्टर चेयरमेन सर, कट मोशन्स पर काफी बातें सुनीं और यहां के हिसाब-किताब की जो हालत है, जो रोशनी घर के सामान के मुतल्लिक हिसाब की हालत है, वे तो सब ही जान रहे हैं कि किस घोटाले से काम चल रहा है, बल्कि मैं तो ताज्जुब करूंगा कि अगर हमारा पावर हाउस हिन्दुस्तान भर में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त न कर ले। वहां पर घोटाला किस हद तक पहुँच गया है यह मैं दो एक मिनिट में बताना चाहूँगा। मेरे ऐसा सुनने में आया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है, जो व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं वे नोन टेक्निकल काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

सम्भाले । ऐसा ख्याल था कि कुछ समय हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन को सम्भाले तो एडमिनिस्ट्रेशन सुधर गया होगा । लेकिन मिस्टर चेयरमेन, सर, मैं निवेदन करूं कि चार पांच महीने पहले मेरे पास एक चिट्ठी पहुँची एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कि आपके जिम्मे ४,८००) रुपये बाकी निकलता है रोशन घर का, इसलिये आप फौरन जमा करावें । मैं हैरान हुआ । रोशनी घर की स्थिति को जानते हुए, रोशनी घर से सामान कब लिया और ४,८००) का बिल कैसे आ गया ? शायद मेरे से इस हालत को जानते हुए भी कहीं गलती हो गई होगी । मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लिखकर पूछा कि कृपा करके बतावें कि मेरे में ४,८००) जो आपने निकाले हैं वे कहां से निकाले हैं, कौन २ सा सामान के हैं और कौनसी मद के हैं ? सोचा कि कहीं गलती तो नहीं कर ली, मामूली तौर पर सावधानी से चलने वाला आदमी हूं फिर भी वहां से सामान क्रेडिट पर कैसे ले आया होऊं । वहां से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया और उसके दो तीन महीने बाद मेरे पास एक चिट्ठी आती है उसमें लिखा जाता है कि १७।) बाकी हैं, उस चिट्ठी का जो कि मैंने उनको लिखी थी, जवाब तो वे निगल गये और कहा कि १७।) बाकी हैं, छोटी रकम है, दे दें । उसके लिये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लिखा कि १७।) हो सकते हैं क्योंकि एक दफा मेरी गलती हो गई थी । मिस्टर सत्संगी सन् ५४ में चीफ इन्जीनियर का कार्य करते थे । मैं किसी कार्यवश चला गया । मुझे मालूम हुआ कि बिक्री के लिये ट्यूब लाइट्स हैं और हर किसी को बेचते थे तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि पांच छः मुझे भी दे दीजिये । उन्होंने कहा कि क्रेडिट पर ले जाओ, बिल बाद में आ जायगा । मैंने कहा कि मैं इतनी गलती नहीं करता क्योंकि मैं क्रेडिट से रोशनीघर से सामान ले लूं जो कि मेरे से नहीं तो मेरी सात पीढ़ी से कहेंगे कि फलां फलां ने यह सामान खरीदा था और यह रकम बाकी है । मैंने कहा कि मेरे साथ आदमी भेज दीजिये मैं जो इसका पैसा है वह दे दूंगा और ट्यूब लाइट्स ले लूंगा । तो यह तय करके रोशनी घर के आदमी के साथ वह ट्यूबलाइट्स पहुंचायी गई नकद कीमत देदी और कहा कि रसीद बाद में भेज दी जायगी ।

दो वर्ष के पहिले जो गलती की थी उसके लिये कहते है कि १७।) ट्यूबलाइट्स के हैं सो जमा करावें । यह भी लिखा कि छोटी सी रकम है देने में आनाकानी नहीं होनी चाहिए । मैंने कहा कि रकम छोटी है, इससे दुगुनी तिगुनी दे सकता हूं लेकिन वाजिब नहीं है तो क्यों दूं । मैंने कहा कि चीफ इंजीनियर के सामने के बात हुई, नकद दाम दिये, रसीद के बारे में यादन हीं हैं, अब भी देने के लिए तैयार हूं लेकिन इसके साथ यह गारन्टी दे दी जाय कि आयन्दा से रकम तीसरी दफा नहीं मांगी जायगी ।

तो कहने का मतलब यह है कि भूले भटके अगर किसी ने पांच रुपये की चीज खरीद ली और उसके बाद, दस वर्ष बाद पांच हजार रुपया वसूल किया जा सकता है उसके पीछे वालों से और अगर रकम देने की स्थिति में नहीं हो तो पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट द्वारा भी वसूली की जा सकती है । हमारे राज्य का महकमा है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं चीफ इन्जीनियर होता है, लाखों रुपयों के लेन देन का मामला होता है वहां पर इस तरह की यदि

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

धांधली हो और खुल्लम खुल्ला इस तरह की लूट हो तो मैं यह कहता हूं कि यह सभ्य महकमा नहीं कहलाया जा सकता और ऐसा राज्य जिसमें ऐसा महकमा होता है वह सभ्य राज्य नहीं कहला सकता। यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर पूरा गौर किया जाय और जनता को तंग करना और वाजिब रुपया न हो तो भी उनसे लेना, यह एक जनतन्त्र में चलने वाली और शोभा की बात नहीं हो सकती है। जो कटौती के प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखे गये हैं मैं उनकी ताईद करता हूं।

श्री हरिराम निनामा—चेयरमेन महोदय इस सिलसिले में मुझे राजस्थान में तो अंधेरा दिखता ही है लेकिन आज ज्यादातर बांसवाडे के अंधेरे की बात कहूंगा। हम आशा करते थे और हम उम्मेद यह रखते थे कि हमारी सरकार बने और हम जो पहाडियों में रहने वाले आदिवासी हैं वे चाहते थे कि अब हमारे यहां बिजली हो जायगी। हम लोग कई सदियों से अंधेरे में थे और यह सोचते थे कि अब उजाला होगा लेकिन अब तक, पांच वर्ष होने आये, अब तक अंधेरे में ही हैं, उजाला नहीं आया। हमें सबसे बहत्तर दुख इस बात का है कि हमारे माननीय मंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री को दिल्ली से बुलाया गया। वे दिल्ली से बांसवाडा रात्री में १२ बजे पधारे और दूसरे दिन बिजली के अभाव में हमारी कमजोरी के कारण हमने लालबहादुर जी शास्त्री का बाजार में एक ही जगह स्वागत कर दिया लेकिन रात को एक घर में सुला दिया क्यों कि बांसवाड़े में अंधेरा है। अंधेरी गलियों में आप का जलूस निकालें तो क्या हालत होगी, किधर जाना है और किधर चले जायेंगे (हियर हियर)। दुःख की बात है कि हमारी सरकार को इस बात का ख्याल करना चाहिये कि हमारे यहां इतना अंधेरा है। महान नेता दिल्ली से पधारे लेकिन अंधेरे के कारण रात को उनको एक घर में सुलाना पडा, यह कितने दुःख की बात है। [हियर हियर]

आपने यह कहा था कि गांवों में मेले कायम किये जायेंगे। गांव गाँव में अच्छे मेले, नये हाट चालू करेंगे। घाटोल, कनकपुर, कुशलगढ़ आदि में हाट कायम किये जायेंगे। लेकिन अंधेरी रात में हाट में गरीब जाते हैं, उनका माल बैल गाडियों पर जाता है और डाकू उनका माल लेकर चले जाते हैं। बांसवाडा की भूमि अंधेरी ही है। आज तक किसी ने बिजली का प्रबन्ध नहीं किया, यदि किया तो मुझे आश्वासन देंगे के यहां तक कर पाये।

लोग कहते हैं कि कुशलगढ में बिजली की मशीन थी पर वह ज्यों की त्यों बंद पडी है। संबंधित मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन्क्वायरी करें कि वह क्यों खराब है, उसमें क्या बीमारी है और कुशलगढ़ में बिजली क्यों प्रबन्ध नहीं हो पाया और अगर हो पाया तो बताइये। इसलिये मैं कम से कम आप से प्रार्थना करूं कि जहां जहां हाट और मेले दूसरे कायम किये गये हैं वहां पर बिजली का प्रबन्ध होना चाहिये। बिजली होगी तभी आप हाट और मेले की बात और मनोरंजन और मेले की बात कहिये। यदि बिजली नहीं होती तो हाट क्या और मनोरंजन क्या मैं कहता हूं कि कम से कम सब जगह बिजली नहीं हो सकती हो तो उसकी बात छोड दीजिये परन्तु लान्टेन या चिमनी रखने

[श्री हरिराम निनामा]

की कोशिश तो कीजिये। पंचायतों के द्वारा या सरकार के किसी विभाग द्वारा चिमनी लगाने का प्रयत्न तो करना चाहिये। हम सब चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। पर हम सब तरह से पिछड़े हुए हैं। हमारी मांग करने का जरिया नहीं है। मंत्री जी बतायेंगे तो जरूर समझेंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि बिजली के सिलसिले में कोई काम नहीं किया गया और बांसवाडा की तरफ बिजली का एक भी फांटा नहीं मिलता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री हरिराम निनामा मुझे ५ मिनिट और दीजिये।

श्री सभापति (हिम्मतसिंह)—आपको कटोती का प्रस्ताव रखना चाहिये था, आपको ५ मिनिट का समय दे दिया।

श्री संतोषसिंह—मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति—आप अपने कटोती प्रसताव पर नहीं बोल सकते।

श्री संतोषसिंह—वैसे ही मुझे बोलने का थोडा समय दिया जाय।

श्री सभापति—बोलिये।

श्री सतोषसिंह कछवाहा—चेयरमेन महोदय, बिजली के मुत्तलिक मांग है उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस वक्त जोधपुर में अन्धेरा ही अंधेरा नजर आता है। जहां पर बिजली लगी हुई है वहां रात में २–३ घंटे लगी रहती है और बाकी रात भर अंधेरा रहता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि लोड ज्यादा है। जब नये कन्ज्यूमर आते हैं तो उनको डाक्टरी सार्टिफिकेट आदि लेने के बाद टेम्पोरेरी कनेक्शन दे देते हैं और इस तरह से हमारीं सरकार ब्लैक मार्केटिंग करती है। परमानेन्ट कन्ज्यूमर्स जो हैं उनसे तो ६ आना युनिट के हिसाब से ही ले सकते हैं लेकिन टेम्पोरेरी कनेक्शन देकर ब्लैकमारकेट के जरिये उनसे १२ आना पर युनिट के हिसाब से ले लेते हैं और बदले में कभी किसी पार्ट में अंधेरा कर देते हैं और कभी किसी पार्ट में। जोधपुर में कभी ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन अंधेरा न हो। दिन में भी बिजली बंद हो जाती है और कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों की मजदूरी यों ही लगती है क्योंकि पावर नहीं होने से वे काम नहीं कर सकते।

अब सुना है कि डिजल ओयल से चलने वाले प्लान्ट आयेंगे। उसके लिये चेयरमेन महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है डिजल ओयल से चलने वाले इंजिन ज्यादा चलने वाले नहीं

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

हैं। एक दो साल में ही वे खराब हो जायेंगे। ये जितने परचेज किये गये हैं वे वेस्ट ओफ मनी है। जहां तक हो स्टेन्डर्ड के इंजिन लगने चाहिये ताकि ५० वर्ष तक भी काम दे सकें। डिजल का देखने में सस्ता अवश्य पड़ता है लेकिन दर असल में मंहगा ही पड़ता है।

बिजली घर के कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनको कई दिनों से सरकार मंजूर नहीं करती है, इसलिये वे आये दिन अपना प्रदर्शन करने के लिये बाजारों में रोज जलूस निकालते हैं। सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें मंजूर करेंगे इसलिये भूख हड़ताल तोड़ दो और इस पर उन्होंने हड़ताल तोड़ दी। लेकिन कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि एक भी मांग मंजूर नहीं की गई है तो फिर वापिस झगड़ा शुरू हुआ। तब से रोज जलूस निकालने लगे। जो उनकी मांगें हैं वे एक एक करके सब मंजूर करली जांय। दूसरी बात कोयले के बारे में कहना चाहता हूं। जितने बड़े बड़े इंजिन हैं वे सब कोयलों से चलते हैं और कोयलों के टेन्डर आने पर १६–२० रु० टन के हिसाब से मंजूर करते हैं लेकिन कोयला आता है ८–१० रु० टन के हिसाब का जो रद्दी होता है और धुंआ भी बहुत देता है।

जोधपुर रियासत के समय भी यही बिजली घर चलता था और ये ही इंजिन चलते थे, लेकिन उस समय बिजली घर से सरकार को ५, ६ लाख रुपये सालाना की आय होती थी। लेकिन आज उसी बिजली घर में ३, ४ लाख रुपये सालाना का घाटा है। उसका कारण यह है कि कोयले कच्चे ही निकाल दिये जाते हैं और चूरी का टेन्डर होता है। पोइन्ट्स मेन आदि से मिलकर कच्चे कोयले निकाल लिये जाते हैं, पूरे जले बगैर निकाल लिये जाते हैं और वे चूने के भट्टों में काम आते हैं, इस तरह से बिजली घर को नुकसान होता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा सा समय और लूंगा। रेड स्लिप का यह सिस्टम था कि जिनका ड्यूज ३ महीने के बाद नहीं जमा होता था उसके पास रेड स्लिप आती थी लेकिन आज कल किसी के पास तो रेड स्लिप दो हफ्ते बाद भी आजाती है और किसी के पास ६ महीनों तक भी रेड स्लिप नहीं आती, बल्कि किसी किसी के पास तो १२ महीनों तक नहीं आती। और कभी कभी ५० रुपये तक की बकाया के लिये रेड स्लिप आ जाती है और जिनमें १० हजार रुपये बाकी हैं उनके पास रेड स्लिप नहीं आती है और बिजली देना कन्टीन्यू रहता है और जिसके पीछे सिफारिश नहीं है उसके पीछे रेड स्लिप लगी हुई रहती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिल कलेक्शन का जो काम होता है वह जोधपुर में एक ही बारी में होता है और उसी में सारे शहर के बिल आते हैं। वहां पर १२००० से ज्यादा कन्ज्यूमर्स हैं। इतने कन्ज्यूमर्स का काम एक ही बारी से एक महीने में नहीं हो सकता।

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

दूसरा कोई इन्तजाम नहीं होने से सुबह से शाम तक ले नहीं सकते। इसलिये बिल कलेक्शन के लिये ४, ५ स्थान कर दिये जावें तो देर न हो और रेड स्लिप का खतरा टल जाय क्योंकि रेड स्लिप से कनेक्शन कट जाता है और वापिस लगाने के लिये ३ रुपये देने पड़ते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री संतोषसिंह—मुझे ५ मिनिट और दिये जावें।

श्री सभापति—आपको ५ मिनिट हो गये।

श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति जी, बिजलीघर के बारे में इस सदन में काफी वाद विवाद हुआ है और मैं भी इस संबन्ध में एक दो मिसालें देकर कुछ निवेदन करना चाहूँगा, कि बिजली की कितनी अव्यवस्था है। मैं यह निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जिला में गंगापुर का बहुत बड़ा कस्बा है और आबादी के लिहाज से भीलवाड़ा के बाद उसका ही नम्बर आता है। वहां पर बिजलीघर खोलने के लिए कई अर्से से कोशिश हो रही है। गांव वालों ने कई पत्र दिये व पब्लिक की तरफ से कई प्रार्थनापत्र दिये और मंत्रियों से भी लोग मिले। मैं भी मिला परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अब तक बिजलीघर खोलने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और न प्रार्थना-पत्रों का कोई जवाब ही मिला। इसलिये वहां पर बिजली का अभाव रहा है। इससे वहां की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ दिन पहले एक सरक्यूलर निकला था उसमें पूछा गया था कि छोटे कस्बों में जहां ग्राम पंचायतें हैं वहां पर बिजली लगाने के सम्बंध में कहां २ बिजली की आवश्यकता है यह पूछा गया था। इससे यह प्रतीत हुआ कि सरकार बड़े २ कस्बों में और छोटे छोटे गांवों में बिजली की व्यवस्था करना चाहती है। अगर सब छोटे बड़े गांवों में बिजली की व्यवस्था हो जावे तो यह एक अच्छी निशानी है मगर मैं यह कहूंगा कि जो स्थान आबादी से काफी बड़े हैं और पब्लिक द्वारा बार बार मांग की जा रही है वहां गंगापुर में शीघ्रातिशीघ्र बिजलीघर खोला जाना चाहिये और जनता को जो अभाव है वह दूर होना चाहिये। मैंने एक प्रश्न द्वारा पूछा और सूचित किया था कि सरकार बिजलीघरों को कहां कहां मदद दे रही है, जहां कि पावर हाउस नहीं हैं। मुलाल कमेटी द्वारा चलायेजाने वालों को खर्चा दिया जाता है। मैं कोई वजह मालूम नहीं कर सका कि गंगापुर में जो सब दृष्टियों से बिजली घर के लिए उपयुक्त है वहां पर बिजलीघर क्यों नहीं जल्दी से जल्दी खोल दिया जावे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको नोट कर लें और गंगापुर में इस वक्त बिजलीघर शीघ्रातिशीघ्र खोलने की व्यवस्था करें।

श्री भैरूसिंह (१६)—चेअरमेन महोदय, मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)--I allow you for five minutes.

श्री भैरूसिंह—इस विभाग के बारे में आम तौर से चर्चा सुनने को मिलती है कि इस विभाग में जितनी अव्यवस्था का बोल बाला है उतना राजस्थान के किसी भी विभाग में शायद ही होगा। बार बार पब्लिक की ओर से मांग की जाती है हमें बिजली घर को कोमर्शियल बेसिस पर रन करें और इस बात का अन्दाजा लगाना कि किस तरह के व्यक्ति आज यहां पर हैं और इससे सरकार को कितना घाटा और कितना लाभ होता है और घाटे की स्थिति में सरकार कौनसी योजना और लागू करने जा रही है, जिससे इसको घाटे की पूर्ति हो सके। लेकिन राजस्थान पब्लिक की बदकिस्मती है कि बराबर लौस में होते हुए भी ओर. पी. एस. सी. की सिफारिश के बाद भी कि इसमें बहुत घोटाला है, कोई स्पष्टिकरण नहीं कर सकती कि इसमें कितना घाटा है और यह कितना घाटे में रन कर रहा है। चेअरमैन महोदय, मुझे इसका मुख्य कारण यह नजर आया कि यह बिजली विभाग दूसरों को प्रकाश देता है और इसको खुद को प्रकाश नहीं मिलता और यदि इसमें थोड़ा बहुत प्रकाश मिलता है तो वह इस माने में मिलता है कि लूट मचाई जाय। इसमें प्रकाश है, यहां जो समान खरीदा जाता है और जो समान आज मौजूद है, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जो कार्यवाही हो रही है उसमें केवल इस बात की चर्चा की जा रही है कि आज के दिन इसमें कितना सामान है। इस बात की जांच नहीं होती कि कितना सामान ५ वर्ष में आया और कितना सामान चला गया और कितना सामान ऐसा है जिसमें न तो उसके आने की कोई एन्ट्री है न उसके जाने की एन्ट्री है। जब पब्लिक एकाउन्टस कमेटी में इसका प्रश्न आता है तो इसके लिए आश्वासन दिये जाते हैं कि जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जायगा, मगर आज दो साल की पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की सिफारिश के बावजूद भी आज भी वही स्थिति है और जो कुछ भी बेरिफिकेशन हुआ है वह बिल्कुल इनकम्पलीट है और कोई यह नहीं कह सकता कि ५ वर्ष में कितना सामान आया और कितना सामान गया और कितना घोटाला हुआ है।

जितना सामान खरीदा जाता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं। बिना जरूरत के जो कोई चाहे सामान खरीद लिया जाता है और जो जिस पार्टी को मदद देने का विचार कर लेता है उससे सामान खरीद लिया जाता है। चाहे राजस्थान में उस सामान की आवश्यकता हो या नहीं लेकिन चूंकि उनको उस व्यक्ति से खरीदना है, खरीदा जाता है। अभी कुछ दिन पहले जनरेटिंग सेट के टेन्डर इन्वाइट किये और उसके टेन्डर आये। मगर जिस व्यक्ति को स्वायत्त मन्त्री मदद करना चाहते थे उस कम्पनी से खरीदना चाहते थे उसकी रेट्स कम नहीं आई। दूसरों की रेट कम आई इसलिये टेन्डर दुबारा इन्वाइट कर दिया गया।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और यह कहा गया कि जो लोएस्ट टेन्डर होगा उसका सामान हम खरीदेंगे। बार बार यही कहा जाता है, कि इसके लिये टेन्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं, जब इसके लिये पूछा जाता है, लेकिन कोई सामान खरीदा नही गया। जिसका बे

[श्री भैंरू सिंह]

पक्ष लेना चाहते हैं जब तक उसकी लोएस्ट रेट नहीं आये तब तक वे टेन्डर रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ; पक्ष लेने के कारण बिजली विभाग में कितना घोटाला होता है ? इसके अलावा किस प्रकार से सामान आता है, खरीदा जाता है, अगर इसके लिये कोई जांच कराई जाय तो पता लगेगा कि इसका कोई पता नहीं कि कितना सामान आ जाता है और कितना जाता है। सरकार ने इसकी जांच के लिये एक यादराम चतुर्वेदी को स्पेशल ऑफिसर रखा। इसके बाद रानावत Committee मुकर्रर की और उसने रिपोर्ट दी। लेकिन ये लोग बिजली घर में जो मौजूदा समय में काम होता हैं उसके घोटाले को ही पकड़ पाये हैं। यादराम की रिपोर्ट में कई ऑफिसरों का उल्लेख है कि उनकी गल्ती और असावधानी से यह बिजली विभाग में घोटाला हुआ। सामान इधर उधर लोग ले गये और रानावत रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कोई उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितने टूल्स बिजलीघर में हैं उनका कोई हिसाब नहीं। जो बाहर जाते हैं उसका हिसाब नहीं। जाते हैं और वापिस भी आते हैं या नहीं या कोई अधिकारी जाते समय अपने साथ टूल्स ले जाए उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं।

उसका इस विभाग में हिसाब किताब नहीं। बारबार हिसाब को ठीक करने के लिए व्यवस्था की जाती है। यहां हमें इस बात को निश्चय करने में दिक्कतें आती है या वास्तव में जिस चीज का आर्डर कर रहे हैं उसकी कमी है या नहीं। वहां की चीजें किस प्रकार से इस्तेमाल में आती हैं । जब तक हिसाब किताब ठीक प्रकार से न हो तब तक किस प्रकार से जांच की जा सकती है कि फलां फलां चीज कहां कहां पर है ? यह निर्विवाद है कि यहां हिसाब किताब ठीक तरह से मेन्टेन नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग द्वारा रेफ्रीजेटर, फेन्स, हीटर्स आदि इस प्रकार की चीजें हैं मामूली नार्मल रेट्स पर लोगों को दी जाती हैं लेकिन इस विभाग के आंकड़े देखें तो आपको पता चल जायगा कि एक एक आफिसर के यहां एक एक रेफ्रीजेटर या एक एक हीटर या एक एक पंखा ही नहीं जिस प्रकार आवश्यकता हुई पांच पांच छ छ दे दिये गये। एक तरह उन्हीं आफिसरों की उन पर मोनोपोली हो, केवल आफिसर ही नहीं बड़े बड़े नेता लोग उसमें शामिल हैं। वे वहां जाते हैं दरख्वास्त दे देते हैं कि मुझे रिफ्रीजेटर की जरूरत है, चार पंखे पाच-सात हीटर की जरूरत है और वे उनको मिल जाते हैं क्योंकि वहां नार्मल रेट्स लगती है । यह रियायत जहां आम लोगों के लिये हैं वहां इसका फायदा गवर्नमेंट आफिसर्स केवल एक गुट विशेष के आफिसर और संबंधित गुट के नेता लोग उठा पाते हैं। अगर माननीय मन्त्री महोदय चीफ इन्जीनियर से पूछ कर जांच करें कि इन बारह महिनों में रेफ्रीजेटर और हीटर्स कहां कहाँ दिये और उनका किस किस तरह उपयोग हुआ उससे पता चल जायगा कि यह जनता को राहत देने के लिये हैं या जनता के तथाकथित नेताओं को या एक गुट विशेष के अफसरों के लिए ही हैं। इस लिये मैं माननीय मन्त्री जी से दुबारा निवेदन करूंगा इस विषय के अन्दर अपने विभाग के कर्मचारियों को खास तौर से आदेश दें।

[श्री भैरूंसिंह]

एक चर्चा कई दफा चलती है बिजली विभाग का बकाया कितना है मेरा ख्याल है वह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता है। गत वर्ष १७ लाख था वह अब २५ लाख हो गया, मैं समझता, हूँ अगले वर्ष वह ३५ लाख तक पहुंच जायगा। इस ओर सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना होगा, रूलर्स का जो बकाया है उसके लिए सरकार बराबर यह कहती है कि उनको हम कितनी बिजली देंगे मुफ्त में वे कितनी बिजली मुफ्त में पाने के अधिकारी है इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है इसलिये उनसे वसूली रुकी हुई है। यह मामला १९५० से चल रहा है १९५६ तक। यह हमेशा आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि छ महिने में कर लेंगे लेकिन आज छ वर्ष होने आया है इसका फैसला नही हुआ। हमारे नरेशों को कवेनेन्ट के अनुसार कितनी बिजली मुफ्त में देना है और किस हद तक देनी है वह निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है इस लिए राजाओं में अभी तक काफी बकाया है।

म्युनिसिपेलिटीज में भी काफी बकाया है गवर्नमेंट आफिसेज में काफी बकाया है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसेज में भी बकाया है। हो सकता है और यह कहा भी जाता है कि म्युनिसिपलिटीज की यह स्थिति नहीं है वे बकाया रकम दे सके, गवर्नमेंट दफ्तरों को तो एडजस्टमेंट का सवाल है वह अभी तक हुआ नहीं। अकाउन्ट एडजस्टमेंट का सवाल है लेकिन आप प्राइवेट पार्टीज के लिए क्या कहते हैं जब कि आपने यह नियम बना रखा है कि यदि कोई बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसको कनेक्शन काट दिया जाता है और जो रकम वसूल करनी है वह पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूल की जाती है। प्राइवेट पार्टीज में आज करीब १७ और २० लाख के करीब रुपया बाकी है लेकिन उनकी तरफ से भी वसूल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए सीधा तरीका है कि उनका कनेक्शन काट दिया जाय और बकाया रकम पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत की जाय। तो इससे क्या होगा जिनका काम बिना बिजली के चल नहीं सकता वे फौरन या तो रुपया जमा करवायेंगे या सरकार से आश्वासन लेंगे कि हम एक महिना या दो महिनों में रुपया जमा करवा देंगे, अगर इस तरह का कदम सरकार नहीं उठाती है तो सरकार कमजोर है। इससे साफ जाहिर होता है कि सेठों का सामना करने की सरकार की हिम्मत नहीं। पूंजीपतियों में जो सरकार का बकाया है वह सख्ती से वसूल किया जाना चाहिये अगर आप इस तरह भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके सामने एक उपाय रखता हूँ। वैसे ही आपको म्युनिसिपलिटीज को लोन देना ही पड़ता है इसलिये जहां जहां भी पावर हाउसेज हैं वे सारे के सारे आप म्युनिसिपलिटीज के अन्डर में दे दीजिये। आप देखिये म्युनिसिपलिटी कितना जल्दी वसूल कर लेती है। आज आप म्युनिसिपलिटीज की हालत को सुधारने के लिये उनको नये टैक्स लगाने का सुझाव देते हैं और कहते हैं कि हम किसी प्रकार की सबसिडी देने वाले नहीं मैं समझता हूँ यदि आपने पावर हाउसेज का काम इनके जिम्मे सौंप दिया तो जनता पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज ही यदि आप ऐसा कर दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकारी पक्ष के जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड हों या विरोधी पक्ष के जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड हों वे बहुत जल्दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसेज से राजस्थान सरकार

[श्री भैरूसिंह]

के आफिसेज और प्राईवेट पार्टीज से जो बकाया अब तक चलता आ रहा है वह जल्दी ही ये हो जायगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टैक्स लगाने की नीति का हर संभव उपाय से विरोध होगा।

अंत में मैं एक बात की ओर और संकेत कर दूं, मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि राजस्थान में इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल विभाग के चीफ इंजीनियर का पद कई अरसे से खाली था और उस पद की पूर्ति अभी अभी की गई है बाहर से एक ओफीसर को बुलाकर। मैं उन अफसर महोदय की किसी विशेष बात का जिक्र न करते हुये इतना अवश्य कहूँगा माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कि उन व्यक्ति की किसी विशेष योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। न कोई बम्बई सरकार से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करके के नहीं आये हैं इस बात का प्रमाण पत्र भी नहीं है उनके पास कि बम्बई में जितने अरसे रहे उन्होंने बम्बई पावर हाउस को ठीक तरह से चलाया बल्कि उनके पीछे एक सिफारिश है वह सिफारिश है कमानी एण्ड कम्पनी की। इस कम्पनी ने इनको १६ फरवरी को मुख्य मन्त्री से मिलाया और उनकी नियुक्ति कराई। अभी जमवा रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि भाखरा के लिए अभी टावर्स खरीदे जाने वाले हैं और वे टावर्स इसी कमानी एण्ड कम्पनी से खरीदे जाने वाले हैं। इसी प्रकार के टावर्स इन्हीं चीफ इन्जीनियर महोदय ने बम्बई में खरीदवाये थे ए० जी० ने उसका एतराज किया था, स्पेसिफिकेशन दिया था। उन्होंने जिस प्रकार के टावर्स खरीदने का सुझाव दिया था वह टावर्स उस स्थान के लिये उपयुक्त नहीं थे। आप अकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट का मुलाहिजा कर लें। यह जो नियुक्ति की गई है वह किसी सिफारिश के आधार पर हुई है जिस कमानी एण्ड कम्पनी ने इनको यहां लगवाया है उसीमें यह माल खरीदा जा रहा है इनकी किसी योग्यता के आधार पर नियुक्ती नहीं किया गया है। यह जो टावर्स खरीदने की बात है वह माननीय मंत्री महोदय अपने सामने रखें। इसलिए निवेदन करूंगा जो कुछ भी इस विभाग के सम्बन्ध में गड़बड़ियां हुई उसकी जांच के लिये यादराम चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया उसके बाद राणावात साहब ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिन जिन व्यक्तियों को अपराधी बताया उनके खिलाफ आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इसके लिये मयाद मुकर्रर करें कि अमुक समय में एक महीने दो महीने या छः महीने में उन सब लोगों को सजा दे दी जायगी। इसी प्रकार जिन जिन लोगों में बकाया है उनकी बसूली के लिए भी तारीख मुकर्रर करें कि अमुक तारीख तक सब बसूल कर लिया जायगा यदि ये दोनों काम वे करते हैं तो सही मायने में केवल सदन के लिये ही धन्यवाद के पात्र नहीं माने जायेंगे बल्कि जनता भी उनको सही मायने में इन कामों के लिये धन्यवाद देगी। मुझे आशा है ये अपने कार्यों से सदन से और जनता के धन्यवाद के पात्र बनेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में

[श्री सोहनलाल भटनागर]

बिजली के विकास की खास मद थी लेकिन हमारे राजस्थान में बिजली के विकास के बारे में जो कार्यवाही की गई उसको देखकर हरेक राजस्थानी को दुख ही होता है।

('हियर हियर' विरोधी पक्ष की ओर से)

हमने सिंचाई, शिक्षा, सड़क इत्यादि की मदों में काफी प्रगति की लेकिन बिजली के विकास में कुछ भी कार्य नही किया गया।

('हियर हियर')

मैं निवेदन करूं कि जिस उदयपुर जिले में जिसकी आबादी १७ लाख है, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक पाई भी खर्च नहीं की गई।

इसी तरह से उदयपुर का पावर हाउस को लेने की बात उसे भी नहीं लिया गया और वहां की जनता को एक पूंजीपति द्वारा लूटने की छूट दे रक्खी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि बिजली के विकास के लिये जो स्कीम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खी है उसका तो अब कम से कम उपयोग किया जाय। जो पहले हो गया वह तो हो गया। पर आगे ध्यान रक्खा जाय।

प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि हरेक पांच हजार की आबादी के कस्बे में बिजली लगाई जावेगी। इसके बावजूद भी लोग सस्पेन्स में हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले अन्य कार्यों का सर्वे आदि भी हो चुका पर इस बिजली के बारे में कोई सर्वे आदि जैसा कार्य अभी जनता की नजरों में नहीं आया इसलिए जनता फिर पूरी सस्पेन्स में है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह विभाग क्या करना १/४ गांवों में चाहता है।

हमारे पड़ौसी प्रदेशों में इस बारे में काफी प्रगति हुई है। यू. पी, पंजाब आदि प्रदेशों में बिजली लग गई और हम जहां थे वहीं हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सरकार के इस विभाग का यही रवैया रहा तो काम नहीं चलेगा। बिजली छोटे और बड़े उद्योगों के विकास में बहुत सहायक हो सकती है। खनिज पदार्थों के उत्थान में सहायक हो सकती है। सबके लिए यह बिजली खास काम की चीज है। इसके बिना इन चीजों का समुचित विकास नहीं हो सकेगा और न बेकारी की समस्या सुधर सकेगी।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इसलिये ध्यान आकर्षित करूंगा कि बिजली की समस्या के बारे में इस विभाग को सोने न दिया जावे और इसके कार्य में गति लाई जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी--यह श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो बिजली विभाग पर कट मोशन रक्खा है उसमें सरकार ने यहां इस विभाग में हुए पहले के घोटालों को ध्यान में रखकर यह तै किया था कि जो सामान खरीदा जावेगा वह डी. जी. एस. डी. के मार्फत ही खरीदा जावेगा, पर फिर भी यहां टेन्डरों से, लोगों से खरीदा जाता है और इन टेन्डरों में किस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, कितनी चालबाजियां करते हैं यह सब लोग जान गये हैं। टेन्डर अगर किसी तरह से ठीक रेट पर स्वीकार भी हो गया तो अच्छे माल के बदले खराब माल ले लिया जाता है और इसके अन्दर असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और दूसरे इन्जीनियर कितनी चालाकी करते हैं और किस तरह से सरकारी रुपये का दुरुपयोग होता है यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। अभी अभी कोयले की खरीद में ६ सात लाख का गबन हुआ था। उसमें साढ़े तीन लाख की रिपोर्ट तो राणावत साहब ने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी। आज जिन अफसर के वक्त में ये गबन हुए उन अफसर को सिफारिश करके और ऊंची जगह पर बिठा दिया गया है, और प्लानिंग का चीफ इन्जीनियर बना दिया। होना यह चाहिये था कि ऐसे अधिकारी को सस्पेन्ड करते। ऐसा नहीं करके सरकार इस करप्शन को इन गबनों को प्रोत्साहन ही देगी। जब तक इन अफसरों को ठीक नहीं किया जावेगा जब तक इन अफसरों को, उच्च स्तर पर नहीं लाया जावेगा और खुद मन्त्री महोदय उच्च स्तर पर नहीं आवेंगे, तब तक इस प्रान्त से इन धांधलियां का अन्त नहीं आवेगा।

मैं बताऊं आपको, वे ब्रिज यहां लगाने की बात थी। बीस हजार रुपया में आती है। पर यह अब तक भी नहीं लग पा रहा है। तो इससे हम क्या समझें? तो हर चीज के बारे बारे में यही हाल हैं। टेन्डर अगर उनकी मन माफिक नहीं आया या उनको उसमें कुछ नहीं मिला तो वह टेन्डर पास नहीं होने पाता। अगर सरकार इस तरह से हर चीज के बारे में सोच कर चले तो काफी फायदा हो सकता है।

नेशनल बीयरिंग में सरकार ने बिजली दी तीन चार पैसा यूनिट में। आज उसको काफी फायदा हो रहा है पर फिर वह रेट क्यों नहीं बढ़ाई जाती?

आज शार्दूल टेक्सटाइल मिल को इतनी सस्ती रेट पर क्यों बिजली दी जाती है जब कि वह काफी मुनाफा कमाता है। इसके विपरीत गरीब जनता से तीन-तीन और छः-छः आना यूनिट चार्ज किया जाता है. छोटे छोटे उद्योग धन्धों से यही रेट वसूल की जाती है।

तो मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ मन्त्री महोदय

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

और सरकारी अधिकारी अपने पद का पालन करें, नहीं तो अपनी कुर्सी को छोड़कर उन्हें जनता में आना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली घरों कि व्यवस्था ठीक न होने के बाबत और दूसरी बहुत सी चीजों पर बहुत जोर से प्रकाश डाला है। मैं मानता हूँ कि बिजली घरों में जैसी व्यवस्था होनी चाहिये वैसी हम नहीं कर पाये हैं।

(करतल-ध्वनि)

और इसके बहुत से कारण हैं आपके सामने। जो कि आपको भी मालूम हैं। पहले अपने यहां बीस-इक्कीस रियासतें थीं। उनके अलग अलग कायदे कानून थे। वहां के शासक ने जैसा चाहा किया, जैसा सामान उन्हें पसन्द आया मंगा लिया, जिस अफसर को नियत किया कर दिया। कोई सिस्टम नहीं था। रेट का भी यही हाल था। कोई एक सिस्टम नहीं था। जिसको जैसी मन में आई वही रेट दे दी। अपनी अपनी स्टेटों के अपने अपने कायदे कानून थे। इसलिये हमें जो चार्ज मिला उस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं थी। इसको दुरुस्त करने में टाइम लगा है और अभी और लगेगा और इसमें आपने जो बातें बताई हैं उनका मैं एक एक का जवाब दूं तो आप को बड़ी तसल्ली होगी। आप चीजों को जितना गलत समझ रहे हैं उतनी गलत वे नहीं हैं और व्यवस्था भी पहले से ठीक की जा रही है।

एक बात बिजली की रेट्स के बाबत आपने कही। इसके लिए अपनी सरकार की केबिनेट में यह फैसला हो चुका है कि जिनके साथ वेलिडली एक्जीक्यूटेड एग्रीमेंटस हों, उन कन्सेशन्स को पाने का जो एग्रीमेंट हो, उसी हिसाब से रेट देना पड़ेगा और वही उनसे चार्ज किया जायगा, लेकिन बाकी किसी किस्म की रियायत नहीं की जायगी और उनसे युजुअल रेट्स चार्ज किये जायेंगे।

श्री हरि कृष्ण व्यास—कब निर्णय हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—It was decided some 20 days back.

तो इसके बाद जो यह एतराज किया गया था इम्पीरियल बैंक के मेनेजर के बाबत वह एतराज नहीं ठहरता है, और दूसरा आपने कहा था....

श्री हरिकृष्ण व्यास—शार्दुल टेक्सटाईल मिल्स का ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—उसके बारे बाद में कहूंगा।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

सिनेमा के बाबत। तो उसके बाबत यह तय हो चुका है कि किसी भी सिनेमा को कोई कन्सशनल रेट नहीं दी जायगी। जो रूल्स के नीचे आती हैं उनको उसी हिसाब से दिया जायगा।

अब आपने शार्दूल टेक्सटाइल मिल के बाबत एक एतराज किया है। शार्दूल टेक्स टेक्सटाइल मिल के बाबत में आपसे अर्ज करूं कि उसमें आपने कहा कि १० लाख के बजाय गवर्नमेंट ने उनसे ५ लाख लेने का फैसला कर चुकी है। यह बात नहीं है, क्योंकि दो आने के के हिसाब से अगर १० लाख होता है तो डेढ़ आने के हिसाब से ५ लाख नहीं बनता है....

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—नहीं नहीं, पुराना बकाया माफ कर दिया है।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—२ पैसे से कहीं ज्यादा पड़ती है।

श्री **रामचन्द्र चौधरी**—मैं आपको बतला रहा हूँ कि दो आने के हिसाब से २० हजार से ऊपर का पावर कन्जूम करने वालों से दर ली जाती है। इसी हिसाब से इस फेक्टरी से चार्ज किया गया है। बाद में डेढ़ आने की रेट के बाबत आपने कहा तो डेढ़ आने की रेट सको इसलिये करदी गई है कि वहां पर गंगानगर में सरप्लस पावर है और उसको कन्जूम करने के लिए अगर हम इनको नहीं देते तो कोई जरिया नहीं था, और सबसे बड़ा कन्जूमर गंगानगर की यह फेक्ट्री है। अगर पावर नहीं देते तो इसका मतलब यह था कि अपना पावर हाउस लगा कर बिजली पैदा करते और अपना पावर हाउस लगाने के बाद हमारा सरप्लस पावर होता था, वह बेकार हो जाता या वे अपना पावर हाउस न लगाते तो फेक्ट्री बन्द कर देते। उसके करने का मतलब यह था कि तीन, चार हजार मजदूर काम कर रहे हैं वे बेकार हो जाते, और गंगानगर में काटन की क्राप बहुत ज्यादा है। इससे वहां के एग्रीकल्चरिस्ट्स को बहुत ज्यादा धक्का पहुँचता और नुकसान होता। इन्हीं स्पेशल कन्सीडिरेशन्स को ध्यान में रखते हुए डेढ़ आना युनिट किया गया है जिससे कि न गवर्नमेंट का नुकसान हो और न उनको और अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—अब जो केबिनेट का निर्णय हुआ है वह शार्दूल टेक्सटाइल मिल के लिए लागू होगा या शार्दूल टेक्सटाइल मिल एक्सेपशन्स में गया है?

श्री **रामचन्द्र चौधरी**—गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वह चीफ सेक्रेटरी का जो फैसला है उसके मुताबिक है। वह वेलिडली एक्जीक्यूटेड है। इसलिए जो फैसला किया गया है वह उसमें नहीं है।

उसमें आपने कहा कि वसूली नहीं की जा रही है। ५ लाख वसूल हो चुका है थोड़ा ही बाकी है।

दूसरे आपने कोल के बाबत बतलाया है........

श्री हरिकृष्ण व्यास—बकाया जितना है और आपने कहा कि थोड़ा ही बाकी है, तो अन्दाजन कितना बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—करीब ४२ हजार के।

कोल के निस्बत आपको बतलाऊं। अपने यहां कोल में बिल्कुल गड़बड़ी हुई है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें चेयरमेन, रेवेन्यू बोर्ड, और मि० दत्ता जो रिटायर्ड एकाउन्टेन्ट जनरल हैं और जो स्पेशल आफिसर लगे हुए हैं फाइनेन्स में और तीसरे चीफ इन्जीनियर पी०डब्ल्यू०डी० हैं इन तीनों आदमियों ने जांच की है और जो उनकी सिफारिशें हैं वह ४,५ दिन पहले आ चुकी हैं और गवर्नमेंट के जेर तजवीज़ हैं। उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी। स्टाक वेरीफिकेशन के बाबत भी बहुत से लोगों ने इसका जिक्र किया कि स्टोर्स में अनाप शनाप सामान पड़ा है। जो चाहें उठा ले जाता है। उसका कोई वेरीफिकेशन नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल असिस्टेन्ट इन्जीनियर को लगाया गया है और स्टाफ भी मुकर्रर किया गया है। २१ पावर हाउसेज इस वक्त राजस्थान में गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में हैं उनमें से १४ को स्टाक वेरीफिकेशन हो चुका है। ६,७ का जल्दी से जल्दी कराया जा रहा है।

दूसरा एतराज आपने पावर हाउसेज के मजदूरों के बावत किया था। उनके निस्बत मैं आपको बताऊं, कि उनके प्राविडेन्ड फन्ड का फैसला किया जा चुका है, साइकिल एलाउन्स उनका तय हो चुका है और उनके लीव रूल्स भी बन चुके हैं, और ग्रेड का सवाल जो है वह डिसाइड हो चुका है, और उसमें इन्डिविजुअल केसेज की जांच की जा रही है। जहां तक उनकी मांगे थी उनमें से बहुत सी बातें कर दी गई हैं। आपने डियरनैस एलाउन्स का सवाल रखा है जोधपुर का, एक जगह ४५ रु० दें और दूसरी जगह १५ रु० दें यह ठीक बात नहीं है। इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट ने यह सोच कर सबका स्तर बराबर करने के लिए काट दिया था, फिर भी उसका एतराज हुआ और वह जेर तजवीज है। आपके कहने के मुताबिक उसको एक्जामिन करने के लिये ला डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है कि वह कानून न दे सकते हैं या नहीं ?

इसके बाद में राजगढ़ में बिजली लगाने का सवाल सामने है। उसमें जो एक जेनेरेटिंग सेट खरीदा गया है वह डिफेक्टिव है। उसके लिए दूसरा डिजल आयल का इन्जिन खरीदने के लिये इन्तजाम किया गया है, लेकिन वहां पर अभी भी म्युनिसिपल बोर्ड और पी. डब्ल्यू. डी. यह तय नहीं कर सकी है कि साइट कौन सी हो। इसलिए देरी लग रही है।

एक यह भी एतराज किया गया है कि इस महकमे के रेट्स बड़े ऊंचे हैं। यह ठीक है कि इसमें जितने रेट्स बाहर के बड़े बड़े शहरों में हैं उस रेट पर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत ऊंचा है। हमारी मशीनें करीब २५, ३० साल पहले की खरीदी हुई हैं। जो पुरानी मशीनें हैं। उनमें फ्यूल का कन्जम्पशन, कोल का कन्जम्पशन बहुत अधिक है और कहीं हमारा लोड इतना ज्यादा नहीं है कि उसका खर्चा पूरा हो सकता है। इस लिए जब तक इसका

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

मुकम्मिल इन्तजाम नहीं हो जाय या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं आ जाय, तब तक कमर्शियल बेसिस पर रन करने के लिये जितना खर्चा लगता है उतना तो रिटर्न देना ही पड़ेगा।

एक माननीय सज्जन ने कोटा के बाबत कहा है कि वहां का टरबाइनेटर सेट था वह खराब हो गया है और उसके लिए हमने डिजल इन्जिन का आर्डर किया है। मेरे खयाल से जल्दी ही दूसरा इन्जिन सप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उसके टेन्डर आ चुके हैं। टेन्डर देखने पर हम कह सकेंगे कि इतनी जल्दी वह हो सकेगा, क्योंकि रेडो डिलीवरी की बेसिस पर इन्वाइट किये गये हैं और वह जल्दी ही देने की कोशिश की जायगी। एक टरबाइनेटरसेट भी वहां पर लगाने का जल्दी विचार है।

श्री कंवरलाल जेलिया—शाहपुरा के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है उसके लिए क्या हुआ ? टरबाइनेटर सेट का आर्डर प्लेस हुआ या नहीं ?

श्री कस्तूरचन्द—आप शाहपुरा के लिए कहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी-शाहपुरा के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६० K. W. का टर्बाइन खरीदने का बजट में रखा गया है।

एक माननीय सज्जन ने जोधपुर के बारे में बिजली की अव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। जोधपुर में इन्जन के खराब हो जाने से बिजली मिलने की काफी दिक्कत रही और लोगों की ये शिकायतें भी बराबर आती रहीं। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त तो ठीक कर लिया गया है और मेरे ख्याल से पिछले एक सप्ताह से लोगों को बिजली बराबर मिल रही है। दो डिजिल इन्जिन्स फिट करने के लिए टेन्डर्स मांगे जा चुके हैं और एक दो महीने में हम इसकी व्यवस्था कर सकेंगे।

गंगापुर, जिला भीलावाड़ा में बिजली लगाने के लिए कहा गया। वहां पर अभी लोड सर्वे नहीं हुआ है और अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कितना खर्चा होगा उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं। जिन गांवों में लोड सर्वे हो जाने के बाद रिटर्न मिलने की पूरी आशा है वहां पर बिजली की व्यवस्था की जायगी।

एक मित्र ने हमारे नये चीफ इन्जीनियर साहब के बारे में बड़ा एतराज उठाया। मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसी आदमी पर कोई दोषारोपण करें उससे पहले यह अच्छा हो कि हम उसके काम को देखें और उसमें कमी हो तो कहें। अपने ही विचारों के आधार पर किसी आदमी पर दोष लगाना ठीक नहीं होगा। ये जो नये चीफ इन्जीनियर आये हैं वे इन्डियन यूनियन को फोरिन कन्ट्रीज में रिप्रेजेन्ट कर चुके हैं और वे हाइली क्वालिफा-

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

और मद्रास व बम्बई स्टेट्स में डिप्टी चीफ इन्जीनियर रह चुके हैं। आप यह कह दें कि किसी की सिफारिश पर बुला लिया, यह तो अनुचित है। जहां तक हो सके, यह बात नहीं कहनी चाहिए। कम्पनी मेरे ध्यान में नहीं है। उसे टावर का कन्ट्रैक्ट कर लिया हो, यह बात नहीं है। इसलिये कृपया ऐसी चीजें कम से कम न कहें तो अच्छा है।

और जितने ओब्जेक्शन्स आप लोगों ने उठाये हैं उनका जवाब मैंने जहां तक हो सका देने की कोशिश की। जैसा मैंने अर्ज किया था कि बिजली के महकमे में अव्यवस्था है और उसके कारण भी इसको दूर करने के ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किये जा रहे हैं और आपने मौका दिया तो शायद ठीक करने में सफल हो सकें।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी से मैं टर्बाइन सेट के बारे में जानकारी चाहूँगा।

(आवाज "क्या क्वेश्चन अवर है ?")

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं कट मोशन पर रिप्लाई दे रहा हूँ। मुझे इस बात की तो खुशी है कि बहुत दिनों से इवेजिव किस्म के जवाब सुनते सुनते और असलियत पर पर्दा ढांकने के जवाब सुनते सुनते आज एक स्पष्ट उत्तर सुनने को मिला।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

इसके लिये तो मन्त्री महोदय को बधाई दी जाय या थोड़े दिन इसको रोक रखा जाय कि आयन्दा ऐसी स्थिति रहेगी या नहीं, इसका मेरे दिमाग में निर्णय नहीं हो पाया है और उनके जवाब देने के तरीके के लिये सदन को खुशी होनी चाहिये कि कोई बात छिपायी नहीं। यह भी है कि पूरी जानकारी उनको नहीं है या उन्होंने बतायी नहीं, अथवा उस पर पूरी तरह विचार नहीं कर पाये हों समय की कमी के कारण। मसलन उन्होंने कहा कि केबिनेट ने निर्णय किया कि जिस कन्सर्न के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको छोड़ कर, ५३ वाला आर्डर तो जयपुर के लिये ही लागू था लेकिन सन् ५४ के आर्डर से जयपुर ही नहीं किंतु सारे राजस्थान के लिये वे लागू कर दिया। मैंने पूछा कि शार्दूल टेक्सटाइल मिल को छः पैसे प्रति युनिट से बिजली दी गई, उसका क्या कारण ? जहां तक मैं समझ पाया हूं उनके जवाब को जो उन्होंने दिया कि मंजूर कर दी इसलिए उसको एग्रीमेन्ट मानना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पूरी जानकारी उनको नहीं है अथवा उन्होंने उस पर गंभीरता पूर्वक सोचा नहीं। एग्रीमेन्टस रियासतों के समय हुए। केवल एक कन्सर्न है नेशनल वाल बियरिंग कंपनी है जिनको बिजली सप्लाई करने के बारे में रेट्स स्पेसिफाई है, शार्दूल टेक्स्टाइल मिल का जहां तक सम्बन्ध है उसमें ये शब्द हैं कि "Electric energy will be supplied to them at the

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

usual concessional rates.' और वे यूजअल कैन्सेशनल रेटस गवर्नमेन्ट ने मंजूर कर दी थी दो आना प्रति यूनिट। और बिल दो आना के हिसाब से बनते आ रहे थे किन्तु जुलाई के महीने में ऐसी खास बात क्या हुई? उस कम्पनी के नुमाइन्दे सहगल साहब यहां आये, खासा कोठी में ठहरे खास खास महत्वपूर्ण लोगों के यहां चक्कर काटे और उस वजह से निर्णय में फर्क आगया। उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किन्तु चूंकि गवर्नमेन्ट ने मंजूरी दे दी इसलिए इट इज ए नेचर ऑफ एग्रीमेन्ट। यह मेरा ख्याल है कि वेबुनियाद हैं। मंजूरी की बात स्पीनिंग एन्ड विविंग के लिए भी, मान इन्डस्ट्रियल के लिए भी दे दी और जब गवर्नमेंट की मंजूरी की बात है तो और जगह दी नहीं। एग्रीमेंटस पुराने जमाने में थे या नहीं? जहां तक जवाब का ताल्लुक है, फेक्टस के बारे में स्पष्ट चीज नहीं कही, ऐसा दिखता है, उन्होंने न तो पूरा सोचा और न ही निर्णायात्मक कदम उठाने का अन्दाज बताया। मसलन शार्दुल टेक्स्टाइल मिल के ४० हजार की बकाया के सिल सिले में यह कहा कि गवर्नमेन्ट ने कोई रियायत नहीं दी। मैंने बहुत गौर से सुनना शुरु कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस कन्सर्न ने पांच लाख का पेमेन्ट कर दिया और बकाया ज्यादा नहीं है। मैंने पूछा कि बकाया कितनी है तो उन्होंने कहा कि ४० हजार। इस प्रकार इस कन्सर्न से कुल मिला कर लेना उनके हिसाब से ५ लाख ४० हजार। मैं यह सूचना दे दूं कि ४ लाख ४० हजार का पेमेन्ट हो चुका और ४० हजार के करीब गवर्नमेंट बकाया कहती है तो फिर पुरानी बकाया का ५ लाख में सौदा पट गया। अब उसमें ४० हजार से ज्यादा बकाया नहीं है तो बाकी की बकाया का क्या हुआ? ८॥ लाख के तो उसके ड्यूज थे और करीब १॥ लाख का फाइन इस तरह से १० लाख का पी० डी० आर० को पेश किया था उसका क्या हुआ?

क्या मंत्रीजी यह बता सकेंगे कि कोई विशेष बात है उपाध्यक्ष जी, तो सदन के अंत में रखली जाय, जब तक सवाई माधोपुर के सदस्य ध्यान रखेंगे तो ज्यादा दुरूस्त होगा लेकिन मैं विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गंगानगर कलेक्टर ने पब्लिक डिमान्ड रिकवरी के अंतर्गत कितने लाख रुपयों की वसूली के लिये नोटिस दिया है। जितने का नोटिस दिया है उतनी वसूली हुई है या नहीं? अगर नहीं वसूली हुई है तो उसके लिये कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। १० लाख रुपयों की वसूली थी और आप ५ लाख रुपये लेकर रह गये। जो कुछ जानकारी उसी पर निर्भर रह गये, शायद पूरी जानकारी नहीं है या थोड़े दिन हुए है इसलिये या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की? मशीन में कोयले का कंजम्पशन ज्यादा होता है। मैं अर्ज करूं कि जयपुर पावर हाउस में ही पिछले २ साल में कंजम्पशन ऑफ कोल ६ पाउन्ड पर युनिट से कम होते होते शायद ३ या २॥ पाउन्ड आ गया है। अब यह कहा जाता है कि मशीन जो है वह मरने के लगभग चल रही है और ६ पाउन्ड के बजाय ३ पाउन्ड खर्च हो और अब तो शायद २॥ पाउन्ड है। कारण इसका यह नहीं कि केवल मशीन ही पुरानी है, बल्कि कारण यह है कि रेलवे रसीद के सिलसिले में कोल का एम्बेजलमेंन्ट चलता था वह कोयले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था और उस हिसाब से ६ पाउन्ड कंजम्पशन आता था। उसका कारण पुरानी मशीन नहीं हैं। पुरानी मशीन नहीं है। पुरानी मशीन भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकती है लेकिन यहां की अव्यवस्था जो है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वह अव्यवस्था जिम्मेदार है । मैं इसी प्रसंग में अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की हालत के बारे में मेरी अपनी राय जो कुछ है लेकिन सार्वजनिक लेखा समिति की क्या राय है उस पर सदन गौर फरमावे तो बहुत कुछ पता चल सकता है । सन् ५४, ५५ की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है । उसका कुछ अंश, आप की आज्ञा से सुनाऊंगा ।

" we are surprised to learn that there have been erasurers and over writingns in the stock books without anybody paying attention to this grave irregularity which leaves room not only for losses but also defalcations and misuse of such stores. "

इस हालत का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक लेखा समिति कहती है, इस सदन के महत्वपूर्ण और माननीय सदस्य हैं माननीय नाथूरामजी, द्वारकादासजी हैं, सज्जनसिंहजी हैं, हजारीलाल जी हैं, ब्रजसुन्दरजी हैं........

एक माननीय सदस्य—आप भी तो हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो हूं ही । मै उनमें से हूं जो अमाननीय गिने जांय तो भी ऐतराज की बात नहीं है । लेकिन मेरे जो माननीय मित्र थे उनकी यह राय है कि इस विभाग के स्टोर के स्टोक वेरिफिकेशन की यह हालत है । अभी मंत्री जी ने कहा कि जांच कर ली है और कुल १३ का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला और किस की गलती थी ? जयपुर पावर हाउस के हिसाब से कितना एक्सेस निकला और कितना कम निकला ? लाखों के नजदीक था या कम था, यह बताते तो सदन को मालूम हो जाता कि स्टोक अकाउन्ट की क्या हालत है ? अंत में चलते चलते, हालां कि मैंने उल्लेख नहीं किया लेकिन एक मित्र ने किया और विभाग के मंत्रीजी नाराज हो गये तथा कहने लगे कि नये चीफ इंजिनियर आये हैं, उनकी अभी से शिकायत करना ठीक नहीं है । यह उनकी राय हो सकती है । लेकिन यह गलत है, किसी के कहने से सिफारिश से आये हैं तो ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैं कहूँगा कि या तो उनकी जानकारी कम है या उनको जानकारी से वंचित रखा गया है । मैं उनकी सूचना के लिए बता दूं कि १६ नवम्बर, १६५५, घटनास्थल दिल्ली, स्थान बीकानेर हाउस, मुख्य मंत्री जी वहां ठहरे हुए थे । १७ तारीख को बातचीत हुई उनके बीच में और कमानीज के प्रतिनिधि के रूप में जिससे बातचीत हुई उनको टेलीफोन किया गया बम्बई और बाई प्लेन आज के चीफ इंजीनियर दिल्ली आये और १६ तारीख को मुख्य मंत्रीजी से मिल कर गये यह जानकारी मुख्य मन्त्री जी से और उन सज्जन से जिन्होंने बम्बई टेलिफोन किया वे जयपुर के रहने वाले हैं, उनसे पूछ सकते हैं । आपने कहा कि यह बात नहीं हुई थी । यह बात फूट जाती है । इस सिलसिले में कई सदस्यों ने कहा कि खबरदारी बरतनी चाहिए यदि कोई इस तरह की चेतावनी दे तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है । भाखरा में और बम्बई में काफी गोलमाल हो चुका है । बम्बई के अकाउन्टेट जनरल ने ऐतराज किया है । कहीं ऐसी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बात न हो कि कहीं कमानीज के टेन्डर पास कर दिये जावें। उनको ध्यान देना चाहिये था, खतरे से आगाह किया गया तो क्या कहना चाहिये कि गलती नहीं की ? लेकिन इस बारे में पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है यदि इससे पहले पूरी जानकारी लेना चाहें तो वे काल बुक करलें बम्बई सरकार को और ऑडिट रिपोर्ट भी मंगाकर मुलाहिजा करलें।

मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। केवल कोयले के एम्बेजलमेन्ट के बारे में रानावत जी को नियुक्त किया गया था और उन्होंने रिपोर्ट दी है, ऐसा सुना है, लेकिन उसका एक शब्द भी मंत्रीजी के मुंह से नहीं सुना। मेरी जानकारी है कि इस रिपोर्ट में बहुत गंभीर चीजों का उल्लेख है और यदि उल्लेख है तो उसके बारे में वे क्या कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यह कहा कि पुरानी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ चुकी है तो रेट कोयला परचेज की और जो दूसरी बातें हैं उनके बारे में हालत संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीधी सादी बात करने की प्रणाली मंत्रीजी ने डाली है उसके लिए अवश्य प्रोत्साहन देना चाहता हूँ और आगे से भी यह आशा करूंगा कि आयन्दा वे अपनी स्पष्टवादिता कायम रखें और जो कुछ सामने लाया जाय तो उस पर अमल करने को तैयार रहें। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा कर पायेंगे। मैं उनसे उम्मेद करता हूँ कि वे मेरा टोकन कट १ रुपिये का ही स्वीकार करलें जब कि वे खुद कहते हैं कि वहां की गंभीर हालत है, व्यवस्था अच्छी नहीं है और आगे अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न करना है तो इन टोकन ऑफ देट स्प्रिट १ रुपये का टोकन कट वे स्वीकार करलें तो मैं बाकी का मेरा प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूं। यदि वे तैयार नहीं हैं तो मैं उसे सदन के ऊपर छोड़ता हूँ और आगे सुझाव दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार—हमें भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मुझे एक बात का जवाब देना है कि शार्दूल टेक्सटाइल मिल्स के बारे में उनकी सारी टोटल २ आना के हिसाब से आपने बताई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सारी टोटल आठ आना के हिसाब से लगाई गई है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—In token of that sincerity......

श्री रामचन्द्र चौधरी—यहां पर पावर हाउस में कोयला और दूसरी चीजें आई उनकी कीमत ४ लाख ९८ हजार वसूल हुए और ४२००० रुपये बाकी थे। ५ लाख में फैसला किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रोंग फेक्ट्स हैं, उपाध्यक्षजी। उनको मौका दिया गया तो मुझे भी क्लेरिफिकेशन का मौका दिया जाय। ये फेक्ट्स बिलकुल रोंग हैं, to the point of taking it to the risk of a privilege motion. उन्होंने क्लेम जो किया है कोयले के सिलसिले में वह ४२००० का क्लेम एडजस्ट करने की बात है। ८ लाख रुपये एनरजी सप्लाई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के बाकी हैं उनमें यदि फाइन्स जोड़े जांय तो १० लाख की बात है लेकिन आपने केवल ५ लाख में सौदा पटाया है। इस में कुंभाराम जी का हाथ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें कुंभाराम जी का कोई हाथ नहीं है। यह सब जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि में उस समय मिनिस्टर था। मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि लीगली कोई गवर्नमेंट का क्लेम नहीं था और रुपया कुछ भी वसूल नहीं हो सकता था यह तो एक्सपर्ट इंजीनीयर हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट को ५ लाख रुपया मिल गया है और जो गवर्नमेंट को मिल गया उसको बहुत ज्यादा मानना चाहिये। अगर कोई इसके बारे में डिटेल्स में ज्यादा जानना चाहे तो मैं उसके पूरे डिटेल्स हाउस की मेज पर रखने के लिये तैयार हूँ। I am prepared to get it examined. अगर आप कहें तो इसकी थर्ड पर्सन से इन्क्वायरी करवाई जा सकती है और मैं उसके लिये तैयार हूं। इसलिये यह कहना कि इसमें चौधरी कुंभाराम जी का हाथ था यह गलत है। मैं यह कहूंगा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। जो कुछ भी जिम्मेदारी है तो मेरी है। मैं इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि जो पैसा सरकार को मिल गया वह बहुत मिल गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं माननीय मंत्रीजी के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं कि थर्ड पर्सन से इसकी जांच कराई जावे। आप यह कह रहे हैं कि लीगल क्लेम नहीं था। जब आपका कोई लीगल क्लेम नहीं था तो फिर आपने कलेक्टर को रुपयों की वसूली के लिये कैसे लिखा और जांच कैसे हुई। The responsibility is mine.

(घंटी की आवाज के साथ साथ उपरोक्त बात कही गई)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। I am prepared for it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर जांच होगी तो उस जांच में श्रीवास्तव को ४ लाख का चैक दिया गया उस चैक की भी जांच हो जावेगी।

(घंटी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—आप जिम्मेदारी से कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मै जिम्मेदारी से कहता हूं। मैं चैक की डेट और नम्बर भी दे सकता हूं पहले आप इन्क्वायरी कराइये तो सही; किसी को मुकर्रर तो कीजिये।

श्री बद्री प्रसाद—आप अपने जिम्मेदार हैं।....

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इन्क्वायरी करने के लिये किसी को मुकर्र करें तो करने दीजिये ? (घंटी)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे कटौती के प्रस्तावों के बारे में जो उत्तर दिया गया उसको मैंने सुना। माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उससे मुझे संतोष नहीं है क्यों कि मैंने सदन के सामने जो मुद्दे रखे थे उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिये असंतोष है और दो शब्द कहने की आवश्यकता पड़ी है।

मैंने पहले बात यह कही थी अपने यहां पर जो बिजली पैदा होती है उसका सदुपयोग नही होता। यहां के लोग बिजली मिलने के लिये पॉवर हाउस (Power house) को प्रार्थनापत्र देते हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उन लोगों को बिजली नहीं दी जाती उनकी अर्जियां यों ही पड़ी रह जाती हैं। उस के बाद बड़ी मुश्किल से जब उनको बिजली देने की इजाजत दी जाती है तो यह कहा जाता है कि प्रतिक्षा करो, अभी तो हमारे पास तार नहीं हैं, मीटर नहीं है और दूसरा सामान नहीं है, इसके अलावा एस्टीमेट ऐसा बनाया जाता है कि कम आमदनी वाला व्यक्ति उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने जयपुर की मिसाल देते हुए बताया था कि जयपुर के लोग कनेक्शन के लिये बिजलीघर में दरख्वास्तें पेश करते हैं तो उनका एस्टीमेट इस तरह से बनाया जाता है जिस गली में वह रहते हैं उस गली से बिजली का कनेक्शन नहीं दे कर दूसरी गली से देने के लिये एस्टीमेट बनाया जाता है और यह कहा जाता है कि इस गली की लाइन ठीक नही है। इसलिये आपकी एस्टीमेट की रकम इतनी बढ़ गई है। उस बिचारे के लिये इतनी रकम जमा कराना मुश्किल हो जाती है और इसलिये उसको कनेक्शन से महरूम रहना पड़ता है। इसलिये मैंने यह बात रखी थी कि जो बिजली पैदा होती है उसका पूरे रूप से उपयोग किया जावे और इसके लिये हमारे शहर में लाइन्स जहां कहीं भी बदलने की आवश्यकता हो बदल दी जावें। इन्हीं लाइन्स के बारे में आज से तीन चार महीने पहले मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, उसका जवाब पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के बजाय शायद राजस्व मंत्री ने ही दिया और उन्होने कहा कि जयपुर शहर और उसके आसपास की लाइन को बदलने के लिये सरकार के पास एक योजना है और लाइन्स बहुत जल्दी बदल दी जावेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक उस योजना के कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या किया, इसका माननीय मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरी बात जो कही वह यह है कि बिजली विभाग को जो भी चीजें खरीदनी हो वह फाइनेन्शियल इयर के शुरू में ही खरीद कर लेनी चाहिये, जिससे मटीरियल्स की कमी की कोई दिक्कत सरकार के सामने नहीं आवे पर आज तक ऐसा नहीं किया गया और इससे गड़बड़ होती है। इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

तीसरी बात यह कही कि रानावत कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके संबन्ध में सदन को कोई जानकारी नहीं है वह जानकारी भी नहीं दी गई।

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

चौथी बात यह है कि इस विभाग का बहुत सारा रुपया लोगों में बाकी निकलता है। इसकी वसूली करने के संबन्ध में क्या कार्यवाही की और क्या कदम उठाया इसकी जानकारी चाहता था। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके लिये भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय ने साधारणतया यह उत्तर दे दिया कि असंतोष काफी है और इसका प्रबन्ध करना होगा।

एक और बात की जानकारी मैं चाहता हूं और वह यह है की मौजूदा चीफ इन्जिनीयर का एपोइन्टमेंट पी. एस. सी. द्वारा किया गया है या नहीं। बस इतना ही कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं और वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री कुंभाराम आर्य—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने एक बहुत छोटीसी बात कही थी और आशा थी कि माननीय मंत्री महोदय उसकी तरफ ध्यान देंगे। मगर माननीय मंत्री महोदय ने एक छोटी सी मेरी बात का उत्तर देना या तो पसन्द नहीं किया या १०० में से एक बात को भूल गये, यह तो वे जानें लेकिन मैंने मेरे जवाब के उत्तर में कुछ सुना नहीं। एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि दो वर्ष से एक जेनरेटर खरीदा, वह भी खराब निकल गया और जमीन के बारे में अभी कुछ तय नहीं कर पाये कि यह किस जगह रखा जावे। यह दो वर्ष की बात है अगर दो वर्ष में यह जमीन का तय नहीं कर पाये तो यह उनके विभाग के अधिकारियों की कार्य कुशलता है। आवश्यक और अनिवार्यतः इन दो शब्दों के बारे में मैंने पहले भी कहा और अब भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये ऐसे शब्द हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किसको बिजली की आवश्यकता है और किसको नहीं और उसके आधार पर, बिजली के कनेक्शन्स दिये जाने चाहिये। सुजानगढ में किसी सेठ ने सरकार को जच्चा घर भेंट किया। उसके अन्दर बिजली के कनेक्शन्स नहीं मिलते हैं और डेढ साल से लोग परेशान हैं। मगर दूसरे लोगों को कनेक्शन्स मिल जाते हैं जो अपने ऐश और आराम के लिये बिजली चाहते हैं। इसलिये माननीय मंत्री यह स्पष्ट कर दें कि हमारी बिजली देने के सम्बन्ध में क्या नीति है ? सरकार ऐसी नीति को अपनावे जिससे लोगों को राहत मिल सके ? बस इतना कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की प्रार्थना करता हूँ ?

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री कुम्भाराम आर्य को अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जांय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सदन के समक्ष दो कटौती के प्रस्ताव रखे थे। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे नये मंत्रीजी ने बहुत सीधे और सच्चे ढंग से हमार आपत्तियों का जवाब दिया। अगर इसी प्रकार की परम्परायें सभी मंत्रीजी डालने लगेंगे तो मैं यह कहता हूँ कि हमारा इस सदन में बैठना सार्थक हो सकेगा। यह बात मानते हुए और यह कहते हुए मंत्रीजी ने

[श्री मानसिंह महार]

यह फरमाया कि हमारी मशीनरी वगैरह पुरानी है, हम एक दकियानूसी जमाने की लीगेसी लेकर उन इन्जनों को चला रहे हैं। मैं यह निवेदन करुंगा माननीय उपाध्यक्ष, वे इन्जन पुराने हों या न हों वह जमाना पुराना है, या नहीं लेकिन आज आपके पावर हाउस में आप जितने कोयले की आशा करते हैं उतना कोयला जरूर नही पहुँचता। जितने कोयले के पैसे देते हैं उसमें से एक चौथाई हिस्से के कोयले आपके बिजली घर में पहुँचते हैं और इसीलिये आपको यह मालूम होता है कि आपके यहां का खर्चा बहुत है। आपको अपने इन्जीनियर वगैरह से जिन्होंने आपको गलत सलाह दी है आप उनकी राय से गुमराह नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्रीजी से आशा करता हूँ तभी आप इस विभाग में सही तरीके से काम कर सकेंगे।

मैंने जो दूसरी बात रखी थी उसके बारे में मेरे साम्यवादी मित्र ने बहुत कुछ कह दिया है मैं उस पर ज्यादा न कहकर मैं एक ही निवेदन करुंगा कि आप हमारे वर्तमान इन्जीनियर महोदय की क्वालिफिकेशन आदि के भ्रम में आगये हैं और इनके प्रडीसीसर जो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे जिनको आपने नीचा पद देकर के बाहर भेज दिया है, उनके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं फरमाया।

तीसरी बात जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब होने लगा है, एक भूतपूर्व मंत्री महोदय जो इस विभाग के मंत्री थे उन्होंने ऐसी बातें कह दी हम जैसे आदमी ऐसी बातें कहते तो कोई बात थी। हमको तो कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला, वे तो कुर्सी पर बैठकर कुछ भी नहीं कर पाये और आज हमारे एक मित्र नये आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जो व्यक्ति सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है उनके लिये यह कहा जाता है कि मेरी बात का जवाब नहीं दिया मैं यह समझता हूँ कि आप पहले उन बातों का जवाब दे दीजिये जो कि आपके समय में आपसे जवाब चाहे गये थे उनका जवाब देकर आप मांगते तो ज्यादा बेहतर होता।

यह सब कहते हुए मैं एक बार हमारे मंत्रीजी को फिर से धन्यवाद देता हूँ हमने जो कुछ कहा है उसको उन्होने सुना और जहां तक उनको सूचना मिली उस सूचना के जरिये हमें जवाब देने की कोशिश की उससे हमें बड़ा सन्तोष हुआ। इन सब बातों को कहता हुआ मैं सदन से प्रार्थना करुंगा कि ऐसे सन्तोषप्रद जवाब को सुनकर मुझे सदन आज्ञा दे कि मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मानसिंह महार को अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जांय ?

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मानसिंह महार—मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं।

श्री प्रभुदयाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार कटौती के प्रस्ताव चार बातों को ध्यान में लाने के लिये रखे थे किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से किसी का भी सन्तोषजनक जवाब माननीय मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया गया। जनरेटर हमारे यहां पडे ढाई साल का अर्सा तो होगया, है इस पर माननीय मंत्री महोदय यह फरमा देते कि दो महिने चार महिने साल डेढ़ साल में यह काम होजायगा तो हमें सन्तोष हो जाता, कोई टाइम लिमिट मुकरेर कर देते तो मुझे सन्तोष होजाता। खेर मुझे इतनी खुशी है कि यह चीज उनके नोटिस में तो आगई मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जनरेटिंग सेट नया लगाने की कोशिश करेंगे। राजगढ़ की जनता ढाई साल से इस बात का इन्तजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी यह जनरेटर कार्य करना शुरू कर देगा।

तारानगर के बारे में भी मैंने एक प्रश्न पूछा था लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया वहां खारा पानी है माननीय मंत्री महोदय यह बता देते उसके लिये इतनी रकम रखी गई है तो मुझे सन्तोष होजाता उसके लिये पंच वर्षीय योजना में कोई रकम मन्जूर हुई या नहीं यह नहीं बताया मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को इस संबन्ध में पूरी जानकारी नहीं। माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल नये हैं इसलिये उनको पता नहीं है कि वहां खारा पानी है आशा है, इस बारे में पता लगाकर कि वहां खारा पानी हैं तो वहां बिजली लगाई जायगी ताकि कुओं का बोरिंग हो सके, इससे खारे पानी की समस्या दूर होजायगी। या तो माननीय मंत्री महोदय के पास डिपार्टमैंटल इनफारमेशन नहीं आयी होगी उसके लिये आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। दो तीन गांवों के बारे में बताया ऊदासर, काकडा, जसरासर यहां बिजली अवेलेबल नहीं हो रही है इस दूसरी पंच वर्षीय योजना में बिजली आयेगी, राजस्थान कैनाल से, भाखरा कैनाल से नांगल योजना से बिजली मेरे ख्याल से अवेलेबल होजायगी। उदरासर, किसमीदेसर काकडा आदि गांवों के लोगों ने अपना खर्चा देना तक मन्जूर कर लिया है वे पांच सात साल से चिल्ला रहे हैं आज तक उनकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया। यह डिपार्टमैन्ट की ढिलाई है, आशा है इस ओर निश्चित समय के भीतर भीतर जल्दी से जल्दी गौर फरमाने की कृपा करेंगे।

पावर हाउस के घोटाले के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना होगया सो तो होगया आयन्दा के लिये चीफ इन्जीनियर साहब भी नये पधार गये हैं, माननीय मंत्री महोदय भी नये हैं इस ओर विशेष ध्यान देकर जो घोटाला होता है उस घोटाले को रोकने के लिये सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। इतना कहकर मैं सदन से अपने कटोती के प्रस्ताव वापिस लेने को इजाजत चाहता हूँ ?

श्री उपाध्यक्ष—दो कटोती के प्रस्ताव श्री प्रभुदयाल ने रखे हैं क्या उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री प्रभुदयाल—मैं अपने कटोती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटोती के प्रस्तावों के संबन्ध में संबन्धित मंत्रीजी ने संभवतः इसलिये स्पष्टीकरण नहीं किया। वे खुद कह चुके हैं वे इस विभाग में नये नये हैं नवर्नीत होने से नई आशायें होना स्वाभाविक है। अधिक कुछ न कहते हुए हां और ना के बीच का जो उनका जबाब है उसको उसी स्थान पर रहने दिया जाय इन शब्दों के साथ मैं अपने कटोती के प्रस्ताव वापिस लेने कीसदन से अनुमती चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह राय है कि श्री श्रीदास गोयल को उनके कटोती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री श्रीदास गोयल—आई विथ्ड्रॉ इट सर।

श्री कस्तूरचन्द—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि शाहपुरा के लिय ६० हजार रुपया खर्च करके वहां पावर हाउस की व्यवस्था ठीक की जा रही है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं यह आशा करता हूँ वह रुपया जल्दी से जल्दी खर्च करके वहां ठीक व्यवस्था करेंगे, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटोती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—उपध्याक्ष महोदय, मेरे कटोती के प्रस्ताव के संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय, ने जो आश्वासन दिया हैं उस एक चीज में मुझे सन्तोष है जैसा टरबाइन सेट के संबन्ध में उन्होंने कहा कि इस संबन्ध में आर्डर्स दिये जा चुके हैं इसी उम्मीद पर कि यह काम जल्दी पूरा होगा मैं अपने कटोती के प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इसको अपने कटोती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं अपने कटोती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटोती के पांच प्रस्ताव क्रम संख्या ६, ७, ८, ६ व ११ श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किये वे स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

कटोती के पांचों प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटोती का प्रस्ताव श्री अवनीकुमार मुकर्जी ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटोती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या २५ श्री रामचन्द्र चौधरी ने प्रस्तुत की वह स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २३-बि सार्वजनिक निर्माण कार्य

श्री रामचन्द्र चौधरी, मांग संख्या २३।

श्री रामचन्द्र चौधरी,—(मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २३, शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राजप्रमुख को ३, १२, १४२, ००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—मोशन मूव्ड। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में सदन के समाने प्रस्तुत हुआ है उस पर मुझे कटोती के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं। मैं ये सब एक साथ मूव करके अलग अलग कटोती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो कुछ मुझे अर्ज करना है वह सदन के सामने रखता हूँ।

पहला मेरा प्रस्ताव जोधपुर डिविजन में रेल वैगनों के लिये सरटीफिकेट दिये जाने वाले मामले में जांच को दबाये जाने के सिलसिले में है।

लड़ाई के जमाने में और बाद तक भी देश में वैगनों की अमूमन कमी रहती आई है और नतीजा उसका यह हुआ कि वैगन मिलने के लिए रेलवे ने अलग अलग किस्म की प्रायरिटी के रूल्स बना दिए। उन कानूनों में एक पहले नम्बर की प्रायरिटी दिए। जाने वाले कामों में एक काम वह यह था कि यदि सरकारी काम के लिये आवश्यकता है और सरकारी कामों के लिये आवश्यक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है इस प्रकार का सार्टीफिकेट सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी दे दे तो रेलवे वैगन की प्रायरिटी तुरन्त मिल सकती है। जोधपुर डिवीजन में यह स्थिति हुई उपाध्यक्ष महोदय, जो कि सालों तक चलती रही दो तीन साल तक कि सरकारी काम के लिये आवश्यक है इस किस्म के सर्टीफिकेट सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से लिये गये। इनमें लिखा गया कि अमुक २ स्थानों पर स्कूलें बनाने के लिये ऐसा सार्टीफिकेट देना है। स्कूलें बनाने के लिये इतना सामान आवश्यक है और हकीकत यह थी कि उस स्थान पर कोई स्कूल की बिल्डिंग बनी ही नहीं और न बनाने की कोई योजना है। सर्टीफिकेट शाया हुआ कि तहसील की बिल्डिंग के लिये इतना इतना सामान है और इसके लिये इतने वैगन आवश्यक है। लेकिन उस स्थान पर कोई बिल्डिंग नहीं न बनी और न उसकी स्कीम थी। जो सार्टीफिकेट सुपरन्टिडिंग इन्जोनियर ने शाया किया ऐसे भी थे उनमें कई कि जहां तहसीलदार के एन्डोसमेन्ट का उल्लेख था और ऐसे तहसीलदारों के नाम उनमें दर्ज थे जो राजस्थान में मौजूद ही नहीं हैं। कई लोगों के दस्तखत थे जिसमें तहसीलदार फलां फलां जगह का लिखा था और वहां पर उस नाम का व्यक्ति तहसीलदार रहा ही नहीं। और आज से लगभग एक साल पहले शिकायत सरकार के पास आई शिकायत आई कि तुरन्त मंत्री महोदय ने इस सिलसिले में जांच का आदेश दिया और एन्टी करप्शन के लोग वहां पहुँचे भी और उन्होंने जितनी जांच की उससे यह साबित हो गया कि इस प्रकार के फरजी सरटीफिकेट शाया हुये। पर बाद में दबाव लाया गया। सिफारिशें की गई, बड़े बड़े लोगों ने कहा सुनी की और एक साल हो गया इस बात को उस जांच का क्या हुआ, जवाब तक देने को कोई तैयार नहीं।

जब उसकी जांच हुई तो उस जांच को पूरा करने के लिए आवश्यकता हुई। बहुत सहज और आसान मामला था। वैगन इस्यू हुए और मान लीजिए कि सोजत पहुँचे वे तो सोजत के लोगों से पूछा गया। मिसाल के तौर पर नाम बता रहा हूं कहा गया कि अमुक राय साहब थे सारा माल बेच दिया गया हमें। सरकार का कोई काम नहीं था। अथवा माल पाली पहुँचा तो वहां भी ऐसा ही हुआ। कोई सरकारी काम नहीं था। लेकिन एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंन्ट के लोग थोड़े दिनों के बाद अलग अलग स्टेशनों पर जहां वैगन गये जाकर जांच करने के लिए भी तैयार नहीं बैठ गये, न मालुम क्यों? लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिसमें इतनी बडी फर्जी कार्यवाही किये गये कागज हाथ में होने के बाद सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बैठे बैठे इस तरह से झूठे सर्टी-फिकेट दिलावें और रिकर्ड मौजूद हैं इसका उसको बावजूद एक साल हो गया कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब ऐसी बात हो जावे तो इसका कोई क्या करे। क्या उत्तर दे? और मैं सोच रहा हूं कि क्या उत्तर देंगे मन्त्री महोदय इसका। इसका उत्तर क्या हो सकता है सिवाय इसके कि इसके ऊपर परदा डाला जावे। सिवाय इसके कि इस मामले को देरी में डालकर लोगों के दिमागों से भुला दिया जावे ऐसी स्थिति पैदा की जावे और बाद में? पुराने मामलों में कौन कहां ध्यान देता है। इसके सिवाय और कोई बात नहीं।

अगर यह बात नहीं है तो फिर बतावें वह जांच पूरी हुई या नहीं और एन्टीकरप्शन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की जांच हुई और क्या रिपोर्ट आई, पूरी हुई और रिपोर्ट आई तो किसके खिलाफ ? प्रिलिमिनेरी जांच हुई और उसमें इस घोटाले का सुबुत मिला तो जिन दस बीस आदमियों के खिलाफ सुबुत मिले उन्हें सस्पेन्ड किया गया या नहीं कागज कब्जे में लिये गये या नहीं। अगर नहीं लिये गये तो क्यों नहीं। मुझे तो यहां तक कहा गया है कि वे तहसीलदार जिनके नाम दर्ज हैं राजस्थान सरकार की तहसीलदार सर्विस में ही नहीं हैं। राजस्थान की किसी सर्विस में नौकर नहीं। ऐसे रिकर्ड मौजूद हैं इसके बाद भी अगर कार्यवाही नही की जाती है तो इसका मतलब तो यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार में कुछ शक्तियां मौजूद हैं। और कभी राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय और कभी गृहमंत्री महोदय कहते हैं कि हमने इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सख्त कदम ले लिए हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वे कौनसे सरकार के सख्त कदम हैं और कौन से कामयाब तरीके हैं। वे जो तरीके हैं उनका एक नमूना तो यह मैं सदन के सामने रख रहा हूँ ताकि सदन इस काम को पूरा करावे। यह तो स्पष्ट ही है कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही दिया जाता है और इसलिये इस जांच को दबाया जा रहा इसी आधार पर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

दूसरा प्रश्न जो है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका ताल्लुक है कि इस विभाग में टेन्डर की दरों को वाजिब स्तर पर लाने के लिए पूरा प्रयत्न नहीं किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. में काम का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल में १० परसेन्ट, २० परसेंट या लड़ाई के जमाने में १०० परसेन्ट या ८० परसेन्ट या १० परसेन्ट बिलो या २० परसेन्ट बिलो, इस हिसाब से टेन्डर होता है। अब स्थिति यह है कि लगातार कुछ क्षेत्रों में कुछ पर्टीक्युलर आफिसर्स जाते हैं तो वहां रेट्स १० परसेन्ट, व १२ परसेन्ट या १५ प्रतिशत बढ़ जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में पी. डब्ल्यू. डी के शेड्यूल के ऊपर ५० प्रतिशत का टेन्डर मन्जूर किया जाता है तो कुछ क्षेत्रों में केवल ८ परसेन्ट के ऊपर का टेन्डर मन्जूर किया जाता है। और इसकी कोई जांच करें तो पता चले। आपके यहां जयपुर की मिसाल दूं। जयपुर की हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बारे में टेन्डर की बात तय हुई थी और दूसरी और बिल्डिंग के बारे में टेन्डर की बात तय हुई थी। इसी शहर के अन्दर टेन्डर शाया हुए हैं लगभग एक या डेढ़ महीने के अर्से में। तो एक ८ परसेन्ट के अन्दर है तो दूसरे के अन्दर २४ परसेन्ट है और तीसरे के अन्दर ३० परसेन्ट है। इतना मारजिन रखा है। यह मन्जूर किये हुए रेट्स के अन्दर अन्तर है। यह कैसे होता है ? कैसे संभव है ? लेकिन इसके बारे में आज तक किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी ने न की है और न छानबीन करने की कोशिश की है। मेरा यह कहना है आपसे कि इसके बारे में एक जागृत प्रयत्न किया जाय। और उस प्रयत्न की बुनियाद यह है, बिना यह है, कि जहां कहीं टेन्डर की रेट अपने आप बढ़ने लगे तो सरकार को मान कर चलना चाहिए कि यह परसेन्टेज, १०, २० या २५ परसेंट विभाग के अधिकारियों के लेन देन तक के लिए बढ़ रही है। तो इस प्रकार के ख्याल कुछ देखा जाय कि किस जगह और क्यों टेन्डर बढ़ रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से उसे नीचे के स्तर पर लाया जा सकता है। मैंने एक जयपुर की मिसाल दी। इस प्रकार की बीसों मिसालें हैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। उसका नतीजा यह है आज सारी दुनियां जानती हैं, सारी दुनियां कहती है कि प्लण्डर विदआउट डेन्जर इस नाम से पुकारा जाता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का यही मतलब लिया करते हैं। तो उसके तह में जो चीज है वह यह है कि टेन्डर को कम करने के बारे में विभाग की ओर से कोई कोशिश नहीं हैं।

तीसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है उसका संबंध है कि इस विभाग में जो डिजल रोड रोलर्स जो किराये पर लिए गये हैं उनके संबंध में एक दम गलत रुख अपनाया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मिसाल है। राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के पास ३०० से ज्यादा किराये पर रोड रोलर्स हैं। कुछ डिजल के हैं और शायद कुछ स्टीम के होंगे। इस पर राजस्थान का पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट ३५ रूपये से ४०, ४२ रूपये रोज किराये के देता है। अभी तक कुछ दिन पहले ३,४ महीने ही हुए होंगे जब कि पहले की जो रेटस थी उनको बढ़ा कर ४० रूपये की रेटस कर दी गई है, और यों समझ लीजिए तफसील में न जाते हुए कि ४० रूपये रोज की रेट पर रोड रोलर्स राजस्थान गवर्नमेंट को रखने पड़े हैं अपने विभाग के लिए। इस बीच में राजस्थान सरकार ने यह भी सोचा कि क्यों न अपने खुद के डिजल रोड रोलर्स खरीद लिए जाएं और आज से कई महिने पहले के विचार को कार्य रूप में परिणत करने के इरादे से सरकार ने एक कोई फर्म के पास आर्डर प्लेस कर दिया। उस आर्डर के बावजूद भी फर्म की ओर से कोई सप्लाई कया नहीं गया तब जो दूसरे नम्बर का टेन्डर था उसको आर्डर दिया गया। वह आर्डर देने के बाद डिजल रोड रोलर्स को भारत में लाने के लिए भारत सरकार के चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोटर्स के लाईसेंस की आवश्यकता होती है, इम्पोर्ट लाइसेंस की तो राजस्थान सरकार की ओर से उनको पत्र चला गया कि २१ रोड रोलर्स के इम्पोर्ट का लाईसेंस आप अमुक अमुक कम्पनी के नाम इशु कर देवें। लेकिन इस बीच दिल्ली में भी कारस्तानी चली जा रही थी हालांकि वह विषय अपनी विधान सभा में रेलेवेन्ट नहीं आता है, उसका उल्लेख करने की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन में बहुत ब्रीफली अर्ज कर दूं कि वहां कुछ लेना देना हुआ। डिप्टी चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्टस हैं उन्होंने एक सरक्यूलर जारी कर दिया कि १९५६ के आखिर में भारत में कोई एक कम्पनी रोड रोलर्स बनाने वाली हैं अतएव जिस प्रकार का रोड रोलर उनको बनवाने की इजाजत दी है वैसा ही अभी से इम्पोर्ट करना शुरू कर दें। ऐसी सलाह देते हुए उन्होंने लिखा था। और किसी ने वह सलाह मानी नहीं, यू. पी. गवर्नमेंट ने नहीं मानी, मध्यभारत ने नहीं मानी, पंजाब ने नहीं मानी, सब ने लिख दिया कि भारत में जब बनेंगे तब हम हिन्दुस्तान का लेंगे लेकिन बनेंगे उससे पहले से १०,१५, प्रतिशत कीमत ज्यादा दें और फिर इस प्रकार एक किसी कम्पनी के रोड रोलर्स खरीदें यह हम नहीं करेंगे और जो हमारी मौजूदा अरेन्जमेंट हैं उसमें ही चालू रखेंगे। यू. पी. इरीगेशन डिपार्टमेंट, यू. पी., पी. डब्ल्यू. डी., मध्यभारत इरीगेशन डिपार्टमेंट, पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट, पंजाब बिल्डिंग एन्ड रोड डिपार्टमेंट, सब जगह के लोगों ने वापिस डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोटर्स को लिख दिया कि आपकी सलाह के लिए धन्यवाद है लेकिन हमारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राय जो पहले थी वह अब तक भी कायम है और उनको इम्पोर्ट लाइसेंस दे दिया। लेकिन राजस्थान सरकार को तो भारत सरकार से इतना डर लगता है ऐसा दिखता है, हालांकि दूसरे मामलों में इतना डर मुझे नजर नहीं आया। जीप्स के खरीदने का सवाल है तो डी. जी.एस. डी का सरक्यूलर है कि इतने हजार और कुछ रूपयों में विल्लीज की जीप हम से ले लो लेकिन राजस्थान सरकार का विभाग १३,२०० रूपये के अंदर खरीद लेता है डाइरेक्टली, लेकिन इस पर्टीक्यूलर मामले में मालूम नहीं कि भारत सरकार के ऐसे आर्डर को राजस्थान सरकार के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी मानकर चलना चाहते है और सारे भारत के अन्दर उस पर्टीक्यूलर कम्पनी एम्फ्रीस जिसकी मोनोपोली है उसको १०,१५ प्रतिशत कीमत ज्यादा देना चाहती है, जिसको किसी ने नहीं माना और सारे के सारे लोगों ने चिट्ठियां लिख दीं, लेकिन एक राजस्थान सरकार ही ऐसी है जिसे चिट्ठी लिखने से इंकार है और आज यह परिस्थिति है कि मई १९५५ से लगा कर मार्च १९५६ होगया है, एक साल पूरा बीत गया लेकिन अभी तक वे २१ रोड रोलर्स आने की शक्ल तक नजर नहीं आती, अब गुंजायश नजर नहीं आती है अब सुना है कि डी. जी. एस. डी. को दिल्ली लिख दिया है, पूछताछ करके पता लगायेंगे कि कितने दिनों में वह हो सकेगा। उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन एक साल पूरा बीत गया जिस रोड रोलर के किराये का साल भर में १५ हजार रूपये सरकार खर्च कर देती है ४० रूपये, ४५ रूपये रोज के हिसाब से १५ हजार रूपया एक साल में खर्च हो जाता है और उसकी कुल कीमत २५,३० हजार रूपये है, तो एक साल तो पूरा होगया और एक साल पूरा हो जायगा तो किराये ही किराये में एक रोड रोलर की कीमत खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्यों न समझा जाय कि जिन कम्पनियों से रोड रोलर्स किराये पर लेना चाहते हैं उनको किराये का फायदा दिलाने के लिए कुछ लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसीलिए वे मई १९५५ से आज तक इस मामले में निश्चित कारणों से डिले कर रहे हैं। कोई पूछता है तो कहा जाता है कि कभी डिप्टी चीफ कंट्रोलर का सरक्यूलर आ जाता है तो कभी क्या आ जाता है लेकिन हकीकत यह है कि १५ हजार रूपये साल भर का किराया देना पडता है, लेकिन वह २५, ३० हजार में मिल सकता है तो उसे नहीं खरीदा जाता है। ऐसी शायद ही कहीं मिसाल मिले कि जहां साल भर के १५ हजार रूपये किराये के देने की तैयारी है लेकिन २५, ३० हजार रूपये में इसको खरीदने की तैयारी नहीं है। यह स्थिति रोड रोलर्स के बारे में है। रोड रोलर्स की कमी बतला कर हमारे रोडस के प्रोग्राम को रोका जाता है लेकिन मैंने आपको जो मिसाल दी उससे जाहिर है कि जो मौजूदा रोड रोलर्स चल रहे हैं उनको किराया किसी न किसी रुप में मिलता रहे उसको रोकने की नौबत न आये यह प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के साथ जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि उस चिट्ठी को इसके साथ में इसलिए लटकाया जा रहा है। और इस प्रवृति के साथ साथ सरकार को साथ रखा जा रहा है। यह सारी स्थिति हुई जिसका मैंने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया और इसका जिक्र आगया है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा जो दूसरा कटौती का प्रस्ताव है उसको इसके साथ साथ प्रस्तुत करता हूँ कि जिसमें उल्लेख है सामान खरीदने का जो तरीका अपनाया गया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह कायदा है पी. डब्ल्यू. डी. में विशेष तौर पर कि जो चीजें खरीदनी हों उन स्पेसिफिक चीज़ों की रेट्स हों। बड़ा सामान खरीदना हो तो टेन्डर्स मांगे जांय और छोटा मोटा सामान हो तो कोटेशन मांगें जांय और विभाग के पास रजिस्टर्ड डीलर्स की लिस्ट रहती है। राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. में इतना मजा है कि न तो डीलर्स की लिस्ट है और न उनके डिपार्टमेंट को चाहिए क्या उस लिस्ट के तहत और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि जो टेकनिकल डिपार्टमेंट होता है तो यह कोटेशन्स मांगते हैं तो सरकुलर्स, नोटिफिकेशन्स मुलाहिजा फरमावें कि उनमें कोई स्पेसिफेकेशन्स नहीं दिये हुए हैं। नतीजा यह होता है कि सारा का सारा टेन्डर का तरीका है वहां विक्षेप होता है। एक कंपनी एक स्पेसिफिकेशन का टेन्डर देती है और दूसरी कम्पनी दूसरा देती है और उनको कम्पेयर करना नामुमकिन है। जैसे टेन्डर दिया बोयलर के लिए। अलग अलग कम्पनी के डायमेन्शन्स हैं। नतीजा क्या होता है? अलग अलग रेट्स होती हैं कम्पेरेटिव रेट्स पोसिबल नहीं और इसलिए खरीद के मामले काफी में अनियमिततायें हैं और काफी गड़बड़ी की बातें मौजूद हैं। और अन्त में मैं इस विभाग के कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार आज बरता जा रहा है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सब से पहले उन चीज़ के लिए निवेदन कर दूं कि जो सारे राजस्थान के लिये लागू नहीं, किंतु जोधपुर के कर्मचारियों के लिए लागू हैं। जोधपुर की स्टेट कौंसिल ने, वहां की, केबिनेट ने सन् १९४९ में यह निर्णय किया था कि जोधपुर के पी. डब्ल्यु. डी. और खास कर वर्क शाप में काम करने वाले अथवा ऐसा काम करने वाले हैं उनको परमानेन्ट कर्मचारी मान कर प्रोविडेन्ट फण्ड का बेनिफिट दिया और उम्मेद को ओप रेटिव सोसाइटी से जहां की इसका लेने देने का प्रश्न चलता है उसका प्रोविडेंट फंड जमा हुआ, उनको छुट्टियां दीं, जो जो सहूलियतें उन्होंने दीं वे मौजूद थीं लेकिन राजस्थान बना, मंत्री महोदय मुहं उठा कर देख रहे हैं इसलिये मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि जोधपुर स्टेट कौंसिल का रेजोल्यूशन मौजूद है, उसके बाद राजस्थान बनता है और राजस्थान के बनने के बाद पी. डब्ल्यु. डी. रूल्स हैं जिसमें कई खंड यू० पी के लागू है उनकी नकल की जाती हैं और यह कहा जाता है कि ये तो वर्क चार्ज एम्प्लोइज हैं इससे न आपको छुट्टी है, न प्रोविडेन्ड फंड है, बगैर किसी निर्णय के अचानक पीछे से हुक्म शाया होते रहते हैं और जो स्थिति पहले थी उनमें परिवर्तन किया जाता है, तब्दीली की जाती है। लगातार वे लोग सरकार के पास लिखा पढ़ी करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तार भेजते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी सुनाई नहीं की। विभाग के कर्मचारी रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जोधपुर स्टेट कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके रियायतें देने का निर्णय किया था और उसके बाद राजस्थान सरकार ने सरक्यूलर शाया करके निर्णय दिया वह वहां लागू हो रहा है और लागू करने के बाद में कोई उनकी सुनाई नहीं हो रही है। यह सरकार यह चाहती है कि मामला आगे बढ़े तब सोचें। क्या सरकार की नीद नहीं खुलेगी जब तक कि कोई गम्भीर स्थिति पैदा न हो जाये? मैं चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूँ कि यदि यही रवैया कायम रहा तो पी. डब्ल्यू. डी. के मुलाजिमों को कोई सख्त कदम न उठाना पड़े? चिट्ठियां, तार, रजिस्टर्ड लेटर्स, रप्रेजेंटेशंस, डेप्यूटेशन्स काफी पहुँचे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि रजिस्टर्ड लेटर्स, चिट्ठियां तार अलग हैं उनमें उन्होंने ३४७) रुपया खर्च किया।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उस यूनियन ने सन् १६५० से लेकर आज तक ३४७ रुपया केवल पोस्टेज का खर्च कर दिया राजस्थान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को पत्र व्यवहार करने में, लेकिन अफसोस तो यह है कि आज तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

जयपुर के लिये अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की यह हालत थी और आज भी है कि इस विभाग के कर्मचारियों को दस तारीख तक तनख्वाह मिलती है जो भी आज कल कुछ दिनों से मिली है. नहीं तो, शंका मेट देना चाहता हूं कि उनको २५ से पहले नहीं मिलती और कभी कभी बीच में कोई छुट्टी आ जाय तो महीना भी बीत गया और अगले महीने की १५ तक तनख्वाह मिलती है । हर वक्त तीन चार महीनों में यह हालत होजाती है और अमुमन देर हो ही जाती है । छुट्टियों एक का प्रश्न है । पी. डव्ल्यू. डी. सेक्रेटरी के दस्तखतों से एक सरकुलर शाया हुआ कि हफ्तेवार छुट्टी दी जाय । उसको शाया हुए महीनों हो गये लेकिन वह लागू नहीं होता है । क्यों नहीं लागू होता है ? थोड़ी साधारण सी बात है कि विभाग के लोगों को तनख्वाह वाली छुट्टी दी जाय या वगैर तनख्वाह की ? चीफ इंजीनियर का क्लेरीफिकेशन नहीं, सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर के कोई क्लेरिफिकेशन नहीं और क्लेरिफिकेशन के लिये पी. डब्ल्यू.डी. के सेक्रेटेरियट में पेश होता है छः महीने निकल गये हैं लेकिन उस सरकुलर का क्लेरिफिकेशन नहीं होता । आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि बीकली छुट्टियों के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं होता है तो तनख्वाहों के बारे में तो क्या होते होंगे । लेबर डिपार्टमेंट से लिखा जाता है, लेबर कमिश्नर ने सरकार को लिखा लेकिन सरकार का छः महीनों में भी एक सरकुलर का क्लेरिफिकेशन नहीं निकलता । पी. डब्ल्यू. डी. में काम करने वाले, मिस्त्री हैं, फिटर हैं, मकानों में काम करते हैं, मिनिस्टरों के बंगले चैक करते हैं, रात दिन टूट फूट देखते रहते हैं, और मौजूदा जो नये मंत्री बने हैं जब उनके बंगले जो तैनात किये तो उन्होंने उन लोगों को चैक करते हुए, सामान की टूट फूट मरम्मत आदि करते हुए, रात दिन काम करते हुए देखा, होगा उन्होंने देखा हो या न देखा हो किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुबह से लेकर रात को ८—६ बजे तक वे लोग काम करते रहते हैं लेकिन जब उनकी तनख्वाहों का सवाल आता है, लेकिन जब उनकी मंहगाई का सवाल आता है, लेकिन जब उनके प्रोविडेन्ट फन्ड का सवाल आता है, लेकिन जब उनकी हफ्ते में एक तनख्वाह वाली छुट्टी का सवाल आता है तो उस पर विचार करने के लिये कोई तैयार नहीं । मैं पूछना चाहता हूं । कि पी. डव्ल्यू. डी. के हर एक कर्मचारी का महत्व है, और उन कर्मचारियों के महत्व को जानते हुए भी जिन्होंने जिन्दगी इसमें गुजार दी, ऐसे ऐसे लोग है जिनकी १७—१७ साल और २०—२० साल की मुलाजमत कर ली है उन बूढ़े लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना और उनकी मांगों के प्रति न्यायोचित वृत्ति न रखना अन्यायपूर्ण और इसको दुर्लक्ष्य किया जा रहा है । लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके साथ कोई विचार करने को तैयार हो तो ? लेकिन यहां तो बहुत बड़े बड़े कामों से फुर्सत नहीं है और मौका आता है जब समाजवादी प्रणाली के नाम पर चीज कह देते हैं लेकिन ये हैं कर्मचारी सरकार के जो सड़ रहे हैं, जिनको महीनों बाद भी तनख्वाह नहीं देते और उसके बाद भी कहते हैं कि हम समाजवाद कर रहे हैं तो आप सोचिये कि उनके दिमाग पर कितना असर पड़ेगा

और हम पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो मुझे सदन के सामने जो कुछ निवेदन करना था वह कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि इन बातों पर ध्यान दिया जायगा और स्पष्ट उत्तर दिया जायगा, अपनी गल्ती स्वीकार की जायगी। यदि माननीय मंत्री जी को जोश आ जाय और गुस्सा आ जाय और कह दें कि सदन से जांच करा लें या निष्पक्ष आदमी से जांच कराली जाय ऐसा कहने की नौबत आ जाय तो डटे रहें ऐसा न हो कि अभी तो कह दें और फिर कुछ न करें। इम्पार्शियल आदमी के सामने मैटर रखें और इसकी जांच करावें। अपनी गलती स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये रखता हूँ।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा बहुत मामूली कटौती का प्रस्ताव है। मैं बहुत दुख के साथ सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बीकानेर डिवीजन में पिछले तीन चार साल से सड़कों की बहुत अव्यवस्था हो रही है। जहां तक नई सड़कें बनाने का सवाल है वह तो बहुत बुरा है, ही लेकिन पुरानी सड़कें जो पहले से बनी हुई हैं वे आज इस हालत तक पहुँची हुई हैं कि उनको सड़क कहना सड़क शब्द की मजाक उड़ाना है। बीकानेर से दिल्ली तक केन्द्रीय सरकार की ओर से सड़क बनाई गई। उस समय पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे इसलिये जल्दबाजी में यह सड़क बनाई गई थी। आज से दो तीन साल पहले इसकी मरम्मत के बारे में राजस्थान को यह काम सौंपा गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस सड़क पर जब गड्ढे निकलते हैं तो आसपास के टीबों से बालू लाकर उनमें डाल दी जाती है और जब आंधियें चलती हैं तो जो बालू डाली हुई होती है वह उड़ जाती है और कहीं कहीं तो ६ फुट तक के गड्ढे पड़े हुए हैं जिनके कारण एक्सीडेन्टस हो जाते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब कि वहां एक्सीडेन्ट नहीं हों। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सड़क की मरम्मत ठीक तरह से कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके अलावा नई सड़कें बनाने के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। जहां दूसरे डिवीजन्स में कई मील लम्बी सड़कें बनती हैं और काम पूरा किया जाता है वहां हमारे यहां जितनी सड़कें बीकानेर डिवीजन में बन रही हैं उनमें से कोई ३-४ मील एक जगह से ज्यादा नहीं बनती है और बाकी टुकड़ों में बनाई जाती है। कोई पूरी सड़क नहीं बनाई जाती। चूरू से बालेरी करीब २२ मील है। चूरू ऐसा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है जहां एक भी सड़क नहीं है। चूरू जैसा शहर जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, कहीं से भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। ढाई तीन साल पहले वहां से बालेरी तक सड़क बनाने की शुरूआत हुई थी लेकिन २२ मील सड़क तीन साल में भी पूरी नहीं हो पाई। अभी भीलवाड़ा में मेरे धर्मावलम्बियों का एक ऐसा सम्मेलन हुआ था। वहां पर मेरे बहुत से साथी गये थे। वे बता रहे थे कि भीलवाड़ा से विजयनगर तक ३०-४० मील का फासला है वहां पर सड़क बन रही है और काफी जोरों से १५-२० जगह काम चल रहा है। भीलवाड़ा से कुछ साथी चित्तौड़गढ़ देखने गये हुए थे। वहां से आने पर उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा से चित्तौडगढ़ तक ४० मील लम्बी सड़क बन रही है और १५-२० जगह जोर शोर से काम हो रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर—पहले आप उसका मुलाहिजा तो करते।

श्री चन्दनमल वैद—आप कहना क्या चाहते हैं, कह दीजिये शर्म मत खाइये ?

श्री सोहनलाल भटनागर—आप वहां जाकर देखते तो पता चलता।

श्री चन्दनमल वैद—मेरे मित्रों ने जो बात कही है वह मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जिले में जिला हैडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाली सड़क ३ साल से नहीं बन पाई है। यह मैं राजस्थान सरकार की बात कह रहा हूँ। बीकानेर डिवीजन में डिफेन्स मिनिस्टरी की आज्ञा के अनुसार बीकानेर से अबहोर तक सड़क बनाने की आज्ञा दी गई थी लेकिन यह सड़क भी पूरी नहीं हो पाई। सरदार शहर से बीकानेर का टुकड़ा तो अभी बिल्कुल नहीं बना है और सरदारशहर से अबोर कहीं २ मील का टुकड़ा बनाया जाता है और कहीं बीच में छोड़कर फिर दो तीन या ५-७ मील का टुकड़ा बनाया जाता है। ऐसा न करके सिलसिलेवार २०-३० मील का टुकड़ा बना दिया जाय तो जहां तक बन गया है वहां तक तो लोगों को फायदा हो। इस तरीके से आज हमारे यहां काम हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, बीकानेर डिवीजन में गंगानगर एक ऐसा जिला है जहां जयपुर को छोड़कर दूसरी जगहों से मोटर बसेज, लोड ट्रेफिक आदि सबसे ज्यादा है और आबादी के लिहाज से तो मैं दावा करता हूं कि यह वह जिला है जिसमें लोड ट्रेफिक सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी उदयपुर डिवीजन के उदयपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां ३०० मील से ज्यादा सड़कें बनी हैं वहां गंगानगर में १०० मील से भी थोडी ज्यादा बनी है और जो बनी हैं वे भी अधूरी हैं। मैं समझता हूं कि अब हमारे विभाग के मंत्रीजी सच्चे ईमानदार व्यक्ति आये हैं वे जरूर क्षेत्रीय भावना से दूर हैं। मैं आशा करता हूं कि जो क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठेंगे और जिन स्थानों को निगलेक्ट किया है उनको ध्यान में रखेंगे और बीकानेर डिवीजन को इगनोर किया गया है उस ओर ध्यान देंगे।

श्री भोपालसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन इस प्रकार है।

"मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक-५० नागरिक निर्माण कार्य के अनुदान की राशि रु० १,६७२३,००० में रु० १ मात्र की कटौती की जावे (विकास योजनाओं में गड़बड़ी की जाने पर विचार प्रकट करने के लिए)"

मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास कार्यों पर सरकार खर्च तो बहुत ज्यादा कर रही है क्योंकि केन्द्र से काफी सहायता मिलती है लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि ये ठीक तौर से खर्च हो रहे हैं या नहीं। जितना पैसा खर्च होता है उसका एक चौथाई भाग से ज्यादा काम नहीं आता और तमाम पैसा या तो ठेकेदारों की जेबों में जाता है या सरकारी अधिकारियों की जेबों में जाता

[श्री भोपाल सिंह]

है । और मैं यह बता दूं कि मेरी डेगाना तहसील में करीब २०० गांव हैं उनमें से फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में केवल २०-२५ गांवों पर ही खर्च किया गया है और वहां जाकर यह नहीं देखा जाता है कि ये रुपये खर्च किये या जेबों में गये । इसकी जांच के लिये चेलेन्ज दिया जाता है उसका भी जवाब नहीं मिलता । मैं आपको खास तौर से चेलेन्ज दे देना चाहता हूँ कि इसकी तहकीकात की जावे तो मैं सबूत कर सकता हूँ । तहकीकात रकनेवाला कोई नहीं है और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है जब कि पहले अब कांग्रेस चिल्लाती थी तब कहा जाता था कि कि हमारा राज्य होगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं । पुरानी छोटी रियासतों को ले लीजिये । उनकी प्रजा को जो सहूलियतें थीं उतनी भी आज नहीं हैं । बड़ी रियासतों की तो बात ही जाने दीजिये करौली, बूंदी आदि को ही ले लीजिये । हर जगह सड़कें, होस्पिटल्स, स्कूलें आदि की जो हालत थी वह आज डिविजनल हैड क्वार्टर्स में भी नहीं है फिर आप से क्या फायदा मिला ?

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रुपया आता है उसको तमाम गांवों में डिस्ट्रीब्युट किया जाना चाहिये और तभी लोगों को उसका फायदा मिल सकता है नकि चन्द लोगों को दे दिया जावे जिससे उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचे । मैं आपको जोधपुर का जिक्र करना चाहता हूँ । जोधपुर दरबार जिस समय जिन्दा थे उस समय उन्होंने अपनी पब्लिक का कितना ख्याल रखा था और आपको मालूम होगा कि जोधपुर राजाजी के प्रति जनता का क्या रूख था । चुनावों में उनका किस प्रकार जनता ने आदर किया । उनका तमाम पैसा प्रजा के काम आता था । मैं यह कहूंगा कि आज भी ओफिसर तो वे के वे ही हैं और पब्लिक भी वही है मगर फिर इस प्रकार का पक्षपात और गैर इन्साफ क्यों होता है ? इसकी वजह यह है कि आप चाहते हैं गड़बड़ी करना और वे नहीं चाहते । मगर उनकी चलतीं नहीं । आप जैसा चाहें मन माना करते हैं और उनकी चलती नहीं हालांकि वे इस बात को जानते है कि यह गल्त हो रहा है । जैसा वे समय देखते हैं करते हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वह पैसा पब्लिक के काम में आना चाहिए । मैं आपको एक का इन्सटेन्स देता हूँ । वहां पर बाजार में पानी भर जाता था । इसलिये मैंने वहां के एस. डी. ओ और तहसीलदार ने सबने वहां के लोगों को आश्वासन दिया कि पब्लिक वहां की कुछ पैसा इकठा करे तो सरकार भी कुछ मदद देकर इसका इन्तजाम कर देगी । उन लोगों ने हम लोगों के आश्वासन देने पर उसके लिये २॥ हजार रुपया लगा दिया । डेढ़ हजार रुपया सरकार को लगाना था । उन्होंने पैसा लगाया । मगर बद किस्मती से वह सरकार बदल गई और उसके बाद इसको हमारे चलाने वाले गार्जियनों ने सरकारी अधिकारियों को चमका दिया कि ये लोग हमारे कहने में नहीं हैं, इन्हें रुपया नहीं दिया जावे । इसका क्या असर हुआ कि वहां पर कुछ सड़क जो उन लोगों ने रुपया खर्च करके बनाई थी वह भी टूट कर साफ हो गई और रुपया बेकार गया । इस तरह से पक्षपात करना आपके लिये शोभा की बात नहीं । यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह आप काम करा दें और दूसरी जगह जहां पब्लिक रुपया आधा से ज्यादा देती है उसको मदद नहीं करें । अतः मेरा यही कहना है कि जितना खर्च किया जावे वह सब जनता के काम में आना चाहिये । बस इतना ही कह कर मैं अपना कटोती का प्रस्ताव पेश करता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे इस मांग पर ४ कटौती के प्रस्ताव हैं। एक यह है कि द्वितिय पंच वर्षीय योजना में जयपुर जिले के साथ उपेक्षा बरती गई है। माननीय उपाध्यक्ष, प्रथम पंच वर्षीय योजना बनी और इस प्रथम पंच वर्षीय योजना में एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि सड़कें किस आधार पर बनाई जावें और उसके आधार पर प्रत्येक जिले को कुछ न कुछ हिस्सा मिला। लेकिन जब द्वितिय पंच वर्षीय योजना बनी तो इस योजना में इस क्राइटेरिया को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखा गया और क्षेत्रिय भावना के आधार पर ही सड़कें द्वितिय पंच वर्षीय योजना में रखी गई।

माननीय उपाध्यक्ष, जयपुर जिला राजस्थान में सब से बड़ा जिला है, जिसकी जनसंख्या बीकानेर डिविजन के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कोटा के बराबर है इस लिहाज से सड़क कितनी बननी चाहिये इसका अन्दजा लगा लेना चाहिये। लेकिन निश्चित तौर पर कहा सकता है कि अगर इस क्रीइटेरिया को देखा जावे और ध्यान में रखा जावे तो जयपुर जिला सबसे आगे राजस्थान में होगा। लेकिन द्वितिय पंच वर्षीय योजना पहले एक मरतबा बनी। फिर रुपयों की कमी हुई और रुपयों की कमी होने के कारण उसमें कामों में कमी की गई। इस के बाद फिर रुपयों में कमी रही और फिर कमों की कमी गई। नतीजा यह हुआ कि जब जब कमी करने का वक्त आया तो उसका वजन जयपुर पर पड़ा। इसलिये ज्यों ज्यों रुपयों की कमी पड़ती गई जयपुर जिले पर इसका बोझ पड़ा और काम कम होता गया। अगर आज हम जयपुर जिले का मुकाबला नागोर जिले से करें तो हम कहेंगे कि नागोर जिले के हम काफी पीछे हैं।

(घंटी)

अगर आप जयपुर का उदयपुर से मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जयपुर द्वितिय पंच वर्षीय योजना में उदयपुर से काफी पीछे है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इस सम्बन्ध में एक निश्चत क्राइटेरिया के आधार पर चलना चाहिये। एक बात मैं यह कह देना चाहता हूँ कि पहले जब बजट हमारे पास आता था उस समय बजट की चार कोपीज हुआ करती थी जो हमें मिलती थी और उसमें एक कोपी में नये कामों की स्थिति होती थी जिससे निश्चित तौर से हमें पता आसानी से लग सकता था कि क्या क्या काम होने वाले हैं। चूंकि सारे काम जो सरकार करना चाहती है हम लोगों की दृष्टि में नहीं आवे; इसलिये इस समय उसकी प्रति हमें नहीं मिली और बजट को इस तरह से बनाया कि सही माने में इस बात का कोई पता नहीं लग सकता। निर्माण कार्यों की सूची हमारे पास नहीं है लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. में जाकर जानकारी हासिल की कि नागौर में और उदयपुर में पहले कौन कौन से काम हुए और अब कौन कौन से काम होंगे। मैं यह कहूंगा उसको देखने के बाद, कि जयपुर जिले के साथ उपेक्षा बरती गई है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके बारे में फिर से विचार किया जावे। रुपयों में जो कमी की जानी चाहिये उसका असर सारे जिलों में होना चाहिये न कि अकेले जयपुर जिले पर इसलिये इस पर फिर से विचार होना चाहिये।

[श्री चांदमल मेहता]

दूसरी बात किशनगढ़ में उसकी उपेक्षा करने के बारे में है। सडकों के बारे में जो क्राइटेरिया रखा गया है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पर एक महत्वपूर्ण खान है इस खान को प्रोत्साहन देने के लिये सड़क की व्यवस्था हो। जब किशनगढ़ रियासत थी उस समय किशनगढ़ स्टेट और कारखाने वालों के एग्रीमेंन्ट हुआ था, इसकेलिये। व्यापारिक दृष्टि से यह राजस्थान में महत्वपूर्ण खान है। इससे लोगों को काफी आमदनी होती है। किशनगढ़ सब डिविजन में यहां पर सबसे बड़ी मार्बल की खान है और यहां पर राजस्थान में सबसे बड़ा कारखाना है जहां पर पत्थर की चिराई हुआ करती है और मेटीरियल तैयार करता है। आज इस कारखाने तक कोई सड़क नहीं है जब कारखाना बना उस समय किशनगढ़ राज्य के समय बना। एग्रीमेंट स्टेट के साथ हुआ उसमें लिखा गया है कि स्टेट सड़क बना देगी। इसलिये इसको प्रोत्साहन देने के लिये सड़क बनाई जावे। यह एग्रीमेंट किशनगढ़ स्टेट के समय में हुआ। आज भी कारखाने वाले इस बात के लिये तैयार हैं कि एक तिहाई या आधा खर्चा जो लगेगा वे देने को तैयार हैं। अतः माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके मारफत सरकार से अर्ज करूंगा, कि इस महत्वपूर्ण सड़क को इस खान के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये जल्दी बनाई जानी चाहिये।

दूसरी ओर मैं इस तरफ से निवेदन करूं किशनगढ़ सब डिवीजन महज खनिज के मामलों में बहुत धनी है, भीलवाड़ा के बाद में अगर कोई इस मायने में धनी है, तो वह किशनगढ़ सब डिवीजन है। किशनगढ़ सब डिवीजन की लक्ष्मी माइन्स भीलवाड़ा के बाद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है यह हिन्दुस्तान में मशहूर है अपने यहां के महत्वपूर्ण खनिज के लिये। इतना होने पर भी यह सड़क से मिली हुई नहीं है। यह किशनगढ़ आलनिया तक दादिया के पास पड़ती है। यह सहज में ही सड़क से मिलायी जा सकती है। वह महत्वपूर्ण सड़क है इसका कुछ भी हिस्सा इस योजना में नहीं रखा गया है इसलिये मेरा निवेदन है अब भी शामिल कर दिया जाय। इसी तरह और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सडकें हैं उसकी सिर्फ योजना बनी इन्हें सडकों से जोड़ दिया जाय. उपाध्यक्ष महोदय, सरवाड़ से शाहपुरा तक सड़क बनने की जो बात है। अभी भीलवाड़ा से अगर जयपुर को आया जाय तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। भीलवाड़ा और विजयनगर के बीच सड़क बन रही है उससे यह होगा कि आखिरकार जयपुर आने के लिये और भीलवाड़ा से मिलाने के लिये यह सड़क है। और शाहपुरा से सरवाड़ तक सड़क बनती है तो भीलवाड़ा सीधा मिल जाता है जयपुर जिले से। यह कोई बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है २०, २५ मील का केवल टुकड़ा है। भीलवाड़ा हमारे से काफी दूर पड़ता है इससे सड़क के जरिये हम नजदीक आजायेंगे। पहले जो योजना बनी थी उसके अन्दर यह थी। यह महत्वपूर्ण सड़क है जो किशनगढ़ सब डिवीजन में छोड़ दिया गया है उन पर फिर से विचार किया जाय और दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाय।

तीसरा कटौती प्रस्ताव है, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के फिक्सेशन के बारे में। पी. डब्ल्यू. डी. में दो तरह के मजदूर काम करते हैं, एक मजदूर वे हैं जो स्थाई काम

[श्री चांदमल मेहता]

करते हैं वे सडक पर स्थाई काम करते हैं वे सडक पर स्थाई गैंग के रूप में काम करते हैं। जो अस्थायी होते हैं उनको काम के समय रखा जाता है। मुझे अस्थायी मजदूरों के संबंध में कुछ बात नहीं कहनी है। स्थाई मजदूरों के बारे में मुझे निवेदन करना है। स्थाई मजदूरों के लिये निश्चित वेतन तय किये जांयें और वे निश्चित वेतन आसपास के इलाके से देखकर निश्चित किये जांय उनको वेतन देने का जो तरीका है वह है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कृपा पर निर्भर है। जोधपुर डिवीजन के कर्मचारियों को जहां ४५ रुपया मिलता है और जयपुर डिवीजन के कर्मचारियों को ३०, ३५ रुपये दिये जाते हैं। कई ऐसी जगह भी हैं जहां इससे भी ज्यादा सेलरी दी जाती है। खास तौर से आज की हकूमत को जो अपने आपको किसान और मजदूरों को अपने रीढ़ की हड्डी समझती है मजदूर और किसान की हकूमत है। मजदूरों के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मरजी पर क्यों छोड़ा जाय ?

माननीय उपाध्यक्ष, यहां मैं यह कह दूं जो कर्मचारी अस्थायी हैं उनके बारे में हमको कुछ मुगालता दिया गया है। दो तरह के आदमी हैं, एक परमानेन्ट गैंग के आदमी हैं, अस्थायी हैं। जहां तक परमानेन्ट कर्मचारियों का ताल्लुक है उनकी सेलरी निश्चित की जानी चाहिये। उनकी महगाई की भी निश्चित दर कायम की जानी चाहिये। हमारा पड़ोसी अजमेर राज्य है जहां सड़कों के ऊपर जो मजदूर काम करते हैं जो स्थाई गैंग में काम करते हैं उनको तनखा मुकर्रर है और महंगाई भी मुकर्रर है। जो अपने यहां नेशनल हाई वे कहलाता है जो सेन्ट्रल पी.डब्ल्यू. डी. के आधीन था उस पर जो मजदूर काम करते थे उनको मुकर्रर वेतन मिलता था जब कि वे सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी. के मातहत थे उनके मास्टर रोल मौजूद हैं साल दो साल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किस मजदूर को कितना वेतन दिया गया उससे पता चल सकता है। कई बार यह मौका आता है कि १०, १५ साल तक कार्य करने वाले मजदूरों को भी निकाल दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे लोग रख दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मैंने व्यक्तिगत दिलचस्पी ली है क्योंकि इस तरह के यूनियन हैं उनका अध्यक्ष रहने का मौका मुझको भी मिला है। मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क सड़कों पर काम करने वाले से किया उनसे बातचीत की और मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिल कर उनकी कठिनाइयों को दूर करवाने की भी कोशिश की और यह भी कोशिश की कि जो स्थाई कर्मचारी हैं उनको निकाला न जाय लेकिन जहां तक नियम का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिये सारे राजस्थान की दृष्टि से उनका उचित वेतन व महगाई और अन्य सुविधायें भी जो मजदूर की हैसियत से दी जाय, सरकार द्वारा दी जानी चाहिये।

मेरा चौथा कटौती का प्रस्ताव है रोड मोहर्रिर के बारे में। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में कई तरह के कर्मचारी काम करते हैं, कई मस्टर रोल में दर्ज होते हैं, कई वर्क चार्ज होते हैं। वर्क चार्ज में किसी को भी रखा जाय, इसमें मुझे एतराज नहीं है। जैसा काम

[श्री चांदमल मेहता]

होगा उस हिसाब से आदमी रखते हैं और उसी हिसाब से नौकरी दी जायगी। कुछ स्थान ऐसे भी है जो स्थायी हैं स्थाई को अस्थायी रखना और वर्कचार्ज में डालना यह भ्रम की बात है उपाध्यक्ष महोदय, रोड मोहर्रिर जो हैं वे जो सड़कें सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी सेहमारे राजस्थान सरकार के हाथ में आई हैं वहां जो रोड मोहर्रिर रहते थे वे स्थायी होते हैं, उनके वेतन में फिक्स्ड वेतन था महगाई वेतन के सिवाय मिलती थी इसी प्रकार टी. ए. और डी. ए. की भी सुविधा उन लोगों को थी। अपने यहां जो रोड मोहर्रिर रहते थे चाहे वे स्थायी हो उनके लिये कोई तनखा का स्केल मुकर्रिर नहीं है। वे सब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर है कि उनको कितना वेतन दिया जाय। कई बार यह भी देखा गया है कि वे लोग जयपुर यदि किसी सरकारी काम भी आते हैं या किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो सिर्फ उनको किराया ही दिया जाता है रेल का। अगर वे यहां पर ठहरते हैं एक दो दिन या इससे ज्यादा तो उनको डेली अलान्स तक नहीं दिया जाता। स्टेशन से जहां पर जाना पड़े तांगा किराया भी उनको नहीं दिया जाता इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया जाता है, इस मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस पर गहराई से सोचें। जो कर्मचारी रोड मोहर्रिर की हैसियत से स्थायी है, उनके लिये यह निश्चित तौर से होना चाहिए कि उनको एक वेतन स्केल मिले उचित स्केल मिले उचित महंगाई और अन्य सुविधायें मिलनी चाहिए। इन बातों के साथ में अपने चारों कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह (अनुपस्थित) श्री भैरूं सिंह।

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है इस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था के कारण जो कई प्रकार की अनियमिततायें हो रही है उनके ऊपर प्रकाश डालने के हेतु।

उपध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विभाग के सम्बन्ध में इस सदन में अनेक चर्चायें हुई मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी माननीय सदस्य नहीं होगा जिसने इस विभाग की कभी भी प्रसंशा की हो। किन्तु प्रसंशा के विपरीत इस विभाग के जितने भी बुरे से बुरे नाम हो सकते है उन नामों से इस विभाग को संबोधित किया है उस बारे में कुछ लिखकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। बार २ इस विभाग द्वारा जितनी भी इस प्रकार की घटनायें मालूम होती हैं उन घटनाओं का उल्लेख करना सदन का समय बरबाद करना होगा इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग के अन्दर जो रुपये का दुरुपयोग होता है दुरूपयोग को रोकने के लिए अगर इस सदन में कन्स्ट्रक्टिव सजेशन रखूं तो ज्यादा लाभदायक होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, आज यह आम चर्चा है कि इस विभाग द्वारा जितने भी ठेके दिये जाते हैं उनमें से अधिकांश ठेकों में लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि इसमें पच्चीस प्रतिशत तो हमें विभाग के अधिकारियों को निकालना है इस तरह से पच्चीस परसेन्ट निकालने के बाद जो

[श्री भैरूसिंह]

कुछ ठेका लिया है उसमें केवल दस प्रतिशत कमायेंगे। १०० रूपये में ३५ रुपया तो इस तरह से चला गया बाकी जो ६५ का काम है उसमें से यदि उसने अपने छोटे ठेकेदार को काम दे दिया है तो उस ६५ प्रतिशत में से धीरे धीरे कम होते हुए मैं तो समझता हूं ४० और ५० रूपये का काम होता है। जिस काम के लिये काफी रकम सरकार द्वारा मन्जूर होती है उसमें से पचास प्रतिशत रकम तो ठेकेदार और उन ठेका देने वाले अधिकारियों के बीच में ही हजम होजाती है। अभी मैं कुछ अधिकारियों के नाम लेऊंगा तो सदन में इस बात की चर्चा होगी तो यह कहा जायगा कि अधिकारियों को तो यहां बोलने का अधिकार नहीं है इसलिये इस विषय में चर्चा नहीं की जाय।

मैं नये निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस विभाग की इन सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिये जिस तरह से पुलिस में एक एन्टी करप्शन विभाग कायम कर रक्खा है उसी प्रकार से इस विभाग में भी एक एन्टी करप्शन बोर्ड स्थापित किया जावे और इसमें हाई करेक्टर के टेकनिकल ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जावे और फिर वे एक वर्ष के बाद देखें कि क्या नतीजा होता है ? बहुत मुमकिन है कि एन्टी करप्शन के लोग भी पैसे के प्रलोभन में आ जावें और अपना साफ मार्ग छोड़ दें। पर शुरू में जो मनोवृत्ति होगी उससे भी उस विभाग में काफी सफाई हो जावेगी और धीरे धीरे धन का दुरुपयोग भी समाप्त होगा ही। यह उचित भी होगा। पुलिस एन्टी करप्शन कमेटी एक एस. पी के हाथ में चली गई और इस कारण से उनका जितना भी एप्रोच है सुपरिन्टेन्डेन्ट के ओहदे तक ही होता है। इसके ऊपर करप्शन के मामले में उसकी हिम्मत नहीं होती। कभी किसी कान्स्टेबल को, तो कभी किसी हैड कान्स्टेबल को या कभी दो चार क्लर्कों को कोर्ट में गिरफ्तार कर के दे दिया। एन्टीकरप्शन ने अपनी रिपोर्ट में भी बता दिया कि हमने बीस बाईस ऐसे केसेज पकड़े हैं और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इससे ऊपर जो करप्शन होता है और जो ही सही मानें में करप्शन है उस पर उनका कोई जोर नहीं चलता। पर इस विभाग में जहां हजारों रुपयों का पेमेन्ट होने ठेकों में आदि में गड़बड़ियां होती हैं। ठेकेदारों से अनबन होने पर उनके पेमेन्ट में गड़बड़ियां कराई जाती हैं, काम में रुकावटें डाली जाती हैं और कोर्टों में उन्हें लेजाया जाता है। परिणाम यह होता है कि निर्माण का कार्य भी बन्द हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं इस विभाग में आये दिन होती रहती हैं पर इनकी कोई जांच नहीं होती। ठेकेदार की एक शिकायत नीचे से की जाती है, वह चाहे अनबन से हो या और किसी कारण से हो, कोई यह नहीं देखता ऊपर कि यह मामला क्या है, जो नीचे से लिखकर भेज दिया बस आंख बन्द करके उसी को ताईद करते चले जाते हैं। नीचे से अगर अनबन होने पर यह लिख दिया कि हमने ठेकेदार को ऐसा आदेश दिया ऐसा करना चाहिये उसने उसकी तामील नहीं की इसलिये हम उसको पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी असलियत में कोई जाने की ऊपर चेष्टा नहीं करता। और उसी के नोट की पुष्टि चीफ इन्जीनियर और गवर्नमेन्ट भी करती चली जाती है। इससे दो प्रकार का नुकसान होता है। एक तो इस अनबन से बचने के लिए करप्शन का सहारा ठेकेदार को लेना पड़ता है वह यह समझ लेता है कि जो कुछ है वह तो यही है इसको खुश रक्खो तो फिर सब ठीक है। इससे फिर वह कसर काम में निकालता है और इस प्रकार सरकार का काम ठीक नहीं होता।

[श्री भैरूसिंह]

पैसा लेकर पेमेन्ट की प्रवृत्ति को इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो इन सारी कार्यवाहियों को रोकने के लिये इस डिपार्टमेन्ट के लिए एक अलग एन्टी करप्शन बोर्ड की स्थापना की जावे। उनका दायरा हो सरप्राइज चैकिंग का भी और और भी जरिये जो जरूरी समझे जावें उनको काम में लेने का उनको पूरा अधिकार दिया जाना चाहिये। इस विभाग में फैली अव्यवस्था और करप्शन को रोकने के लिये यह उचित मार्ग होगा।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा इसमें कि प्लानिंग नामक एक महकमा अलग खोला जा रहा है। इसके लिए भी इसमें खर्चा रक्खा गया है। इसमें शायद टाउन प्लानिंग का काम होगा। गांवों के नक्शे, गांवों में बनने वाले मकानों के नक्शे और दूसरे जो कन्स्ट्रक्शन के काम ला रहे हैं उनके नक्शे ये लोग बनावेंगे। आज तक जितने भी लोग नक्शे बनाया करते थे और सरकार को दिया करते थे और इससे सरकार का काम बराबर ठीक तरह से चलता था। अगर इसमें रुकावट आई हो, समय पर नहीं दिया हो या इनकी वजह से किसी कन्स्ट्रक्शन में बाधा पहुंची हो तो फिर इनको रोजी देना हो तो दें। पर अगर इनकी कोई खामी नहीं रही तो यह टाउन प्लानिंग का काम उचित नहीं है, यह तो अपने अपने आदमियों को काम पर लगाना हो गया है। आज तक यहां सुनने में नहीं आया सदन में और न बाहर सुनने में आया कि प्लानिंग बनाने वाले नक्शा बनाने वाले नहीं हैं। बल्कि उनसे जो नक्शे मिलते थे वे कहीं बहुत अच्छे होते थे, अनुभवी लोगों के होते थे और कम्पीटीटिवली तैयार किए हुए होते थे, उनमें जो अच्छा होता उसी की चल सकती थी, कमजोर का कोई काम नहीं था। पर आज इतनी बड़ी खर्चे की मद रखी गई है उसमें इन इन्जीनियरों की हां में हां मिलाने वाले लोग हैं उन लोगों को सरकारी नौकरियां किस तरह से दी जावें इसके लिए रास्ता निकाला गया है। उनको सरकारी नौकरी देने के लिए यह टाउन प्लानिंग का खर्चा रक्खा गया है। ऐसी रकम का कोई सही उपयोग नहीं होगा। अगर उपयोग करना चाहें तो बतावें किसमें उपयोग होगा? पर जिन लोगों को उन इन्जीनियरों ने आश्वासन दे दिया था कि तुम्हें नौकरी में लगा लेंगे, और ये लोग वही हैं जिनको प्राइवेट रूप में काम ये इन्जीनियर दिलाया करते थे पर अब उनको काम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में उनसे कहीं अधिक अच्छे अच्छे नक्शे देने वाले आ गये हैं, उनकी अब चल नहीं रही है, कम्पीटीशन में वे ठहर नहीं सक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इन इन्जीनियरों की हां में हां मिलाई, उनकी खुशामद की और उनको कहीं काम पर लगाने के लिए यह विभाग खोला गया है। अब इनसे होगा क्या कि इस विभाग के नक्शों की इफीसियेन्सी में खामी आवेगी, इनके नक्शे होंगे वे नक्शे गलत और खामी वाले होंगे। हां में हां मिलाना और गलत सलत नक्शे पास करना गलत चीज है। अगर ऐसी कोई मद है तो उसे हटा दिया जाना चाहिये। जो कम्पीटीशन में नक्शे दिये जाते हैं उनके आधार पर ही सरकार काम चलावें तो उचित होगा।

तीसरी बात अपने ही क्षेत्र के बारे में कहूँगा। अभी तक मैं इस ख्याल में था जिस तरह से इस सदन के पहले इजलास में उस वक्त के माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि जितने भी

[श्री भैंरूसिंह]

सदस्य यहां आये हैं उनको संकीर्णता से नहीं सोचना चाहिये । वे ऐसा नहीं सोचें कि हम अपने ही ही क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पर ऐसी भावना रखें कि हम को राजस्थान का सामूहिक प्रतिनिधित्व करना है । उनके अपने अपने क्षेत्र में वैसे ही काम मिलता रहेगा । मैं इस आश्वासन को लिये हुए था और यह सोच रहा था कि किसी प्रकार की उपेक्षावृत्ति नहीं अपनाई जावेगी । ऐसा मैं सोच रहा था अपने क्षेत्र के बारे में । पर मैं चूंकि खुशामद नहीं करता, अपने काम से काम करता हूं और यही कारण हुआ कि तहसील दांता रामगढ़ में पी० डब्ल्यू० डी० ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया । यह मैं विश्वास से कह सकता हूं । मारोठ से सीकर जाने के लिए एक सड़क थी । एक बार नहीं कई बार मिनिस्टर साहब को कहा गया लेकिन इसलिये कि या तो वह सड़कें बने नहीं ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे लोग यह कहें कि चूंकि इन्होंने सरकार का विरोध किया इसलिये यह सड़क बनने वाली थी इसलिए नहीं बनी और हम अगले साल कहो तो और हमारे आदमी को वोट दो तो हम सड़क बनवा देंगे । और सड़क बन रही है सरकार यह भी कहती है । हमारे पास पैसा है, माल है, इन्जीनियर हैं, मैटीरियल भी है । पर समझ में नहीं आया कि केवल तहसील दांता रामगढ़ के बीच में से निकलने वाली सड़क के लिए किस चीज की कमी हो गई ? कहते हैं कभी कुछ नहीं है टेन्डर मंगवाये हैं । टेन्डर आते हैं तो स्वीकार नहीं करते । इसलिए नहीं कि टेन्डर में कोई रेट अधिक है या और कोई खामी है पर इसलिए कि बदकिस्मती से इस तहसील के लिए हां में हां मिलाने वाला कोई ठेकेदार नहीं मिला । उनका जो २५ परसेन्ट कमीशन का है वह नहीं मिल रहा है । तो इस लिए इस टेन्डर के मंगाने में ही ६ महीने का समय निकल गया । इसी टेन्डर के मंगाने करने में उन्होंने पूरे चार साल चालाकी से निकाल दिये । अब देखा कि सेकंड फाइव ईयर प्लान आ रही है । कुछ टुकड़े में काम करना शुरु करा दिया । यह किसलिये कि दूसरी सड़क नहीं बन सके । नहीं तो यह सोचते हों कि अगर एक भी सड़क नहीं बनेगी तो उसके लिए कहा जावेगा । उस वक्त हम कह देंगे कि यह बन तो रही है । हमें यह कहा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो काम बाकी रहेंगे वे पहले लिए जावेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में । महज मुगालते में डालने के लिये यह किया जा रहा है ।

वैसे उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से एक सड़क जाती थी जोबनेर होती हुई वह दांता रामगढ़ होकर सीकर जाती थी । उस सड़क का नक्शा बदला । इसलिए कि यह दांता रामगढ़ होकर न जा सके । उसको चौमूं होते हुए रेनवाल पहुँचाया गया । जोबनेर से ६ मील का हिस्सा बन्द करा दिया । उधर जयपुर से जोबनेर चली गई, बीच का ६ कोस को टुकड़े में कोई सड़क नहीं । रामगढ़ से सीकर रामगढ़ से रेनवाल का ६ मील का कोई जिक्र नहीं । तो मैं समझता हूँ कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल में काम यह हो गया तो गया । नहीं तो आगे ऐसी विषम परिस्थितियां आ रही हैं कि आगे काम की उम्मीद मैं करूं यह मुझे तो कम ही विश्वास है । खैर आगे ईश्वर के हाथ की बात है । पर सरकार की ओर से यह शिड्यूल बनाया गया है कि कोई भी सड़क का काम वहां हो जावे वह किसी भी

[श्री भैरूसिंह]

प्रकार से उचित नहीं होगा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वहां फेअर वेदर रोड बनी थी उसको पक्का बनाने की भी नहीं सोची गई। जब कि और जगह नई नई सड़कें निकाल ली गई हैं जहां न पहले कोई फेअर वेदर रोड थी न पब्लिक की डिमान्ड थी। श्रीमती कमला बेनीवाल की क्योंकि वह कान्स्टीट्यूएन्सी पड़ती थी। जितने हिस्से में उसकी कान्स्टीट्यूएन्सी पड़ती थी उतने हिस्से में काम हो गया बाकी का दूसरा रास्ता छोड़ दिया गया। श्रीमती कमला बेनीवाल की कान्स्टीट्यूएन्सी में सड़क बन रही है, बाकी यों के यों ही घूमते रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, सड़कों का ही यह हाल नहीं है। जितने भी मकान बनते हैं उन मकानों के लिये इस बजट में स्पेशल प्रोवीजन रखा जाता है कि हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी हैं और स्कूल की बिल्डिंग्स बनाने के लिये १० हजार रुपये रख देते हैं और उस समय तक इन १० हजार रुपयों का कोई एस्टीमेट नहीं होता है। यदि हमें कोई मकान बनाना है तो उसके पहले यह सोच लें कि मकान कितना बड़ा बनेगा, उसमें कमरे कितने होंगे, डबल स्टोरी होगा या सिंगल स्टोरी, उसका पहले सोचें कि कितना खर्चा होगा और उस खर्चे के आधार पर बजट में कोई प्रोवीज़न बनाते हैं तो ज्यादा उचित होगा। दो स्कूल बनाने हैं तो उसके लिये २० हजार रुपयों का प्रोवीजन रखते हैं और एक छोटे से गांव में एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनानी है जिसमें ३ कमरे से ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है उसके लिये १० हजार रुपये एलाट कर देते हैं और वह १० हजार रुपये इन्जीनियर्स की मरजी पर छोड़ देते हैं। मैं वह मिसाल दूंगा कि उसमें जिस प्रकार से स्कूल बनता है और जिस प्रकार से स्कूल का नक्शा बनता है, जिसके बारे में एक बार नहीं कई बार यहां चर्चा हुई है, और उन चर्चाओं के कारण कई इन्जीनियर्स सस्पेन्ड हुये हैं। उसके बाद में बहाल भी हुये हैं। उनके बारे में इंक्वायरी भी हुई है। ऐसी सूरत में निवेदन करूंगा कि किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दें लेकिन उसके पहले सरकार को यह विश्वास हो जाय कि अमुक काम के लिए इतना रुपया आवश्यक है। उस मकान का नक्शा और एस्टीमेट यह है। यह नहीं होता है। केवल इसी बेसिस पर हमें दो स्कूल बनाने हैं या चार मकान बनाने हैं और उन पर एक रकम एलाट कर देते हैं। यह हमारा उचित कदम नहीं है, बल्कि गडबड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला कदम होगा।

चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहूँगा वह यह कि सरकार की बिल्डिंग्स जो हैं वे सब इस डिपार्टमेंट के अधिकार में हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें से कुछ बिल्डिंगस् ऐसी हैं जो सरकार के नोटिस में हैं और कुछ बिल्डिंगस् ऐसी हैं जो सरकार के नोटिस में नहीं पड़ी हैं वह कागजों में नोटिस में नहीं हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनकी जानकारी के अन्दर हैं, अफसरान की जानकारी में है, और उस जानकारी के कारण ही अफसर बालावाला डिपार्टमेन्ट को मुगालता देकर ऐसी बिल्डिंगस् पर स्वयं कब्जा किये हुये हैं या अपने कोई रिश्तेदारों का कब्जा बनाये हुये हैं। दूसरी बिल्डिंगस् जो सरकार के नोटिस में हैं, जैसे जोधपुर का होटल है दिल्ली की बिल्डिंगस् हैं यहां जयपुर का एक सिनेमा है, राम प्रकाश, उन सब का किराया वसूली की

[श्री भैंरूसिंह]

बात आती है तो सरकार कहती है कि मजबूर हैं। दिल्ली की बिल्डिंगस् का किराया नहीं, न जोधपुर के होटल का किराया है और न राम प्रकाश सिनेमा का है। किसी में रिट चल रही है तो किसी में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मूव किया हुआ है और किसी के लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिखा हुआ। वहां से शायद जवाब आयेगा तब करेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के टेक्सेशन प्रोपोजल्स देती है, घाटे का बजट प्रस्तुत करती है, राजस्थान सरकार जहां दूसरों से मांग कर रुपया लाने की योजना बना रही है, वहां हम अपने घर को ही क्यों न सम्हालें? आखिर जो पैसा हमारा पड़ा हुआ है उसको ही क्यों न लें? कहा जाता है कि इस मामले के लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिखा गया है तो एक आदमी को परस्यू करने के लिए क्यों नहीं रखा जाता है जिसको जोधपुर और दिल्ली जाने आने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक महीने के अन्दर बकाया वसूल हो सकती है, लेकिन हम कागजों में चल रहे हैं और अपनी एफिशियेन्सी शो करें इस बात का नजारा देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से राम प्रकाश सिनेमा का बकाया बढ़ाया जा रहा है। उसका बकाया वसूल होने का नाम नजर नहीं आता है। वह किस कारण है वह मै बताऊंगा। अभी नहीं क्योंकि यह कहा जाता हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप न लगाये जायें। मैं समझता हूँ कि राम प्रकाश सिनेमा पर माननीय मंत्री जी स्वयं प्रकाश डाल दें नहीं तो मैं बताऊंगा इस संबंध में चाहे वह व्यक्तिगति आक्षेप ही क्यों न हो। मैं अपने उत्तर में सभी चीजें बताऊंगा। मैं निवेदन करूंगा कि राम प्रकाश सिनेमा जोधपुर होटल, और बाहर की दिल्ली वगैरह की सब बिल्डिंग्स के बारे में आवश्यक स्थिति को स्पष्ट करें। उसका आप पता लगायें कि जो बिल्डिंग्स सरकार के नियन्त्रण में हैं वे किस प्रकार से काम कर रही हैं, और उनका किराया किस प्रकार से आ रहा है। इस सारी व्यवस्थाओं को लिया जाय। मैंने इसलिए कहा है कि हम इस डिपार्टमेंन्ट में एफिशियेन्सी लायें। जो कुछ राजस्थान में ऐसे डिपार्टमेंन्ट हैं, जिनके बारे में दुनियां की इस प्रकार की भावना हो गई है कि इसमें बेईमानी का काम होता है, और उनके द्वारा बेइमानी का काम होता है। पब्लिक के जितने लोग हैं वे उसको वैसा देखते हैं। जहां वह देखते हैं कि इतना रुपया सड़कों के लिए दिया गया है और मकानों के लिए दिया गया है तो इस प्रकार को गड़बड़ियां होती हैं तो जो नीचे के काम करने वाले होते हैं वे क्यों न खायें? दूसरे शब्दों में यह कहें कि उन्हें हम प्रोत्साहन देते हैं रिश्वत के लिए, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने के लिए। इस सारे प्रोत्साहन को रोकने के लिए उचित होगा कि जो मैंने पहले सुझाव रखा था उसको मंत्री महोदय कार्य रूप में लायें।

जो अन्तिम बात मैं निवेदन करूंगा वह इस संबंध में है कि डिपार्टमेंन्ट के कर्मचारियों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं तो उन शिकायतों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके विषय में कई दफा ऐसा दिखता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कोई मकान बनाया है. पंचायत बोर्ड के द्वारा कोई मकान बनाया जाता है या डेवलपमेंन्ट कमेटी के द्वारा कोई मकान बनाया जाता है, तो वे मकान जो बनाये जाते हैं उनका टेकनिकल एप्रूवल होता है, और

[श्री भैंरूसिंह]

टेकनिकल एप्रूवल के लिये जितने भी एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं वे उसका एप्रूवल करते हैं। करते क्या हैं घर में बैठे बैठे वह किसी कारण से करते हैं। मेरे क्षेत्र में गोरधनपुरा एक गांव है। उस गोरधनपुरा गांव को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा १५००) रु० स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए दिये गये। स्कूल की बिल्डिंग १९५२ में बनने वाली थी, लेकिन अभी तक वह स्कूल बना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जिस व्यक्ति को रुपये दिये थे उनसे रुपये मांगे तो उन्होंने कहा कि सामान खरीदा गया है। उनसे पूछा गया कि सामान कितने रुपयों का खरीदा गया है तो उन्होंने कहा कि १५०० रुपयों का सामान खरीद लिया है। इसकी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को जांच करने के लिए भेजा गया कि आप जाकर जांच करके आयें। वे मौके पर जाकर देखते हैं कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जिनकी कीमत है केवल ५० रुपये, लेकिन उन्होंने जो सार्टीफिकेट दिया है उसमें ३५० रुपए के पत्थर बताये हैं। उसके बाद में दूसरी दफा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन उनको अपने साथ में ले जाते हैं तो वे कहते हैं कि जब मैंने देखे थे उस समय तो ३५० रुपए के पत्थर थे और अब बाद में कोई पत्थर उठा ले गए होंगे। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि वहां एक भी ऊंट या गाड़ी द्वारा पत्थर उठाने का काम नहीं हुआ है। मैं उन साथी का नाम नहीं बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने १५०० रुपए खाए हैं और आज तक नहीं दिये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है उनके खिलाफ वे माननीय सज्जन इसी सदन के सदस्य हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उनसे बालाबाला पूछ लें और बाद में जवाब दें, वर्ना मैं कल या बाद में जब कभी भी मौका आयेगा तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो रिजो-ल्यूशन इस सदन में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लज्जित हों। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि उन्होंने १५०० रु० का दुरुपयोग किया है, १५०० रुपए जो खाये हैं वे १५०० रुपये सरकार उनसे निकलवाये और गोरधनपुरा गांव में स्कूल के भवन का निर्माण कराये।

मैं यह कहा था कि जितने भी टेक्निकल एप्रूवल्स होते हैं उनके लिए सरकार एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को डेफिनिट ऑर्डर्स दे कि वे मौके पर जायें और देखें कि जो वहां सहूलियतें हैं, पत्थर की सहूलियत है, मिट्टी की सहूलियत है, मकान बनाने को सहूलियत है, उन सारी सहूलियतों को ध्यान में रखकर मकान के काम में जितनी धनराशि खर्च करने के लिए बताई जाती है वह उचित है या नहीं। यदि उचित हो तो बाद में सेंक्शन की जाय। इस तरह से घर बैठे बैठे, एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बैठे बैठे, सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिक्र करेंगे तो मैं समझता हूं कि गम्भीर परिस्थिति पैदा करने वाले होंगे।

इसी प्रकार की बात आजकल नांवा में चल रही है। नांवा में एक बिल्डिंग खरीदी जा रही जा रही है कोर्ट्स के लिए। वहां बिल्डिंग इसलिए खरीदी जाती है कि नांवा तहसीलदार और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का हैडक्वार्टर्स है वहां उसके लिये कोई स्थान नहीं है उस स्थान के लिए एक नये मकान बनाने की आवश्यकता है। नांवा में मकान बनाते २ वे एक

[श्री भैंरूसिंह]

कांग्रेसी नेता की हवेली खरीदने की योजना बना डाली। एक बार नहीं पचास बार नांवा के लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, मेरे पास भी नांवा के अधिकांश लोगों की एक दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह जगह कोर्ट्स के लिये उपयुक्त नहीं है। बगली में है और उसमें कोर्ट्स के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं है। ऊंट, गाड़ी जाते हैं तो उनको बांधने के लिये, बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है, लेकिन सरकार इस बात पर एडेमेंट है कि नांवा में मकान नहीं बनेगा। वे अपने एक सहयोगी नेता को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी हवेली जो ५ हजार की है उसको २५ हजार में ले रहे हैं, जबकि जनता कह रही है कि हवेली ५ हजार की है और सरकार कह रही है कि २५ हजार रुपये की है। जनता कहती है कि हवेली खराब है और सरकार कहती है कि वह कोर्टस के लिए उपयुक्त है। यदि उतने ही रुपये से दूसरी जगह नया मकान बनाया जाय तो वह ज्यादा अच्छा हो सकता है, ज्यादा सुलभ हो सकता है और हर प्रकार के लोगों को आराम देने वाला बन सकता है।.... लेकिन यदि अपने लोगों को इस प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस प्रकार की नीति रखती है, धारणा रखती है, यह न्योयोचित नहीं होगा और धन का भी दुरुपयोग होगा और नये निर्माण मंत्री इस पर ध्यान देते हुए, जानकारी प्राप्त करने के बाद अवश्य ही मुझे संतोष देने के लिए उत्तर देंगे, वहां की जनता को संतोष देने के लिए उत्तर देंगे गोर्धनपुरा की जनता को संतोष देने के लिए, दांता रामगढ़ की जनता को संतोष देने के लिए और अन्य लोगों को जो इनसे प्रभावित हैं उनको आश्वासन मिलेगा इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री शंभूसिंह।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मांग संख्या २३ विषय ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) की कटौती कर दी जाय। (अपव्यय पर बहस करने के लिए)"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागरिक निर्माण कार्य में जो अपव्यय फैला हुआ है उस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में मैं भी दो एक जगह के उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा से लगा कर कांकरौली तक एक सड़क बन रही है। भीलवाड़ा भी रेलवे स्टेशन है और कांकरौली भी रेल्वे स्टेशन है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ने के लिए यह प्रयास जारी है। इसका पचास मील का फासला है। इसके बीच में गंगापुर, सहाड़ा इत्यादि बड़े बड़े गांव आजाते हैं। इस सड़क का कार्य प्रारम्भ हुए लगभग पांच साल हो गये परन्तु न मालूम क्या वजह है कि यह सड़क अभी तक समाप्त नहीं हो पायी है। इस सड़क के वास्ते ठेका दिया गया और ठेकेदारों से अमुक अवधि में कार्य सम्पूर्ण कर दिया जावेगा

[रावत श्री शम्भूसिंह]

इस प्रकार का एग्रीमेंट्स लिखाये गये हैं, परन्तु न मालूम क्या वजह है कि अफसरान के साथ बराबर रियायत बरती जा रही है और वे इस कार्य को निश्चित अवधि में पूरा नहीं कराते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुक्सान यह हो रहा है कि इस सड़क पर जो मिट्टी डाली गई है उस पर दो साल से बराबर बरसात हो रही है और पत्थरों पर से मिट्टी बह गई है। इसी प्रकार किसी जगह पर खुरे लगा दिये गये हैं तो वहां पर कुटाई नहीं होने से और बरसात हो जाने से खुरे की नीचे की मिट्टी बह गई है। और पत्थरों पर कुटाई होना रह गई थी इसलिए मिट्टी नीचे से भी बह गई। अगर उसी पर कुटाई की जायगी तो मोटर गाडियां या हेवी व्हिकल्स उन पर से गुजरेंगी तो वह पेचिंग कब तक कायम रह सकेगा। यही कारण है इसमें सरकार का बड़ा अपव्यय हो रहा है और यह सड़क पूर्ण न होने से इसका एक अंश टूटना भी शुरू हो गया है। आप गौर फरमाइये कि महज पचास मील का टुकड़ा और इस पर काम होते हुए इतने वर्ष हो गये और यह सड़क अब तक समाप्त न हो पायी और इसका एक भाग समाप्त ही नहीं हुआ उसके पहले दूसरा भाग जो बना वह टूटना शुरू हो गया। इससे जनता को भी काफी परेशानी हो रही है और गंगापुर से भीलवाड़ा या आगे पहूंचने में बड़ी दिक्कत हो जाती है और खास कर बरसात में गड़ी कठिनाई हो जाती है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। मोटर सर्विस तो वैसे ही बन्द हो जाती है। उस स्थान पर मजिस्ट्रेटी का सदर मुकाम है। लोगों को मुकदमों की सुनवाई के लिए जाना पड़ता है और इधर बरसात में मोटर सर्विस बन्द हो जाती है तो इन लोगों को मुकदमों के सिलसिले में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि बरसात की मौसम में गंगापुर और दूसरे कस्बे हैं वे कई दूसरे गांवों से कट आफ से हो जाते हैं। इसी प्रकार से सरकार का जो इसमें व्यय हो रहा है वह लापरवाही से अपव्यय साबित हो रहा है।

इसी प्रकार फेयरवेदर रोड जो तीन साल पहले बनायी थी वह भी करेड़ा से होकर सुजानगढ़ होती हुई रायपुर पहुँचने वाली थी लेकिन वहां फेयरवेदर रोड बनी उसके बाद किसी ने आकर यह नहीं देखा कि रोड का क्या हुआ और उसको मेन्टेन करने के बारे में कतई कोई विचार या कोई काम नहीं हुआ। तो इस सड़क की भी यह दुर्दशा हो रही है और कुछ जगह तो ऐसा हो गया है कि यह फेयरवेदर रोड बनी ही नहीं। गंगापुर से करेड़ा तक सड़क आती है वह भी सरकार के विचाराधीन है और वह सड़क भी नहीं बन पायी है।

तो मेरा निवेदन करने का अभिप्राय यह है कि तहसील सहाड़ा, रायपुर तथा मांडल के निर्माण कार्यों में इस प्रकार से लापरवाही और विलम्ब के साथ कार्य किया जा रहा है उसको देखते हुए यह एक अपव्यय ही कहा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार की इस प्रकार की ढिलाई को देखते हुए और जो सरकार की तरफ से ठेके दिये जाते हैं उन में सौ रुपयों का काम होता है तो वहां २००) के ठेके दे दिये जाते हैं और काम कम होता है। करप्शन में या दूसरे रूप में चला जाता है, कम काम होता है और सरकार का खामख्वाह पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है और ठेकेदारों की गाढ़ी कमाई स्वाह हो जाती है। सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये

[रावत श्री शम्भुसिंह]

और जनता के धन का इस प्रकार से अपव्यय नहीं होना चाहिये। जब कि हम यह कह रहे हैं कि हमारे यहां घाटे का बजट चल रहा है और १ करोड़ और ७० लाख का घाटा इस साल हो रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिये सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में ठीक प्रकार व्यवस्था करे और ठीक प्रबन्ध करे तो मैं अनुमान लगाता हूं कि पचास साठ लाख रुपयों का काम या तो ज्यादा हो जायगा या बचत हो जायगी और केवल मात्र सरकार का ध्यान जाने से और भ्रष्टाचार का जो दौर दौरा हो रहा है उस पर नियन्त्रण करने से और अधिकारियों पर और इस सम्बन्ध में जितने कर्मचारी हैं उस पर नियन्त्रण करने से और दृष्टि रखने से सरकार जनता का सार्वजनिक पैसे को बड़ी मात्रा में बचा सकती है या उस पैसे का सदुपयोग हो सकता है, जब कि आज कल उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वह पैसा जिस काम के लिए होता है उसमें खर्च नहीं किया जाता है। वह कुछ लोगों की जेबों में चला जाता है, उनका भला होता है और जनता का भला नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में जो अपव्यय हो रहा है, अव्यवस्था फैली हुई है जैसा कि आज कल लोग कहने लग गये हैं कि यह पी०डब्ल्यू०डी०विभाग नहीं यह तो पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट हो गया है और बड़े अर्थ में यह चरितार्थ भी हो रहा है इसलिए इसको रोकने के वास्ते मैंने यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको एक मत से स्वीकार किया जान चाहिए।

('समय हो गया है' इस प्रकार की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि समय हो गया है इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल सुबह ११ बजे तक के लिए।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही, दिनांक २० मार्च १९५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए, ५ बज कर १ मिनिट पर स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१९ मार्च, १९५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

कार्य विवरण श्री रामगोपाल शर्मा, एकाउन्टस इन्सपेक्टर

इन्सपेक्टर व आडिटर का नाम	हैड क्वाटर	तारीख निरीक्षण	नाम कार्यालय जिसका विवरण निरीक्षण किया गया	कैफियत
श्री रामगोपाल शर्मा एकाउन्टस इन्सपेक्टर	जयपुर	२६।६।५४से ७।७।५४तक	उदयपुर डिविजन आफिस	आडिट व संचालक के निरीक्षक आदेशानुसार
		६।७।५४से १८।७।५४तक	बैकवर्ड क्लास छात्रावास उदयपुर	,, ,, ,, ,,
		७।६।५५से १३।६।५५तक	भरतपुर डिविजन आफिस भरतपुर	,, ,, ,, ,,
		१८।६।५५से २१।६।५५तक	,, ,,	,, ,, ,, ,,
		२।७।५५से ३।७।५५तक	राजकीय छात्रावास पि. जा. कल्याण विभाग जयपुर	,, ,, ,, ,, स्टोर का निरीक्षण
		२३।१०।५५से २६।१०।५५तक	,, ,,	सहायक के आदेशानुसार।

(परिषिष्ट २)

वे तांराकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये एवं जिनके प्रकाशित कराने की मन्त्री महोदय की अनुमति।

१६०(५३. आर. एम.) **श्री सोहनलाल एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४५**— क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सलूम्बर तहसील के भभराना ग्राम में कितनी बिना नाम जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? और उनसे लगान या जुर्माना कितने वर्षों से वसूल नहीं हुआ है ?

(ख) अब नाजायज कब्जा हटाने व लगान वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)